संपादकीय

हमारा ग्रामोन्मुखी बजट

गत 18 फरवरी को संसद् में वित्त मंत्री (उपप्रधान मन्त्री) चौधरी चरण सिंह द्वारा जो 79-80 का बजट पेश किया गया उसकी अनेक क्षेत्रों में बड़ी तीखी आलोचना हुई है। कहा गया है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद न कभी इतना भारी कर लगाया गया और न कभी किसी बजट में इतना भारी घाटा रखा गया। आलोचकों का कहना है कि इस बजट से जहां एक ओर आम जनता पर मूल्य वृद्धि का भारी बोझ पड़ेगा वहां दूसरी ओर मुद्रा-प्रसार में वृद्धि होगी और लोगों की क्रय-शक्ति में कमी आने से वस्तुओं की मांग में मन्दी आएगी जिससे औद्योगिक वातावरण विक्षुब्ध होगा और हमारे कर्णधारों को तालाबन्दी, हड़तालों, बेरोजगारी और औद्योगिक झगड़ों का सामना करना पड़ेगा।

इसमें कोई शक नहीं कि यह एक असाधारण बजट है और शहर के मध्यम वर्गीय लोगों को इसका कुछ कड़वा घूंट चखना होगा परन्तु आलोचक यह क्यों भूल जाते हैं कि भारत गावों का देश है और देश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में बसती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर ही हमारे वित्त मंत्री (उपप्रधान मन्त्री) चौधरी चरण सिंह द्वारा इस प्रकार के बजट के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी गई है और इसे ग्रामोन्मुखी बजट की संज्ञा दी जा सकती है। यह बजट देश की सामाजिक-आर्थिक पुनःसंरचना की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण बजट है और इसके फलस्वरूप जिस आर्थिक संरचना का निर्माण होगा उससे देश के करोड़ों बेरोजगारों और अर्ध-बेरोजगारों को रोजी-रोटी मिल सकेगी। चूंकि देश की 85 प्रतिशत जनता की रोजी-रोटी कृषि और घरेलू-उद्योग-धंधों से ही चलती है, अतः उन्हें सर्वाधिक संरक्षण देने की दृष्टि से बजट में पहली बार ग्रामीण कार्यक्रमों पर 1811 करोड़ रु० की राशि खर्च करने की व्यवस्था की गई है। इससे गांवों के किसानों और कारीगरों में नया जीवन आएगा।

जहां तक जीवन निर्वाह की वस्तुओं की मंहगाई का ताल्लुक है, यह ठीक है कि तेल, साबुन, बीड़ी आदि कुछ वस्तुओं पर प्रस्तावित करों का भार गावों और शहरों की गरीब जनता को भी समान रूप से अखरता परन्तु इन वस्तुओं पर कर में दी गई छूट से आलोचकों को अब यह कहने की गुंजाइश नहीं रही कि यह बजट देश की गरीब जनता के लिए भी कष्ट कर है। गरीब देश के लिए विलासितापूर्ण जीवन बिताना एक अभिशाप है और विलासिता पूर्ण जीवन से सम्बन्धित वस्तुओं पर जो कर लगाए गए हैं वे इस लिए सर्वथा उचित ही हैं कि सम्पन्न वर्ग से कुछ लेकर ही विपन्न वर्ग की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है जबकि हम सम्पन्न और विपन्न वर्गों के बीच आर्थिक विषमता की खाई को पाटने के लिए कटिबद्ध हैं।

हमारे उपभोग की वस्तुओं में कृषिजन्य पदार्थों का स्थान प्रमुख है और किसानों को सस्ता डीजल यान्त्रिक हल तथा रासायनिक खादों पर शुल्क में जो छूट दी गई है उससे कृषि जन्य उत्पादनों के मूल्य स्थिर रहने की पूरी-पूरी सम्भावना है जिसका लाभ गांव और शहर दोनों को ही प्राप्त होगा। चूंकि बांट कर खाना-पीना और त्यागमय जीवन हमारी संस्कृति की विशेषता रही है, अतः हमारे शहरी बन्धु इस कर भार को, जिससे वे प्रभावित होते हैं, सदियों से पद्दलित ग्रामीण बन्धुओं के लिए अपना त्याग समझ कर ग्रहण करें तो यह उनके लिए गौरव की बात होगी।

मज़दूर मंज़िल

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र, फोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो और रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के दो-ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

●

...ीकृत रचनाओं की वापसी के लिए ... लगा व पता लिखा लिफाफा ... आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

●

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि और सिंचाई मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

●

दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे — वार्षिक चंदा 5.00 रु०

सम्पादक : महेन्द्र पाल सिंह

उपसम्पादक : कु० शशि चावला
मोहन चन्द्र मण्टन

आवरण पृष्ठ। परमार

कुरुक्षेत्र

वर्ष 24 चैत्र-वैसाख-1901 अंक 6

इस अंक में : पृष्ठ संख्या

कृषि और ग्राम विकास के परिव्यय में 67 करोड़ रु० की वृद्धि 2
श्री चरण सिंह

जयप्रकाश नारायण से भेंट वार्ता 6
रामी छाबड़ा

द्ररिद्रता से सम्पन्नता की ओर 8
डा० एम० एस० स्वामीनाथन

वन्य जीवों की रक्षा 10
डा० रामगोपाल चतुर्वेदी

जनजातीय युवा वर्ग और विकास के आयाम 11
गोविन्द दास कावरा

कृषि विकास का नया कार्यक्रम 14
राधा कान्त भारती

ग्राम विकास की नींव: परिवार नियोजन 16
डा० योगेन्द्र नाथ शर्मा 'अरुण'

भारत के आर्थिक विकास में कृषि-आश्रित उद्योगों की भूमिका 18
ब्रज मोहन अग्रवाल

त्रिपुरा में मछुआरों की सहकारी समितियों का विकास 20
आर० के० कनौजिया

ग्रामीण भारत ही राम-राज्य का स्वप्न साकार कर सकेगा 22
वैद्य रामरत्न पोपली

भारत सरकार द्वारा हिन्दी के विदेशी विद्वानों का सम्मान 24
ब्रह्मदत्त स्नातक

गरीबी के दिन लद गए 25

जण्डावाली के सांसिये सुधार के पथ पर 27

ये टूटती हुई मान्यताएं 28
मोहन लाल पुरोहित

ग्राम पंचायतों का ढांचा बदला जाए 29
रवीन्द्र सिंह राठौर

पहला सुख निरोगी काया 31

रासलीला (कहानी) 32
जगबीर सिंह वर्मा

साहित्य समीक्षा 34

कृषि और ग्राम विकास के परिव्यय में 67 करोड़ रु० की वृद्धि

उप-प्रधान मंत्री व वित्त मंत्री श्री चरण सिंह का बजट भाषण

उप-प्रधानमंत्री व वित्त-मंत्री, श्री चरण सिंह ने 28 फरवरी 1979 को संसद में 1979-80 वर्ष बजट पेश करते हुए बताया कि आगामी वर्ष में करों की वर्तमान दरों के अनुसार कुल मिलाकर 1975 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा। उन्होंने केन्द्र सरकार की कुल प्राप्तियों का अनुमान 16,551 करोड़ रुपए और कुल व्यय 18,526 करोड़ रुपए का आंका है।

श्री चरण सिंह ने बताया कि करों की मौजूदा दरों से 1979-80 में 10,822 करोड़ रुपए का सकल कर राजस्व प्राप्त होगा जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 658 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन्होंने बताया कि करों के मौजूदा स्तर पर अगले साल राज्यों का हिस्सा 3,235 करोड़ रु० होगा जो कि चाल वर्ष के मुकाबले 1,278 करोड़ रु० ज्यादा है। इसके परिणामस्वरूप केन्द्र का निवल कर राजस्व 7,587 करोड़ रु० का होगा जो कि चालू वर्ष की तुलना में 620 करोड़ रु० कम है।

वित्त मंत्री ने बताया कि बाजार ऋणों से 1850 करोड़ रु० प्राप्त होने का अनुमान है जबकि चालू वर्ष में इससे 1653 करोड़ रु० प्राप्त हुए हैं। वापसी अदायगी और ब्याज की देनदारियों को पूरा करने के बाद निवल विदेशी सहायता 878 करोड़ रु० होगी जिसमें नए ऋणों के अंतर्गत निकाली गई रकमें भी शामिल हैं। अल्प बचत संग्रह से 650 करोड़ रु० प्राप्त होंगे। राज्यों द्वारा वापस किए गए ऋणों की राशि जिसमें अर्थोपाय अग्रिम शामिल नहीं है, 554 करोड़ रु० की होगी जबकि चालू वर्ष में यह राशि 754 करोड़ रु० की है। सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ऋण-शोधन के कार्यक्रम को फिर निश्चित करने के कारण यह कमी हुई है।

बजट अनुमान

श्री चरण सिंह ने 1979-80 के लिए व्यय के अनुमानों की चर्चा करते हुए कहा कि केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 1979-80 की वार्षिक योजनाओं के लिए 12,511 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है जो कि 1978-79 के 11649 करोड़ रु० के कुल अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले 7.4 प्रतिशत अधिक है। इस राशि का निर्धारण करते समय यह ध्यान में रखने की बात है कि केन्द्रीय और राज्यों की योजनाओं में 835 करोड़ रु० की अनुमानित राशि वचनबद्ध व्यय के रूप में योजना व्यय से गैर-योजना व्यय में अंतरित कर दी गई है। इस अंतरण को हिसाब में लेने से 1979-80 के विकास व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है।

1979-80 के बजट में केन्द्रीय योजना के लिए और राज्य व केन्द्रशासित क्षेत्रों की योजनाओं को सहायता देने के लिए 7108 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। राज्यों की योजनाओं केन्द्रशासित क्षेत्र की योजनाओं, पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों की उप-योजनाओं, उत्तर-पूर्व परिषद और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं के परिव्यय के लिए केन्द्रीय सहायता देने के उद्देश्य से 2300 करोड़ रु० रखे गए हैं। कुल मिलाकर 1979-80 में 6099 करोड़ रु० रखे गए हैं जबकि 1978 79 में इनके परिव्यय के लिए 5985 करोड़ रु० रखे गये थे।

केन्द्रीय योजना के लिए बजट में 4808 रु० की व्यवस्था है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 1604 करोड़ रु० के आंतरिक और अन्य साधनों को मिलाकर 1979-80 की केन्द्रीय योजना में 6412 करोड़ रु० रखे गए हैं जोकि 1978-79 के मुकाबले 748 करोड़ रु० ज्यादा हैं।

श्री चरण सिंह ने बताया कि 1979-80 की केन्द्रीय योजना और राज्यों की योजना के लिए परिव्ययों का निर्धारण कर देने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् की हाल की बैठक में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में कुछ फेर-बदल करने का निर्णय किया गया है। केन्द्रीय योजनाओं के लिए अब जो धन राशियां आवंटित की गई हैं वे एक नए फार्मूले के अनुसा राज्यों में बांटी जाएंगी। इसके लिए 19 80 की बजट व्यवस्थाओं में वर्ष के दौ समायोजन किए जाएंगे।

नई विकास नीति

गरीबी और बेरोजगारी मिटाना नई विकास नीति का बुनियादी उद्देश्य बताते हुए श्री चरण सिंह ने कहा कि हमारी योजनाओं में प्राथमिकताओं के क्रम में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। योजनाओं में कृषि और ग्रामीण विकास को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, लेकिन सरकार यह मानती है कि अपेक्षित सीमा तक विकास योजनाओं की नई दिशा काफी लम्बी अवधि में दी जा सकती है। फिर भी सरकार उन कार्यक्रमों की गति को तेजी से बढ़ाना चाहती है जिनका कृषि विकास और रोजगार बढ़ाने से घनिष्ठ सम्बन्ध है।

श्री चरण सिंह ने बताया कि कृषि और ग्रामीण विकास के योजना परिव्यय को 1978-79 में 1754 करोड़ रु० से बढ़ाकर 1979-80 में 1811 करोड़ रु० कर दिया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए 258 करोड़ रु० रखे गए हैं।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रु० की व्यवस्था की जा रही है। चालू वर्ष के अनुभव को देखते हुए इस राशि में बहुत अधिक वृद्धि करनी होगी, पर उसका मुद्रास्फीति पर असर नहीं पड़ेगा

क्योंकि इसके लिए संचित अनाज भंडार का सहारा लिया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए पहले 30 करोड़ रु० की व्यवस्था 1978–79 में की गई थी जिसे बढ़ाकर 100 करोड़ रु० कर दिया गया है। इससे उम्मीद है कि चालू वर्ष में 40 करोड़ श्रम दिनों का काम पैदा होगा।

सिंचाई योजनाओं के लिए अधिक धन

उप प्रधानमंत्री ने कृषि विकास के लिए सिंचाई के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि बाढ़ नियंत्रण सहित बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए 1979–80 में 1488 करोड़ रु० की व्यवस्था की जा रही है जो कि 1979–80 के मुकाबले 87 करोड़ रु० ज्यादा है। 1978–79 में 32 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बनाने का लक्ष्य रखा गया है जबकि 1978–79 में 28 लाख हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था। छोटी सिंचाई के विकास की गति तेज करने के लिए छोटी सिंचाई पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता को, जो इस समय छोटे और सीमान्त किसानों के लिए ही है, उन किसानों को भी उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाई जा रही है जिनके पास दो से चार हैक्टेयर जमीन है। इस उद्देश्य के लिए 10 करोड़ रु० की व्यवस्था की जा रही है। केन्द्रीय बजट में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के लिए वित्तीय सहायता को 1978–79 में 133 करोड़ रु० से बढ़ाकर 1979-80 में 150 करोड़ रु० कर दिया गया है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रधान कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, जो कि कृषि के लिए सावधिक ऋणों के सम्बन्ध में पुनर्वित्त की व्यवस्था करने वाली प्रमुख एजेंसी है, आय कर से मुक्त कर देने का फैसला किया है। जो अन्य उपाय सोचे जा रहे हैं उनके साथ मिलकर इस रियायत से इस निगम की ब्याज दर में लगभग एक प्रतिशत की कमी हो जाने की उम्मीद है। इसके फलस्वरूप किसान को छोटी सिंचाई योजनाओं और भूमि विकास में पूंजी लगाना सस्ता पड़ेगा।

प्रचुर दूध के दूसरे चरण कार्यक्रम के लिए 1979-80 में केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 32 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के पूरा हो जाने पर एक करोड़ किसान परिवारों को लाभप्रद रोजगार मिलेगा और जनता के लिए अधिक दूध की सप्लाई सुनिश्चित होगी।

पच्चीस हजार गांवों में बिजली

ग्राम विद्युतीकरण के लिए 1979-80 में 285 करोड़ रु० के कुल परिव्यय की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, 50 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि इस प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक बैंकों, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से जुटाई जाएगी। अनुमान है कि 1979–80 में 25 हजार गांवों में बिजली पहुंच जाएगी जबकि 1978–79 में 22 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था।

ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक सुविधाएं

ग्रामीण जल-पूर्ति कार्यक्रमों के लिए 1979–80 की केन्द्रीय योजना में 80 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है जो कि 1978–79 के मुकाबले 20 करोड़ रु० अधिक है। मार्च, 1977 में जनता सरकार के सत्तारुढ़ होने के बाद वर्ष 1977-78 में 18 हजार गांवों में और 1978-79 के लिए 27 हजार गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया था। उप-प्रधानमंत्री ने सदन को विश्वास दिलाया कि इन कार्यक्रमों के लिए सरकार और धनराशि देने से नहीं हिचकिचाएगी।

उप-प्रधानमंत्री ने बताया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यक्रमों पर 1979–80 में 117 करोड़ रु० का परिव्यय होगा। ग्रामोद्योग के विकास के लिए 1979–80 के वास्ते केन्द्रीय क्षेत्र में 193 करोड़ रु० रखे गए हैं जबकि चालू वर्ष में 140 करोड़ रु० रखे गए थे। हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियों को संगठित करने के लिए बेहतर विपणन की सुविधाएं देने के लिए और निर्यात के उद्देश्य से गहन विकास के लिए 28 करोड़ रु० की व्यवस्था की जा रही है।

वर्ष 1979–80 में दूर संचार पर 359 करोड़ रु० का परिव्यय होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं के बढ़ाने पर पहले से ज्यादा जोर दिया जाएगा। 1979-80 में ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हजार नए डाकघर खोले जाएंगे और चलते फिरते डाकघरों के जरिये 10 हजार पोस्टल काउंटर खोलने की व्यवस्था होगी।

बिजली उत्पादन

कृषि और उद्योग के विकास के लिए बिजली के उत्पादन को स्वीकार करते हुए इस क्षेत्र के लिए 2466 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है जबकि 1978-79 में 2217 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी। केन्द्रीय क्षेत्र में बिजली परियोजनाओं के लिए 382 करोड़ रु० रखे गए हैं। फरक्का में सुपर थर्मल स्टेशन के रूप में बड़ी शुरुआत की जाएगी। उम्मीद है कि 1979-80 में तीन हजार मेगावाट बिजली उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता पैदा हो जाएगी।

उर्वरकों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की नीति के अनुरूप उर्वरक संयंत्रों में पूंजी लगाने के लिए 1979-80 की योजना में 254 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। सरकारी क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन को, जो इस वर्ष 12 लाख मी० टन था, बढ़ाकर 1979-80 में 20 लाख मी० टन कर दिया जाएगा। इस्पात क्षेत्र के लिए 1979-80 में 600 करोड़ रु० की व्यवस्था की जा रही है जिससे बोकारो और भिलाई के संयंत्रों के विस्तार और सेलम में नए संयंत्र का काम आगे बढ़ाया जा सकेगा। कोयला क्षेत्र के लिए 1979-80 में 346 करोड़ रु० और तेल क्षेत्र के लिए 622 करोड़ रु० की व्यवस्था की जा रही है। सड़कों के लिए 1979–80 में 120 करोड़ रु० की व्यवस्था का प्रस्ताव है। सरकार ने गन्दी बस्तियों के सुधार की नीति का सक्रिय रूप से

पालन करने का निश्चय किया है। केन्द्रीय आयोजना में शिक्षा के लिए 84 करोड़ रु० निर्धारित किए जा रहे हैं। इसमें से लगभग 20 प्रतिशत राशि प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार पर खर्च की जाएगी।

उप-प्रधानमंत्री ने बताया कि रक्षा व्यय के लिए 3050 करोड़ रु० का अनुमान लगाया गया है जब कि चालू वर्ष में इसकी राशि 2854 करोड़ रु० थी। ऋण परिशोधनों के लिए 2161 करोड़ रु० रखे गए हैं और खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता के लिए 560 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है जो कि चालू वर्ष की राशि से 10 अरोड़ रु० कम है। राज्यों को 232 करोड़ रु० का सावधिक अनुदान दिया जाएगा। इसकी तुलना में चालू वर्ष में यह राशि 514 करोड़ रु० थी। अगले वर्ष की व्यवस्था सातवें वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित है।

गैर-योजना खर्च में कमी

श्री चरण सिंह ने बताया कि कार्य-कुशलता के साथ-साथ मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए गैर-योजना व्यय को जहां तक वह बहुत जरूरी था, वहां तक सीमित कर दिया गया है। श्री चरण सिंह ने यह भी बताया कि सरकार ने सरकारी व्यय को बढ़ने से रोकने और सामान्य हित को बढ़ावा देने के लिए धनराशि का कारगर ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का फैसला किया है। वह सरकारी व्यय की व्यापक रूप से जांच करेगा। यह आयोग अन्य बातों के अलावा इस बात की भी जांच करेगा कि वृद्धि की दर को बढ़ाने में और गरीबी को कम करने में सरकारी व्यय का क्या योगदान रहा है और गरीबी की समस्या को सुलझाने में सरकारी व्यय की भूमिका अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए।

घाटा

श्री चरण सिंह ने बताया कि चालू वर्ष में कुल मिलाकर 1590 करोड़ रु० का घाटा रहेगा जबकि मूल अनुमान 1071 करोड़ रु० के घाटे का था। इसमें 555 करोड़ रु० की वह अतिरिक्त राशि शामिल नहीं है जिसका बोझ कुछ राज्यों को उनके पिछले घाटे को पूरा करने के लिए दिए गए ऋणों के रूप में केन्द्र पर डाला गया था और जो खाता समायोजन के रूप में होने के कारण चालू वर्ष में कोई आर्थिक प्रभाव नहीं डालेगा।

चालू वर्ष में अधिक व्यय होने के कारणों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों का ओवर ड्राफ्ट बन्द करने के लिए उन्हें विशेष ऋण देने का निश्चय किया गया था और इसके लिए उन्हें 555 करोड़ रु० दिये गए। दैवी विपत्तियों से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए राज्यों को दी जाने वाली सहायता की रकम 10 करोड़ रु० की मूल राशि से बढ़ाकर 40 करोड़ रु० करनी पड़ी। किसानों को उनकी उपज पर ज्यादा आमदनी देने के लिए चालू वर्ष में गेहूं व मोटे अनाज की वसूली कीमत बढ़ाने से लगभग 42 करोड़ रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ। खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता के अन्तर्गत बजट अनुमानों की 456 करोड़ रु० की राशि के अलावा 114 करोड़ रु० का अतिरिक्त व्यय होगा। निर्यात सहायता के व्यय में 130 करोड़ रु० की वृद्धि होगी। गैर-योजना सहायता के रूप में बहुत से सरकारी क्षेत्र के एककों को बजट में प्रत्याशित राशि से अधिक सहायता देनी पड़ी क्योंकि उन्हें उत्पादन में हुई हानियों के कारण वित्तीय कठिनाइयां महसूस हुईं। देश के पूर्व भाग में बाढ़ आने से औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ा और सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के लाभ में कमी होने से निगम और आयकरों की प्राप्तियों पर प्रतिकूल असर पड़ा। ये प्राप्तियां 2577 करोड़ रु० के बजट अनुमानों से लगभग 102 करोड़ रु० कम होने का अनुमान है। संघ उत्पादन शुल्क और सीमा-शुल्क से कुल मिलाकर 145 करोड़ रु० अधिक प्राप्त होंगे।

अल्प बचतों से 140 करोड़ रु० अधिक

श्री चरण सिंह ने बताया कि अल्प बचत संग्रह से 460 करोड़ रु० के बजट अनुमान की अपेक्षा 140 करोड़ रु० अधिक प्राप्त होंगे। इसका श्रेय केन्द्र और राज्यों की सम्बन्ध एजेंसियों को है जिन्होंने इस दिशा में सतत प्रयास किए हैं। गैर सरकारी भविष्य निधियों की जमा राशियों में भी 225 करोड़ रु० के बजट अनुमानों से 75 करोड़ रु० अधिक की वृद्धि होगी। सोने की बिक्री से 86 करोड़ रु० की प्राप्ति हुई है। द्विपक्षीय व्यापार करने वाले देशों को पहले के वर्षों में दिए गए अल्पकालिक ऋणों की वसूलियों में भी उन देशों से अधिक आयात होने के कारण 75 करोड़ रु० की वृद्धि होगी।

सीमा-शुल्क से अधिक आय

आयात नीति को उदार बनाने और देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक आयात करने से सीमा शुल्कों में 1860 करोड़ रु० के बजट अनुमानों से 250 करोड़ रु० की अधिक प्राप्ति होगी। किन्तु दूसरी ओर संघ उत्पाद शुल्कों के रूप में 5299 करोड़ रु० बजट अनुमानों से 105 करोड़ रु० कम प्राप्त होंगे। विदेशी सहायता के अन्तर्ग सकल प्राप्तियां बजट अनुमानों के मुकाबले 447 करोड़ रु० कम होने का अनुमान है।

अनुमान है कि चालू वर्ष में रक्षा व्यय 294 करोड़ रु० की बजट व्यवस्था के मुकाबले 100 करोड़ रु० कम होगा।

बजट भाषण के प्रारम्भ में चालू वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की अति सन्तोषजनक प्रगति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन लगातार दूसरे वर्ष भी रिकार्ड स्तर का हुआ है और इसको सफलता न केवल मौसमी कारणों से ही नहीं मिली, अपितु उत्पादन बढ़ने का काफी बड़ा कारण सिंचाई और उर्वरक का अधिक मात्रा में उपलब्ध होना, उन्नत बीजों का इस्तेमाल, अनुसन्धान और विस्तार क्रियाकलाप में वृद्धि, समर्थन कीमतों तथा अनाज की खरीद का काम बढ़ाना भी है। यह प्रगति काफी हद तक लाखों किसानों की ताकत और मेहनत से हुई है। उन्होंने बताया कि चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में बढ़ौतरी 7 से 8 प्रतिशत रहेगी। यह बहुत से उद्योगों के उत्पादन म सुधार होने से संभव हुआ है।

कीमतों में स्थिरता : विश्व रिकार्ड

कीमतों में स्थिरता की चर्चा करते हुए श्री चरण सिंह ने बताया कि 10 फरवरी, 1979 को कीमतों का सूचकांक एक साल पहले के स्तर से केवल 0.9 प्रतिशत और दो साल पहले के स्तर से 0 4 प्रतिशत ऊपर था। एक ऐसी अवधि में जबकि राष्ट्रीय आय में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हो, कीमतों में इतनी अधिक स्थिरता रख पाने का रिकार्ड दुनिया में और कहीं मिलना कठिन होगा। यह स्थिरता पूर्ति और मांग के प्रबन्ध की सुविचारित नीतियों से प्राप्त हो सकी है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अपनाई गई उदार नीति से भी इसमें महत्वपूर्ण मदद मिली है। साथ ही ऐसी मौद्रिक नीति भी सहायक हुई है जो ऋण के प्रभाव को अर्थ व्यवस्था में सट्टेबाजी की गतिविधियों की ओर जाने से रोकती है और ऋण को उत्पादक क्षेत्रों की ओर मोड़ती है।

साधनों का संग्रह आवश्यकताओं के अनुरूप न होने की चर्चा करते हुए श्री चरण सिंह ने कहा कि सरकार को अर्थ व्यवस्था के कई क्षेत्रों में ऐसी प्रवृत्ति दिखाई देती है कि वे कर सम्बन्धी रियायतों को अपनी घटती हुई दौलत को बढ़ाने का एकमात्र तरीका मानते हैं। यह समझ लेना चाहिए कि अगर विकास के लिए आवश्यक साधनों को मुद्रास्फीति के बिना जुटाना है तो उन लोगों को करों का अधिक बोझ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिये जिनमें यह बोझ उठाने की सामर्थ्य है।

आयात के बढ़ते हुए स्तर का उल्लेख करते हुए उप-प्रधानमंत्री ने बताया कि विकास के लिए प्रारक्षित निधि के उपयोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि की दर चालू वर्ष के दौरान धीमी हो गई है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हुए हम इसमें लगातार वृद्धि की आशा नहीं कर सकते। श्री चरण सिंह ने निर्यात में चालू वर्ष के पहले 8 महीने में हुई कीमतों की चर्चा करते हुए कहा कि यह बहुत जरूरी है कि एक सक्रिय निर्यात संवर्धन नीति का अनुपालन करके कुल निर्यात में आने वाली गिरावट की प्रवृत्ति को रोक देना चाहिए।

श्री चरण सिंह ने बताया कि आर्थिक विकास के द्वारा लोगों के जीवन स्तर में ठोस सुधार लाने के लिए जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर पर नियंत्रण करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि नए चालू किए गए परिवार कल्याण के कार्यक्रम को ठोस आधार पर रखें जिससे 33 प्रति हजार की वर्तमान जन्म दर को कम करके 1982-83 में 30 प्रति हजार की जन्म दर करने का राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा हो सके। सामुदायिक स्वास्थ्य रक्षक योजना जो अक्तूबर, 1977 में 741 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शुरू की गई थी, 1979-80 में देश के एक तिहाई हिस्से में लागू कर देने और 1982-83 तक पूरे देश को इसके अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।●

राही पथ पर बढ़ते जाना

पथ को मधुमय करते जाना।
चलते जाना चढ़ते जाना।
उड़ते जाना बहते जाना।
पथ के ठोकर को ठोकर दो
गाते जाना हंसते जाना।
राही पथ पर बढ़ते जाना।।

आगे ही आगे बढ़ना है
जीवन भर चलते रहना है
मंजिल तुम पाओगे साथी
दुःख-सुख हंसकर सहते जाना।
राही पथ पर चढ़ते जाना।

जो जन जीवन से हार गया,
कन्धे से बोझ उतार गया,
वह कब्र में जीते जी सोया,
सबको संग ले चलते जाना।
राही पथ पर बढ़ते जाना।।

रामजी पाण्डेय

जनसंख्या परिसीमन पर

श्री जयप्रकाश नारायण

से

रामी छाबड़ा की भेंट वार्ता

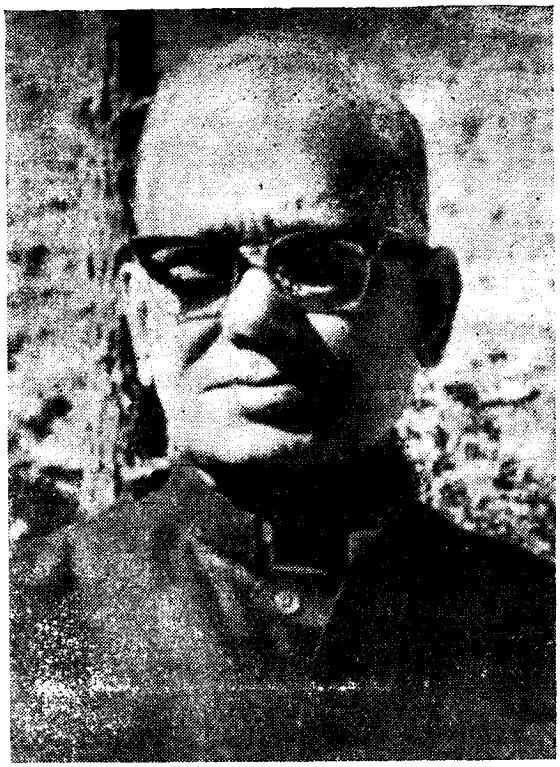

जो शक्ति बच्चे पैदा करने में व्यय की जाती है, उसका उपयोग आर्थिक विकास में किया जाना चाहिए। विकास भी श्रेष्ठ संतति-निरोधक है। पर लोगों के रुख में परिवर्तन लाने के लिए विकास होने के बाद उसके प्रभाव सभी स्तरों तक पहुंचने के समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

प्रश्न : महोदय, पहला प्रश्न मैं आप से यह पूछना चाहूंगी कि क्या आप जन-संख्या समस्या को देश की प्रमुख समस्याओं में से एक मानते हैं?

उत्तर : हां, इसके संबंध में मुझे कोई संदेह नहीं है। संभव है कि यह हमारे देश के सम्मुख पहले नंम्बर की समस्या हो और इसके संबंध में जो कुछ भी किया जा सके, किया जाना चाहिए; अन्यथा प्रकृति अपना काम करेगी। महामारी होगी और अन्य तरीकों से प्रकृति को धरती का बोझ कम करना पड़ेगा।

प्रश्न : संपूर्ण क्रांति में, जिसे आप इस देश के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के ढांचे में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक समझते हैं, आप महिलाओं से किस भूमिका की अपेक्षा करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि समाज की व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन लाने के लिए, जैसा आप चाहते हैं, पुरुष तथा नारी के पारस्परिक संबंधों में व्यवहार में होने वाली असमानता को दूर करना आवश्यक है?

उत्तर : अवश्य। इसमें कोई संदेह नहीं है। आजकल, भारत में कम-से-कम हिंदू समाज में, और जहां तक मैं समझता हूं मुस्लिम समाज में भी, महिलाओं की स्थिति हीनतर है और उनके सामने कई तरह की बाधाएं हैं, जिनके कारण वे वह सब नहीं कर पातीं जो पुरुष-वर्ग कर लेता है। वे कई तरह की असमर्थताओं तथा असुविधाओं से पीड़ित हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। हमें ठोस प्रयास करने होंगे ताकि महिलाएं भी उन सब अधिकारों का उपयोग कर सकें जो पुरुषों को मिले हुए हैं, केवल उन्हें छोड़कर जिनमें प्रकृति ने स्वयं अंतर कर रखा है।

प्रश्न : स्वतंत्रता-पूर्व के युग में गांधीजी ने इस देश की महिलाओं में राष्ट्र का भाग्य-निर्माण करने की भावना जाग्रत की और इसी के फलस्वरूप लाखों महिलाएं राजनीतिक एवं राष्ट्रीय निर्माण के कार्य-क्षेत्र में आयीं, जिसका उल्लेखनीय उदाहरण स्वयं आप की पत्नी थी। लेकिन आज राष्ट्र एक भिन्न प्रकार के चौराहे पर है। आज संघर्ष विदेशी शासन के खिलाफ न होकर प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा एवं समानता दिलाने के लिए है। लेकिन महिलाएं राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक उत्पादन के कार्यों में सहयोगी तभी बन सकती हैं जब उन्हें प्रजनन के दुर्दान्त चक्र से मुक्ति मिले, जिसके लिए वे विवश बना दी जाती हैं। इस विषय में आपके क्या विचार हैं?

उत्तर : मैं आप से सहमत हूं और विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि जन्म-दर पर नियंत्रण पाने के लिए हमारे देश की परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए अथवा क्या कुछ किया जा सकता है। मैं जबरन कानूनों के विरुद्ध हूं, क्योंकि वे प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि शिक्षा तथा अनुनय के माध्यम से यह काम अच्छी तरह किया जा सकता है, जो स्थायी भी रहेगा। युवा पीढ़ी को भी शिक्षा शास्त्रियों द्वारा निर्धारित आयु में इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उन्हें न केवल बेहतर यौन-जीवन

सिखाए बल्कि बड़े होने पर एक बेहतर जीवन जीने के लिए भी सहायक हो।

प्रश्न : लेकिन महोदय, उस तरह की जबर्दस्ती या बलप्रयोग से तो निस्सन्देह कोई भी सहमत नहीं है जैसा आपातकाल में कुछ क्षेत्रों में अमल में लाया गया। लेकिन यदि लोग इस आंदोलन में स्वेच्छा से आगे नहीं आते, और सामाजिक परिस्थितियों के कारण हम इस गंभीर स्थिति की तात्कालिकता को नहीं देख पाते, तो क्या आप यह नहीं सोचते कि एक ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए कोई कानूनी ढांचा तैयार करना उचित होगा जिसमें लोग शैक्षिक प्रेरणाप्रद कार्यक्रमों से प्रभावित हों।

उत्तर : हां, पर यह सीधे ऐसे कानूनों से नहीं होना चाहिए जिसमें कानूनी सजा या इस तरह की कोई बात हो।

प्रश्न : हम विवाह की आयु बढ़ा रहे हैं जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों का विवाह शीघ्र करना चाहेंगे। हम कहते हैं आय-कर अवश्य दिया जाना चाहिए, जबकि कई लोग अपना सारा पैसा अपने पास रखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि एक पत्नी-प्रथा का कानून होना चाहिए। तो इसी विषय में अपवाद क्यों हो ?

उत्तर : मैं आप से सहमत हूं।

प्रश्न : महोदय, पिछले 18 महीनों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की असफलता को मैं महिलाओं तथा बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मानव अधिकार समस्या के रूप में देखती हूं, क्योंकि हमारे यहां मृत्यु दर सब से अधिक है और शिशु मृत्यु दर भी सबसे अधिक . . .।

उत्तर : यह हमारे लिए शर्म की बात है।

प्रश्न : जन्मदर में एक प्रतिशत की हर बढ़ोतरी के साथ, जिसका अर्थ है कि हमारी वर्तमान जनसंख्या में प्रत्याशित संख्या के अतिरिक्त 6,40,000 बच्चे होते हैं, उस क्रम में लगभग 4,000 महिलायें प्रसव में मर जाती है और पैदा हुए बच्चों की संख्या का आठवां भाग पैदा होने के कुछ दिन के भीतर मर जाता है, जो मानव जीवन का बहुत बड़ा अपव्यय है। इसी भावना के कारण हम सोचते हैं कि यह वास्तव में मानवीय अधिकारों की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले वर्ष के परिवार नियोजन से प्रगति यह हुई है कि जन्म दर में अनुमानित कमी के स्थान पर .05 की वृद्धि हुई और यदि यही हालत रही, तो जन्मदर में वृद्धि होती ही रहेगी। अब ऐसी स्थिति म आप क्या कहेंगे ? देश को स्वयं ही ऊंचा उठने के लिए क्या करना होगा ?

उत्तर : इसका एक उत्तर हो सकता है—आर्थिक विकास, जो लोगों को व्यस्त रख सके और महिलाओं के लिए भी कुछ उपयोगी रोजगार उपलब्ध करा सके ताकि उन्हें भी व्यस्त रखा जा सके और बच्चे पैदा करने में लगी शक्ति का बेहतर उपयोग किया जा सके। मैं समझता हूं कि यह समस्या सामान्य सामाजिक, आर्थिक विकास से जुड़ी है, बल्कि सामाजिक से अधिक आर्थिक से। मैं समझता हूं यह सत्य नहीं है कि निम्न मध्यम वर्ग में जन्म दर घट रही है।

प्रश्न : महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं कि विकास भी एक श्रेष्ठ सन्तति निरोधक है। लेकिन साथ ही हमें यह मानना होगा कि हमारी नीति दोहरी होनी चाहिए, क्योंकि हम विकास में लगने वाले समय तक और लोगों के रुख में परिवर्तन लाने के लिए विकास होने के बाद उसके प्रभावों के सभी स्तरों तक पहुचने के समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते।

उत्तर : हां, हमारे पास प्रतीक्षा के लिए समय नहीं है : अतः जो संभव है, वह तो विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। उसके बाद हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि लोगों को शिक्षित करें और यह काम गहराई से करें। राजनैतिक कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, यह मैं नहीं जानता। महिला कायकर्ताओं को विशेषतया आगे आना चाहिए।

प्रश्न : महोदय, स्पष्ट है कि सारे कार्यकर्ताओं, आयोजकों, तथा विकास से संबद्ध अन्य सारे लोगों को यह महसूस कराने की आवश्यकता है कि जनसंख्या की समस्या अन्य सारी विकास समस्याओं में बुनियादी है, अतः इन दो समस्याओं को साथ-साथ निपटाना चाहिए।

उत्तर : निश्चय ही।

प्रश्न : पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक जन्म दर को घटा कर तीस प्रति सहस्र तक लाने में हमारी अक्षमता ने हमें इस लक्ष्य को 1982-83 तक स्थगित करने को विवश कर दिया। लेकिन जिस तरह हम चल रह हैं, उससे ऐसा नहीं लगता कि हम इस स्थगित लक्ष्य तक भी पहुंच पाएंगे। उस दशा में समस्त आयोजित विकास निरर्थक बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास साधन कहां से आयेंगे ?

उत्तर : मैं निश्चय ही आपसे सहमत हूं : लेकिन मैं नहीं जानता, केवल विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि इस प्रवृत्ति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस सवाल का सतही आसान उत्तर है—'भगवान् ने तुम्हें एक मुंह तथा दो हाथ दिए हैं, अतः तुम स्वयं अपना पेट भर सकते हो। लेकिन इस तरह के समाज में, जिसमें हम रहते हैं, अब ऐसे काम नहीं चलता। शायद यह अधिक आदिम समाज में संभव था।

प्रश्न : महोदय, पिछले डेढ़ वर्ष में देश में किए गए आपरेशनों में से 90 प्रतिशत स्त्रियों के हैं और पुरुषों की नसबंदी के कार्यक्रम प्रायः बंद से हो गए हैं, जबकि हम जानते हैं कि पुरुषों की नसबंदी का कार्यक्रम सबसे सरल, सर्वाधिक प्रभावकारी और किफायती तरीका है। आप

(शेष पृष्ठ 21 पर)

दरिद्रता से सम्पन्नता की ओर

डा० एम० एस० स्वामीनाथन

आजादी मिलने के बाद से उत्पादन में लगातार वृद्धि होती रही, लेकिन यह बढ़ती हुई आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उत्पादन की वृद्धि में काफी अस्थिरता भी थी। फलतः हमें हर साल विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता था। सबसे अधिक अनाजों का आयात (एक करोड़ मी० टन) 1966 में किया गया जब कि सारे देश में और विशेषतः बिहार में भयानक सूखा की स्थिति थी।

1960-61 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू करने पर भी 1967-68 तक खाद्यान्नों के उत्पादन में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। इससे खाद्यान्न के मामले में भारत कभी आत्म-निर्भर बन सकेगा, इसके बारे में सामान्यतः शंका होने लगी। यह अटकल लगाई जाने लगी कि जरूरतमंद देशों की जरूरतें पूरी करने में जब विकसित देशों की क्षमता समाप्त हो जाएगी तब व्यापक रूप से भुखमरी कब तक होने की आशंका है। ऐसे अनुमानों में भारत की स्थिति ऐसी बताई गई, जिसे उबारा नहीं जा सकता। यह अनुमान विलियम और पाल पैडॉक बन्धुओं ने अपनी पुस्तक फैमिन-1975" में दिया है। अब चार वर्ष बाद 1979 में स्थिति बहुत बदल चुकी है। संसार की जानी-मानी पत्रिकाओं में भी जहां पहले भारत की कृषि-क्षमता में संदेह प्रकट किया जाता था, अब ऐसे विचार व्यक्त किए जा रहे हैं कि अपनी बढ़ती आबादी को खिलाने के बाद भी भारत कृषि-जिन्सों का पर्याप्त मात्रा में निर्यात करने की क्षमता रखता है।

खाद्य के संबंध में इतनी उत्साहजनक स्थिति का कारण वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों है। हमारे देश में पेड़-पौधों के लिए आवश्यक धूप पूरे साल अधिकतर भागों में भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहती है। सिंचाई के स्रोत की भी कमी नहीं है। हमारे अशिक्षित किसानों ने भी यह साबित कर दिया है कि यदि उन्हें विश्वास दिला दिया जाए कि नयी प्रौद्योगिकी से उनकी गरीबी दूर हो सकेगी, तो वह उसे अपनाने में पीछे नहीं रहेंगे। अतः ऐसी प्रौद्योगिकी तैयार की जानी चाहिए जिससे उत्पादन अधिक मिले और लाभ स्थिर हो।

अतः दरिद्रता से सम्पन्नता की ओर अग्रसर होने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने होंगे।

1 ऊर्जा रूपान्तरण में कुशलता

ऊर्जा की सीमा के अन्दर रहते हुए ही हमें उत्पादकता में बढ़ोतरी करनी है। अतः कृषि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पर अनुसंधान अत्यंत आवश्यक है। यह ऊर्जा दो प्रकार की हो सकती है — सूर्य से मिलने वाली और कल्चर करके प्राप्त की जाने वाली। कल्चर द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का उद्देश्य है पूर्व उपलब्ध ऊर्जा के उपयोग द्वारा आर्थिक मूल्य के हरे पौधों का अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाना। अतः कृषि से संबंधित जैव-ऊर्जा के समस्त क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता है। पौधा और पशु प्रजनकों को शरीर क्रिया विज्ञानियों की सहायता से ऐसी प्रजातियों का चुनाव करना होगा जो कल्चर ऊर्जा के विभिन्न रूपों को खाद्य ऊर्जा में बदलने में सक्षम है। पहले कृषि में ऊर्जा की आवश्यकता पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, अब स्थिति बदल रही है। इस पर अध्ययन करने से पता चला है कि उपभोक्ता तक कोई कृषि जिन्स जब पहुंचता है तब तक उस पर इतनी अधिक ऊर्जा खर्च की जा चुकी होती है, जो खेत में खड़ी फसल के द्वारा पूर्व से प्राप्त की गई ऊर्जा से बहुत अधिक रहती है। इसलिए कृषि की ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की जानी चाहिए जिसमें उत्पादन बढ़ाने पर भी अधिक ऊर्जा का ह्रास न हो। जैव-ऊर्जा कार्यक्रमों में नाइट्रोजन के जैव स्रोतों का अवशोषण, इमारती लकड़ी के लिए वृक्ष उगाना, गोबर का कम्पोस्ट बनाना, पौधों से अल्कोहल तैयार करना और जैव-गैस तैयार करना शामिल हैं।

जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण के गुण के कारण दलहनी फसलों को प्रमुखता देनी चाहिए। इन फसलों को उगाने से खेतों को काफी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाता है। अतः सभी बहुफसली और अन्तर्वर्ती फसलचक्रों में दलहनी फसलों और चारे की फली वाली फसलों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

2 कृषि पद्धतियों में सुधार

दुर्भाग्य से अब तक किसी एक फसल या पशु विशेष पर विकास-कार्य किए जाते रहे हैं और समस्त कृषि प्रणाली पर ध्यान नहीं दिया गया। यदि ऐसा समाकलित दृष्टिकोण अपनाया जाए तो कृषि से गांवों को काफी अधिक रोजगार और आमदनी मिलने लगेगी।

सिंचित और निश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में बहुफसली और अनवरत सस्य-क्रम प्रचलित है। यहां के फसल-चक्रों में अनाज और चारे की फलीदार फसलों को शामिल करना चाहिए। यदि फसल-चक्र वैज्ञानिक ढंग के नहीं अपनाए गए तो बहुफसली पद्धति में हानिकारक कीटों और उर्वरता की समस्या खड़ी हो जाएगी। लगातार ऐसी फसलों को नहीं उगाना चाहिए जिनमें एक-जैसी कीट-व्याधियों का प्रकोप होता हो।

बारानी इलाकों में अधिकतर अनाज के लिए फली वाली फसलें और दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। क्षेत्र विशेष की पोषण-संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए उनमें फलों के वृक्ष भी लगाए जा सकते हैं। इन क्षेत्रों के लिए जल और मृदा संरक्षण तथा भूमि-प्रयोग की योजना पर शोध किया जाना चाहिए।

मिश्रित और अन्तर्वर्ती फसल पद्धति के लिए भी वैज्ञानिक ढंग अपनाना आवश्यक है। इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए :

1. समस्त फसलों द्वारा धूप का भरपूर उपयोग।
2. मिट्टी के विभिन्न सतहों से नमी और पोषण लेने की क्षमता।

3. एक ही प्रकार के कीटों से आक्रान्त नहीं होने वाली ।
4. जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और प्रोटीन की उपलब्धि बढ़ाने के लिए फलीदार फसलों का प्रचलन ।

मिश्रित कृषि पद्धति में तीन तरह का कार्यक्रम हो सकता है फसल-पशु-पालन, फसल मछली-पालन, और फसल पशु पालन-मछली-पालन । ऐसी पद्धतियों में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम से कम करना चाहिए ताकि वे मछलियों के लिए घातक न हो जाएं और इस प्रकार पौधा-पशु-मानव की आहार श्रृंखला द्वारा विषाक्तता नहीं फैले ।

कृषि को आधुनिक बनाने का मतलब यह नहीं है कि मशीनों से काम लेकर कृषि-मजदूरों को बेरोजगार कर दिया जाए, बल्कि इससे मानव श्रम के लागत-लाभ अनुपात में सुधार करने और उसके उपयोग में विविधता लाने की कोशिश की जानी चाहिए । मशीनों के कारण बचे हुए समय को मुर्गीपालन, पशुपालन आदि सहायक धंधों में लगा कर अधिक आमदनी प्राप्त की जा सकती है ।

कृषि में लगातार विकास के लिए परिस्थिति की अवस्थापना को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है । यथासंभव क्षेत्र-विशेष के लिए अनुकूल वृक्ष, झाड़ियां, चारे की घास और फलीदार चारे को विकसित करने में वैज्ञानिक बड़ा योगदान दे सकते हैं । सभी वनस्पति विज्ञान विभागों को बगीचे दिए गए हैं । इन बागानों को आस-पास के लोगों को खाद्य, पशु-आहार, ईंधन चारा और उर्वरक (नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा) प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है ।

भारतीय कृषि की दूसरी बड़ी बाधा है, मिट्टी का कटाव । हिसाब लगाया गया है कि केवल असम की पहाड़ियों में हेल्के ढालों पर भी झूम खेती के एक फसल-चक्र के पूरा होने पर कम से कम 10 सेंटी मी० मिट्टी कट कर वह जाती है । प्राकृतिक रूप से धरती की ऊपरी सतह की एक सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में एक सौ साल से अधिक समय लगता है । ईंट बनाने के लिए अच्छी उपजाऊ मिट्टी को प्रयोग में लाने और पानी का अनुचित प्रयोग करने से जल लग्नता, लवणीयता और क्षारीयता होती है । इन सभी कारणों से भूमि की जैविक क्षमता की भारी क्षति होती है । मिट्टी की उर्वरता का निर्वाह करना तो किसान की जिम्मेवारी है, लेकिन मिट्टी की भौतिक संरचना और उत्पादन क्षमता का संरक्षण पूरे समाज की जिम्मेदारी है ।

3. क्षति को कम करना

1950-73 के दौरान संसार के अनेक भागों में अनाज की उपज में होने वाली भिन्नता का विश्लेषण करने से पता चला कि प्रत्येक तीन साल में एक साल मौसम की गड़बड़ी से उपज में 2 करोड़ 10 लाख मी० टन से भी अधिक की क्षति हो जाती है मौसम की गड़बड़ी से सुरक्षा के लिए अनाज का अतिरिक्त भंडार रखने के अलावा निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिएं :—

सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ोतरी करनी चाहिए । पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं रहने पर अधिक मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है और उपज भी कम होती है । सिंचाई की व्यवस्था ठीक रहे तो मौसम की गड़बड़ी होने पर अतिरिक्त उत्पादन कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं ।

बारानी इलाकों में नमी संरक्षण के उपायों और सूखा सहन करने वाली फसलों को अपना कर यह समस्या हल की जा सकती है ।

कीट-महामारी से फसल के बचाने के महत्व की अपेक्षा नहीं की जा सकती । प्रत्येक प्रमुख फसल और कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए समाकलित कीट नियंत्रण नीति निर्धारित करनी होगी । मौसम और कीट महामारी के बीच के संबंध का अध्ययन और कीट-सर्वेक्षण-तंत्र की स्थापना से कीट महामारी के विरुद्ध ठीक समय से उपाय किए जा सकते हैं । सैटेलाइट फोटो से बादलों की गति की जानकारी मिल जाने से भारत में गेहूं की फसल में तनागलन रोग के प्रकोप का बहुत पहले पता चल जाता है ।

4. प्रौद्योगिकी में सुधार

जब तक उत्पादन और कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी के बीच समन्वय नहीं होता तब तक न किसान को अपने उत्पादन का संतोषजनक मूल्य मिलेगा और न उपभोक्ता को ही उचित क्वालिटी की खाद्य सामग्री मिल पाएगी । कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी को सुधार कर गावों में ही अधिक मूल्य वाले उत्पादों को तैयार किया जा सकेगा ।

निर्यात की जाने वाली सभी जिन्सों के उत्पादन और कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी में सुधार होना अत्यंत आवश्यक है । उदाहरण के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि निर्यात किए गए सभी उत्पाद कीटनाशकों के अवशेष से रहित हों । यदि हम निर्यात उत्पादों की क्वालिटी को बनाए रखने और उनकी सप्लाई को निर्बाध रखने पर ध्यान दें तो अनेक नई जिन्सों के लिए भी विदेशों में अच्छा बाजार प्राप्त कर सकते हैं ।

5. रोजगार और आय में वृद्धि

इस समय हमारे सामने लाभप्रद रोजगार के अवसर जुटाने की भयावह समस्या खड़ी है और कृषि के क्षेत्र में ही अधिकतर रोजगार प्रदान करना होगा, इसलिए अब हमारा लक्ष्य केवल उत्पादन में वृद्धि नहीं बल्कि रोजगार में वृद्धि और अधिक आय प्राप्त करने का होना चाहिए । दुफसली खेती और कटाई के पश्चात् उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा तत्काल अधिक आय और रोजगार के अवसर जुटाए जा सकते हैं । विभिन्न बहुफसली पद्धतियों में मजदूरों की आवश्यकता और प्रति वर्ष उपज व्यौरे के आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ फसल-चक्रों से रोजगार के काफी अवसर जुटाए जा सकते हैं । फसल-चक्रों में आलू को शामिल करने से रोजगार के अवसर विशेष रूप से बढ़ जाते हैं, जैसे कि उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में मक्का ब-आलू-आलू और धान-आलू आलू वाले क्रमश तीन फसलों के चक्र में क्रमशः 396 और 450 श्रम-दिवस की आवश्यकता होती है । मक्का-आलू-आलू-आलू-मूंग वाली चार फसलों के चक्र में लुधियाना में 488 श्रम-दिव की आवश्यकता होती है । इन फसल-चक्रों से प्रति हैक्टर लगभग 59 क्विंटल आनाज और 384 क्विंटल आलू की उपज मिली ।

6. दलहनों के उत्पादन में सुधार

सभी सिंचित फसलों में अकेली अथवा अन्तरवर्ती फसल के रूप में दलहनी फसलों को उगाया जाना चाहिए । असिंचित क्षेत्रों में भी दलहनी फसलों में सुधरे तरीकों के द्वारा इनकी उपज बढ़ाई जा सकती है । सभी प्रकार के बाग-बगीचों में दलहनों और चारे की फलीदार फसलों को अन्तरवर्ती फसलों के रूप में उगाया जाना चाहिए ।

(शेषांश पृष्ठ 13 पर)

सामयिकी

वन्य जीवों की रक्षा

डा० रामगोपाल चतुर्वेदी

हाल ही में इण्डिया इण्टरनेशनल सेंटर में बनजीवों की रक्षा के बारे में वैज्ञानिकों और शासन के अधिकारियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बनजीवों की रक्षा के विचार के समर्थक लोग भी शामिल हुए ? इस गोष्ठी में मुख्यतः इस बात पर विचार किया गया कि देश में बाघों की तेजी से मिटती हुई हस्ती को कैसे बचाया जाए ? आज हालत यह हो गई है कि बनजीवों का विनाश इस तेजी से हो रहा है कि अनेक जंगली जानवरों का लोप होने का खतरा सामने है। सवाल यह है कि वर्तमान स्थितियों में इस समस्या का कोई कारगर हल कैसे निकाला जाए। इसके लिए जरूरी है कि बनजीवों की रहन-सहन की आदतों का अध्ययन किया जाए और इस प्रकार की समुचित व्यवस्था की जाए जिससे बनजीव सुरक्षित रह सकें। इस गोष्ठी में खासतौर पर बाघ की दिनोंदिन घटती हुई संख्या पर चिन्ता प्रकट की गई।

इस अवसर पर भारत के गृह-मंत्री श्री एच० एम० पटेल ने अपने विचार विस्तार से प्रकट किए। बनजीवों की सुरक्षा के लिए बनाए गए बोर्ड के वे अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कारगर कदम नहीं उठाए गए तो उनके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि बनजीवों की सुरक्षा के लिए बड़े-बड़े सफरी पार्क स्थापित किए जाएं, बल्कि हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में बनजीव आजकल मौजूद है, उन क्षेत्रों की परिस्थितियों को बरकरार रखा जाए और ऐसे उपाय काम में लाए जाएं, जिससे उनके विनाश पर रोक लग सके। जहां तक बाघ संबंधी प्रायोजना का ताल्लुक है, यह कहा जा सकता है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है और जनता में बनजीवों की मिली हुई विरासत के प्रति जागृति पैदा हुई है। लेकिन बिना जनसहयोग के ऐसी योजनाओं पर सफलतापूर्वक अमल नहीं किया जा सकता। इसलिए इस गोष्ठी में ऐसे उपायों पर गौर किया गया जिससे सम्पूर्ण वन प्राणियों का कल्याण हो सके। प्रश्न केवल बाघ की रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समस्त बन-प्राणियों के अस्तित्व को बचाने का है।

आगे गृहमंत्री ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि बाघों की सुरक्षा का लक्ष्य किन साधनों से प्राप्त किया जाए? उनका कहना था कि शासन केवल सरकारी हुकुम चला कर इस उद्देश्य को हासिल करना नहीं चाहता। इसकी बजाय, जनता के बल पर उन क्षेत्रों में जहां, बनजीवों का विनाश होता है शासन ऐसे कारगर उपाय अपनाना चाहेगा, जिससे जनता में बनजीवों की सुरक्षा की भावना घर कर सके। इसीलिए यह आवश्यक है कि जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, वे अपनी कर्तव्य निष्ठा के अलावा, अपनी सूझबूझ और दक्षता का परिचय दें। तभी यह संभव हो सकता है कि बनजीवों के विनाश की रोकथाम सफलता से की जा सके।

इस गोष्ठी में दो अन्य प्रश्न उठाए गए— एक तो यह था कि क्या बाघ आदमी के खून का चस्का लग जाने के बाद आदमखोर हो जाते हैं ? दूसरा सवाल यह था कि क्या एक बार मानव मांस का स्वाद कर लेने पर बाघ मानव मांस का आदी हो जाता है? इस सवाल का उत्तर देते हुए एस० आर० चौधरी (जो स्वयं इस विभाग के अधिकारी हैं) ने बताया कि उनका तजुर्बा कुछ भिन्न है। उन्होंने खुद एक बाघिन अपने घर में पाली हुई है। उसे कई बार आदमी के खून का जायका मिल चुका है फिर भी वह मानव मांस के प्रति विशेषरूप से कोई खास रुचि नहीं दिखाती।

इसी सिलसिले में कई सालों के अध्ययन के बाद ए० बी० चौधरी और के० चक्रवर्ती ने बाघों को जुदा-जुदा श्रेणियों में बांटा है। उनका कहना है कि सुन्दर बन के बाघों ने पिछले 16 सालों में 600 आदमियों में से जिन 80 प्रतिशत लोगों को अपनी चपेट में लिया है, उनके मारे जाने का समय था सुबह 7 से 9, दोपहर बाद 3 से 5 और रात के 11 बजे के आसपास। आमतौर पर बाघ मवेशियों के मांस को चाव से नहीं खाते और जब कभी वे ऐसा करते है तो उसे कुछ अजीब-सी हरकत कहा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने अपने विवरण में कहा है कि बाघ एक खास क्षेत्र में ही विचरण करते हैं और उनके इलाके में जो भी दखल देता है उसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे वे मौत के घाट उतार देते हैं। एक वैज्ञानिक विवरण में कहा गया है कि एक ही क्षेत्र के निवासी बाघ एक दूसरे को आपस में जानते-पहचानते हैं। और यही नहीं उस समूह का कौन सरगना है इसकी भी उन्हें समझ होती है।

इस अवसर पर उपप्रधान मंत्री श्री-जगजीवन राम ने सुझाव दिया कि बनों के विकास के लिए एक समन्वित कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा कार्यक्रम तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि भविष्य में कृषि की उपज में स्थिरता और अर्थव्यवस्था में संतुलन कायम रखा जाए। इसके अलावा दूरदर्शिता से काम लेकर इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत बनजीवों की सुरक्षा के कारगर उपाय भी शामिल किए जाएं। उनका कहना था कि इस ढंग से बनजीवन और बन्य जीवों की सुरक्षा दोनों उद्देश्य बखूबी प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सच बात तो यह है कि हमारे देश में बाघ की सुरक्षा का सवाल समूचे बन क्षेत्र, बन जीव और बन की बनस्पतियों के साथ जुड़ा हुआ है। केवल बाघ की सुरक्षा के बारे में अलग से सोचना ठीक नहीं है। यह व्यावहारिक नहीं है।

श्री जगजीवन राम ने इस बात पर

बल दिया कि जहां-जहां राष्ट्रीय पार्क हैं वहां-वहां हवाई जहाज के उतरने के के लिए पट्टियां बनायी जाएं और सैलानियों के लिए आवास का व्यापक प्रबन्ध किया जाए।

हमारा देश विशाल है। बहुत समय से हमारे देश में बनजीवियों का अद्‌भुत साम्राज्य रहा है। खेद है कि कुछ समय से इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा यह है कि अनेक बनजीव जैसे बनराज सिंह, गेंडा, जंगली भैंसा, चीतल (स्वर्ण मृग) आदि की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। वैसे बहुत पहले सन् 1952 में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया था। भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों ने भी इस दिशा में कुछ कदम उठाए थे। लेकिन ये उपाय अधिक कारगर साबित नहीं हुए। इसीलिए वैज्ञानिकों और बन अधिकारियों के सम्मेलन में इस समस्या पर विभिन्न पहलुओं से विचार किया गया।

बनजीवों की रक्षा का विचार हमारे लिए कोई नया नहीं। हमारे देश के प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बनजीवी रक्षा के लिए "अभयारण्य" का उल्लेख किया गया है। वनजीवों को यहां पर अभयदान प्राप्त था। आज भी यह जरूरी है कि खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां बनजीवी हैं, ऐसी स्थितियां पैदा की जाएं कि बन्य जीव निर्भरता से विचरण कर सकें। यह सवाल बन विभाग से नहीं, बल्कि देश के भू-भागों से गुथा हुआ है। इसीलिए इस सवाल पर समग्र रूप से सोचना-विचारना लाजिमी है। ●

जनजातीय युवा वर्ग और विकास के आयाम

गोविन्द दास काबरा

किसी भी समाज में परिवर्तन लाने के लिए समाज के युवा वर्ग की विशेष भूमिका होती है। समाज को एक निश्चित दिशा में विकास करने के प्रयास में तो युवा वर्ग की जिम्मेदारी और उसकी महत्ता को भुलाया ही नहीं जा सकता। भारत के जनजातीय विकास में भी उस समाज के युवा वर्ग की यही स्थिति है। किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट है कि समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जनजातीय युवा वर्ग अपने समाज से संबंधित एवं प्रभावित तो होता ही है, किन्तु अब वह बाह्य समाज के सम्पर्क में भी आ रहा है और उससे भी प्रभावित हो रहा है।

भारत में वस्तुतः अब पूरा जनजातीय समाज एक पृथक् समुदाय के रूप में नहीं रह गया है। व्यापारियों, महाजनों, ठेकेदारों, सरकारी कर्मचारियों, स्वयं सेवी संस्थानों आदि का प्रवेश जनजातीय समाज में कम या अधिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में हो गया है। यह सम्पर्क अब बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि विभिन्न कार्यक्रम एवं उत्पादन कार्य इन क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए हैं। अशिक्षित और शिक्षित आदिवासी शहरों में भी आने-जाने लगे हैं। इस लेख के द्वारा यह विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है कि जनजातीय युवावर्ग एवं जनजातीय समाज के बाह्य समाज से सम्पर्क एवं संबंधों की प्रकृति क्या है ? समस्याओं एवं विकास कार्यक्रमों की स्थिति क्या है ? शोषण की प्रक्रिया को रोककर विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करने की पद्धति क्या हो सकती है ? और इन सब कार्यों में जनजातीय समाज के युवा वर्ग द्वारा कौन-कौन सी भूमिकाओं की संभावना हो सकती है ? इस विषय की विवेचना, व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, करने के लिए राजस्थान के उदयपुर जिले की बड़गांव पंचायत समिति के बरड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र की परिस्थितियों को आधार बनाया गया है। इस ग्राम पंचायत के कुल 8 गांवों में से 5 गांव जनजातीय-बहुल गांव हैं—वहां की जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की 90 प्रतिशत से अधिक है। शेष 3 गांवों में भी जनजातीय परिवार काफी संख्या में हैं। ये जनजातीय गांव अभी भी पक्की तथा बारहमासी सड़कों के द्वारा आपस में व शहर से जुड़े हुए नहीं हैं। यहां के गमेती आदिवासी कृषि कार्य करते हैं, इन गांवों में पाई जाने वाली पत्थरों की खानों में मजदूरी करते हैं और जंगल में से जलाऊ लकड़ियां काटकर तथा उसे सिर पर रखकर शहर जाकर बेचने का कार्य करते हैं। आदिवासी व्यक्ति, विशेषकर युवक शहर में जाकर निर्माण कार्यों में कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के रूप में भी कार्य करते हैं क्योंकि गांव में कृषि-भूमि बहुत कम होने से शहर में जाकर रोजगार तलाश करना आवश्यक हो गया है। गांव में जो कुछ कृषि भूमि है उसमें सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु कुछ आदिवासी कृषकों ने भूमि विकास बैंक से कुआ व डीजल पम्प हेतु ऋण लिया है। इस क्षेत्र में विद्या भवन रूरल इंस्टिट्यूट के ग्राम्य विकास केन्द्र द्वारा तथा सेवा-मंदिर द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाकर विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने का भी प्रयास किया गया है।

जनजातीय समाज और बाह्य समाज में सम्पर्क और आदान-प्रदान की प्रक्रिया को अधिक गहराई से विश्लेषण करने की आवश्यकता है । विशेषकर इसे जनजातीय क्षेत्र के प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों की दृष्टि से समझना आवश्यक है । इन संसाधनों का किस प्रकार व किस सीमा तक शोषण हुआ है और हो रहा है, इन संसाधनों के विकास की क्या संभावनाए शेष हैं और कैसे ये संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं ? ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर या समाधान प्राप्त करने पर ही उस क्षेत्र के जनजातीय समाज का विकास और भविष्य निर्भर होगा ।

बरड़ा ग्राम पंचायत के जनजातीय गांवों का अवलोकन करने पर प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति शोचनीय पाई गई । इस ग्राम पंचायत में लगभग 56 प्रतिशत क्षेत्र वन के अन्तर्गत हैं, किन्तु वन के नाम पर वहां केवल उजड़ी एवं नंगी पहाड़ियां हैं । केवल एक बहुत सीमित क्षेत्र को छोड़कर पहाड़ियों पर कहीं वृक्ष दिखाई नहीं देते । कृषि के लिए उपयुक्त भूमि अपर्याप्त है, कुल क्षेत्रफल के केवल 9 प्रतिशत क्षेत्र पर ही कृषि कार्य होता है और इस कृषि भूमि का भी दो तिहाई भाग असिंचित है । पहाड़ी जमीन में कठोर पत्थर होने के कारण कुओं से पर्याप्त और वर्ष भर पानी प्राप्त नहीं हो पाता । वर्ष में लगभग 25 इंच वर्षा होती है और इस क्षेत्र में पर्याप्त एनीकट न बने होने के कारण यह पानी भी झरनों से होता हुआ मरदानी क्षेत्र की ओर तालाबों में चला जाता है ।

वन एवं कृषि के अतिरिक्त इस क्षेत्र का एक और महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है—पत्थरों की खानें । किन्तु इसका लाभ भी शहर के ठेकेदारों को अधिक मिलता है ।

इन गांवों के गमेती कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के रूप में पत्थरों की खानों में कार्य करके 3 से 5 रुपये प्रदिदिन प्राप्त करते हैं और खान विभाग से लीज़ पर ली हुई इन पत्थर-खानों से होने वाले लाभ का बड़ा भाग वस्तुतः ठेकेदार ही पाते हैं ।

मानवीय संसाधनों की दृष्टि से भी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं । इस ग्राम पंचायत के पांच जनजातीय गांवों में जनजातीय जनसंख्या लगभग 1800 है । ये लोग अधिकांशतः अशिक्षित हैं और परम्परागत कृषि कार्य के अलावा इनमें अन्य कुशलता या योग्यता नगण्य सी है । कृषि-भूमि बहुत कम या नहीं होने के कारण इन्हें वर्ष भर कृषि में रोजगार नहीं मिल पाता । बेरोजगारी के समय में पुरुष, स्त्री व बच्चे पास के जंगल से जलाने की लकड़ी काटकर और शहर में बेचकर बहुत थोड़ी आय कर पाते हैं । इससे बचे हुए जंगलों को भी हानि पहुंच रही है । समय-समय पर सूखा पड़ने से कृषि से प्राप्त उपज भी कम या नहीं के बराबर हो पाती है । इस सारी स्थिति में इन जनजातीय लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न स्तर का हो गया है । सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए विकास कार्य व उनके लाभ प्रायः यहां तक पहुंच नहीं पाते हैं । शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हो पाई है । केवल प्राथमिक शालाएं इन गांवों में खोली गई हैं, जिनमें भी अध्यापक प्रायः नियमित रूप से नहीं पहुंचते हैं और विद्यार्थियों की संख्या व उपस्थिति भी बहुत कम होती है ।

प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों की इस कठिन एवं शोषणयुक्त परिस्थिति में विकास की संभावनाओं को खोजना तथा उस दिशा में सक्रिय होना एक बड़ी चुनौती है । विद्या-भवन रूरल इंस्टिट्यूट एवं सेवा-मंदिर द्वारा बाहरी तथा स्थानीय सहयोग से धार गांव तक सड़क बनाना, प्रौढ़शाला प्रारंभ करना, सहकारिता संगठन बनाना, एनीकट बनाना ऐसे कुछ विकास कार्य प्रारंभ हुए हैं किन्तु इससे समस्याओं के बाहरी आवरण तक ही पहुंच हो पाई है । प्राकृतिक एवं सामाजिक जटिल व कठिन परिस्थितियों में से किस प्रकार समग्र विकास की राह निकाली जाए यह अभी भी एक प्रश्न चिह्न है ।

वस्तुतः इसके लिए एक ऐसी रणनीति की आवश्यकता है जिससे क्षेत्र के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के प्रयास साथ-साथ प्रारंभ किए जाएं । ये प्रयास इस प्रकार के हों जिससे कुछ मूलभूत संरचनात्मक परिवर्तन किए जाएं जोकि विकास की प्रक्रिया को गति देने के साथ-साथ उसे संतुलित और संस्थात्मक रूप दे सकें । यह संरचनात्मक परिवर्तन दो स्तरों पर होना आवश्यक है : एक तो कुछ सरकारी विभागों की नीतियों में ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन हों जिनसे जनजातीय क्षेत्र के लोगों को विशेष सुरक्षा एवं सुविधाएं प्राप्त हो सके तथा दूसरा, जनजातीय सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में ऐसा संरचनात्मक परिवर्तन हो जिससे इन लोगों की बिखरी हुई शक्ति को सामूहिक और संगठित रूप दिया जा सके ।

यहां इसी विचार को लेकर कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं कि किस प्रकार जनजातीय युवा वर्ग और स्वयंसेवी संस्थाएं इस प्रक्रिया में आगे आकर सरकार और जनजातीय समाज के सहयोग से विकास के विभिन्न आयाम इस प्रकार पैदा करें जिससे समस्याओं का अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन हल निकाला जा सके ।

1. इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं तीन प्रकार के भूमि साधनों से हैं : कृषि, वन-चारागाह (पशुपालन) तथा पत्थर की खानें । अतः इन साधनों के विकास के लिए योजना बद्ध रूप से कार्य किया जाए ।

2. वन विभाग तथा खान विभाग की वर्तमान नीतियों में परिवर्तन करके इन विभागों को इस क्षेत्र की सभी भूमि केवल इन्हीं गांवों के लोगों को दीर्घकालीन लीज़ पर देने के संबंध में नियम बनाए जाएं ।

3. इस क्षेत्र के युवा वर्ग के साधनों, उनकी कुशलता एवं रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके तीन वर्ग बनाए जाएं—एक वर्ग को कृषि उत्पादन की आधुनिक तकनीक में कुशल किया जाए और कृषि तथा सिंचाई विकास हेतु उन्हें उपयुक्त साधन उपलब्ध कराए जाएं । दूसरे वर्ग को वन लगाने, चारागाह विकसित करने और पशु नस्ल सुधार तथा उन्नत पशुपालन में प्रशिक्षित कर इस कार्य में लगाया जाए । इन प्रत्येक जनजातीय गांवों में लगभग 700–800 एकड़ भूमि है । इसे उपयुक्त रूप से विभाजित कर इकाइयां बनाई जा सकती हैं जहां कि वन विकसित करने, उससे चारा प्राप्त करने का कार्य और उसके आधार पर पशुपालन का कार्य अलग-अलग युवकों/परिवारों को सौंपा जा सकता है या कुछ सामूहिक उत्पादन इकाइयां बनाई जा सकती हैं ।

युवकों के एक तीसरे वर्ग को पत्थर की खानों, पत्थर निकालने के कार्य व उसकी व्यवस्था में कुशल करने की आवश्यकता है ।

जनजातीय युवकों के ये तीन वर्ग कोई स्पष्ट रेखा से विभाजित किए जाएं यह

आवश्यक नहीं है किन्तु मोटे रूप में ऐसी व्यवस्था से विशेषीकरण और जिम्मेदारी की सुविधा हो जाएगी ।

4. कृषि, वन-चारागाह-पशुपालन तथा पत्थरों की खानों के इस विकास कार्य में धन की आवश्यकता होगी । 'कार्य के लिए भोजन' (फूड फार वर्क) योजना के अन्तर्गत एनीकट निर्माण, वनरोपण एवं चारागाह सुधार के कार्य किए जा सकते हैं । 'सामाजिक वन' योजना के अन्तर्गत भी केन्द्र सरकार द्वारा धन राशि प्रदान की जाती है या पत्थरों की खान के संचालन के लिए प्रारंभ में कम ब्याज या ब्याज रहित ऋण की आवश्यकता होगी । औद्योगिक प्रतिष्ठान इस कार्य में सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं । इन सभी कार्यक्रमों के लिए गांवों के युवकों के आवश्यक संगठन बनाने होंगे ।

5. इन विकास कार्यों में विभिन्न सरकारी विभागों से भी विशेषीकृत सहायता की आवश्यकता होगी । कृषि विभाग द्वारा कृषि व सिंचाई संबंधी जानकारी, पशुपालन-विभाग द्वारा पशुओं की नस्ल सुधार सबंधी प्रशिक्षण एवं सुविधा, वन-विभाग द्वारा उपयुक्त बीज व पौधों की पूर्ति तथा वनरोपण संबंधी मार्गदर्शन, बैंक द्वारा ऋण की व्यवस्था इत्यादि । जनजातीय युवकों को इन सब सुविधाओं को प्राप्त करने की दिशा में स्वयंसेवी संस्था मार्गदर्शन करने व संबंध स्थापित करने का कार्य कर सकती हैं ।

6. स्वयंसेवी संस्थाओं को इस सारी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता होगी । युवकों व प्रौढ़ व्यक्तियों को विकास कार्यों व उसके लाभ के प्रति जागरूक करना, युवकों को विशिष्ट कार्यों में प्रशिक्षित कर उनमें नेतृत्व का गुण पैदा करना, उत्पादन कुशलता बढ़ाना और जब तक नई उत्पादन व संचालन की तकनीक को युवक आत्मसात नहीं कर पाते तब तक कुशल कार्यकर्ताओं द्वारा उनके संचालन व मार्गदर्शन की व्यवस्था करनी होगी । इसके साथ-साथ कुछ सामूहिक या सामुदायिक रूप से संगठित होकर कार्यक्रम चलाने की भी आवश्यकता होती है, जैसे उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचना या बाजार से उपभोग या उत्पादन के लिए सामग्री प्राप्त करना—इसके लिए भी स्वयं-सेवी संस्थाओं द्वारा युवकों को सहकारिता में प्रशिक्षित करके इस दिशा में मार्गदर्शन करना होगा ।

विकास के इन विभिन्न आयामों में युवावर्ग को महत्वपूर्ण स्थान देने के प्रमुख कारण हैं । एक तो युवा वर्ग नई तकनीक और व्यवस्था को अपनाने में अधिक कठिनाई अनुभव नहीं करता और उत्साह भी दिखलाता है । दूसरे, युवा वर्ग को अलग-अलग विषयों में प्रशिक्षित करने और विशेषीकृत ज्ञान देने से समुदाय में नेतृत्व की द्वितीय पंक्ति तैयार होती है । तथा तीसरे, जनजातीय समाज और बाह्य-समाज में संबंध स्थापित करने, आदान-प्रदान तथा शोषण रहित संतुलन बनाने में जनजातीय युवावर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है । युवावर्ग संगठित होकर, उचित मार्गदर्शन से, विकास और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता है ।

ग्रामीण विकास के लिए किसी सामान्य योजना प्रारूप के स्थान पर यदि उपरोक्त प्रकार से स्थानीय सभी प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए युवकों को सक्रिय किया जाए तो विकास की प्रक्रिया को गति मिल जाएगी । निश्चित ही सरकारी विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा भी विकास के इन आयामों में योगदान व मार्गदर्शन देना आवश्यक है जिससे जनजातीय समाज में संरचनात्मक परिवर्तन लाने और इन परिवर्तनों को संस्थात्मक रूप देने में जनजातीय युवावर्ग समर्थ हो सकें और जनजातीय समाज राष्ट्रीय जीवन की प्रमुख धारा से जुड़ सके । ●

व्याख्याता' समाज शास्त्र
विभाग, विद्याभवन रूरल
इंस्टिट्यूट, उदयपुर 32

दरिद्रता से सम्पन्नता की ओर .. .. [पृष्ठ 9 का शेषांश]

तिलहनी फसलों की स्थिति जैसे तोरिया, सरसों तिल, सूरजमुखी आदि की स्थिति भी दलहनों जैसी है। हमें एक समाकलित तिलहन उत्पादन नीति अपनानी चाहिए जिससे निम्न चारों स्रोतों से उत्पादन को बढ़ाया जा सके :

1. नारीयल जैसे बारामासी तिलहन
2. मूंगफली, तोरीया और सरसों
3. गौण तिलहन जैसे महुआ, नीम, आदि ।
4. उन्नत प्रौद्योगिकी प्रक्रिया जैसे चोकर का तेल, मक्के की गांठों का तेल, आम की गुठली का तेल, आदि ।

7. निष्कर्ष

हमें यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि परम्परागत तरीकों में परिवर्तन लाने पर लाभ के साथ-साथ कुछ नई समस्याएं भी उठ खड़ी होती हैं । पर्याप्त अनुसंधान और प्रशिक्षण के आधार के बिना विकास कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते । सौभाग्य से इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रायोजित कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय अनुसंधान सस्थानों और अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं की एक राष्ट्रीय शृंखला उपलब्ध है । असिंचित क्षेत्रों में भी वर्षा के जल को इकठ्ठा करके रखने की बड़ी क्षमता मौजूद है । अतः अनुकूल प्रौद्योगिकी को विकसित करके हम कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि लाकर सम्पन्नता की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं ।

अनुवादक व रूपान्तरकार
जगदीश नारायण
हिन्दी अधिकारी
कमरा-235, एफ विंग,
शास्त्री भवन
नई दिली-11000 ।

कृषि विकास का नया कार्यक्रम

राधा कांत भारती

अपने देश भारत के कतिपय इलाकों में प्रयोग के स्तर पर कृषि विकास के कार्यक्रमों तथा उन से प्राप्त लाभों को देख कर कई नई विकास योजनाएं आरंभ की गई हैं। ऐसा देखा गया है कि कृषि और सिंचाई के विशेषज्ञों द्वारा उन्नत कृषि के तरीकों से मिलने वाले लाभ को गांव के किसान अब समझने लगे हैं। यही नहीं, अब ग्रामीण नये विकास कार्यक्रमों में रुचि लेकर उसके कार्यान्वयन में सक्रिय सहयोग भी देने लगे हैं। विशेषकर विश्व बक से सहायता प्राप्त कमान क्षेत्र विकास के अंतर्गत राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों में कृषि विस्तार के अत्यंत उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। इन से प्रेरित होकर ऐसे विस्तार-कार्यक्रमों का क्षेत्र बढ़ाया गया है और कई अन्य राज्यों ने भी उत्साहपूर्वक इन्हें अपनाया है।

कार्यक्रम का उद्देश्य

विकास संबंधी नये कार्यक्रमों का उद्देश्य गांवों में किसानों के बीच कृषि संबंधी नए तरीकों की जानकारी को पहुंचा कर उसे कार्य रूप में परिणत करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर विशेषज्ञों द्वारा ग्राम सेवक तथा विकास कार्यकर्ता को पहले अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत समिति अथवा ग्रामों के समूह को अपनाया जाता है।

इस नई विस्तार प्रणाली की वास्तविक सफलता उस क्षेत्र के किसानों के साथ ही वहां लगे हुए कार्यकर्ताओं तथा विशेषज्ञ अधिकारियों की निष्ठा पर निर्भर है। अनुरूप वातावरण का निर्माण कर उद्देश्य की उपलब्धि हेतु कृषि कार्य, कृषक और कृषि विशेषज्ञों में प्रत्यक्ष समन्वय का रहना अनिवार्य है। इसके लिए यह देखना होता है कि वह क्षेत्र विशेष किस प्रकार का है और वहां की कृषि संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं। साथ ही क्षेत्र के खेतिहरों की संभावित समस्याओं पर ध्यान रखने की भी जरूरत होती है, जिससे विकास कार्य में बाधा बनने वाली समस्याओं को पहचान कर समयानुसार निदान किया जा सके।

ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए कृषि क्षेत्र को निकट के कृषि विश्वविद्यालय या कृषि अनुसंधान संस्थान से समन्वित किया जाता है जिससे वहां की समस्याओं के समाधान के लिए उच्च स्तरीय अनुसंधान कार्य संभव होता है। इस प्रकार कृषि विज्ञान को अनुसंधान की नई दिशा मिलती है तथा कृषकों को अपनी समस्याओं के उचित समाधान से व्यावहारिक और वास्तविक लाभ प्राप्त होते हैं। इसमें प्रोफेसर और कृषि-वैज्ञानिक के साथ ही कृषि-विकास अधिकारी तथा ग्रामीण कृषक कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं।

इस कार्यक्रम के अनुसार समस्याग्रस्त क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने की योजना भी है, जिसके अनुसार कार्यान्वयन में उत्पन्न समस्याओं पर गौर करने के लिए विशेषज्ञों की बैठक बुलाने की भी व्यवस्था है। इसके साथ ही यह भी ध्यान दिया जाता है कि किसी विशेष फसल में कोई बीमारी लग जाने के क्या कारण हैं। ऐसी समस्याओं के लिए विस्तार अधिकारी तथा कार्यकर्ता गण इलाके के किसानों से भी संपर्क करते हैं और उन्हें विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने का मौका प्रस्तुत करते हैं। इस व्यवस्था से ऐसी संभावना बनी है कि ग्रामीण किसानों की झिझक दूर होगी और वे खेती के नए तरीकों से अवगत होकर उन्हें शीघ्र अपना लेंगे। दूसरी ओर वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों तथा अनुसंधान कर्ताओं को भी वास्तविक स्थिति और प्रगति का व्यावहारिक ज्ञान मिलता रहेगा।

व्यावहारिक श्रम समुपयोजन

पहले के अनुभवों से ऐसा मालूम हुआ है कि श्रम के उचित उपयोग के अभाव में योजना का निहित उद्देश्य ठीक प्रकार से पूरा नहीं किया जा सका और कई क्षेत्रों में कार्य में ऐसा विलम्ब होता रहा है। इस अनुभव से लाभ उठाते हुए नये कार्यक्रमों में ऐसी व्यवस्था है कि खेतिहर श्रमिकों को उचित जानकारी देकर उन्हें भी इन कार्यक्रमों का अंग बनाया जाए। इससे यह लाभ होगा कि खेती के कार्य में लगे हुए अधिकाधिक लोगों को व्यावहारिक रूप में नई और वास्तविक जानकारी मिल सकेगी। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान अथवा सरकारी कृषि अनुसंधान केन्द्र के साथ प्रयोगशालाओं और कृषि क्षेत्र तथा किसानों की एक शृंखला का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे उचित समन्वय से वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों तथा किसानों और कृषि मजदूरों को पर्याप्त लाभ होगा, ऐसी आशा है।

काम के बदले अनाज

इस काम को बढ़ावा देने के लिए काम के बदले अनाज की योजना भी यथेष्ट रूप में प्रेरक साबित हो रही है। 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही उसका महत्व भी बढ़ रहा है। यह कार्यक्रम विशेषकर दूर-दराज के क्षेत्रों में खाद्यान्नों के मूल्य स्थिर बनाए रखने में सहायता कर रहा है। इसके अतिरिक्त, भूमिहीन श्रमिकों की खरीदने की शक्ति भी बढ़ी है। कमी वाले महीनों के दौरान जब उनके पास काम नहीं होता तो वे ऐसे लोगों के हाथों में आ जाते हैं जो उनका शोषण करते हैं और बंधक बन जाते हैं, इस कार्यक्रम के लागू होने से वे बंधक बनने से वे मुक्त हो पाए हैं और उनका शोषण भी समाप्त हो रहा है।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने क्षेत्र की स्वयं सेवी एजेंसियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने और सहयोग देने के लिए आमंत्रित करें। अतिरिक्त साधनों के रूप में राज्य सरकारों को खाद्यान्नों की सप्लाई की जाती है। खाद्यान्नों के वितरण के लिए कूपन प्रणाली का सुझाव दिया गया है ताकि खाद्यान्नों के दुरुपयोग की संभावनाओं

को दूर किया जा सके। इस प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों का वितरण उचित दर की दुकानों के मार्फत किया जाता है और श्रमिकों या मजदूरों से कूपन ले लिया जाता है। मजदूरों को ये कूपन काम करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी बांटता है और वेतन के स्थान पर कपन दिए जाते हैं ताकि मजदूर अनाज प्राप्त कर सकें। श्रमिकों की सुविधा के लिए चलती-फिरती उचित दर की दुकानें चलाने का सुझाव पेश किया गया है ताकि श्रमिकों को उनके काम के स्थान पर ही अनाज दिया जा सके।

सम्पर्क और सीमा

ऐसा अनुमान लगाया है कि औसत रूप में एक कृषि विस्तार कर्मचारी 750 कृषक परिवारों को इस संबंध में नियमित जानकारी देते रहने में समर्थ हो सकता है। जब यह योजना पूर्ण रूप में चालू रहती है तो लगभग 30 लाख कृषक परिवारों के लिए 4000 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। व्यापक रूप में गांवों और कृषक परिवारों को अलग-अलग समूह तथा उपसमूह में विभाजित कर दिया जाता है। फिर ऐसा प्रबन्ध रहता है कि सप्ताह में एक दिन विस्तार कर्मचारी कृषक परिवार तक अवश्य पहुंच सके। प्रायः यह व्यावहारिक नहीं हो पाता है कि एक कर्मचारी हर कृषक के घर तक जा सके। इसलिए ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक उपसमूह से 8 या 10 किसानों को सम्पर्क किसानों के रूप में चयन कर लिया जाता है। इस प्रकार ऐसे कार्यक्रम के नए अनुदेश और अन्य जानकारी प्रत्येक सप्ताह हर किसान तक पहुंचाई जा सकती है। इस व्यवस्था को देखते हुए ऐसी संभावना है कि जानकारी देने वाले सम्पर्क किसान निकट भविष्य में आदर्श किसान के रूप में विकसित हो सकेंगे।

प्रशिक्षण की नई परम्परा

यह एक ज्ञात तथ्य है कि अपने देश तथा विदेशों में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में नई जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न तीव्र गति से हो रहा है। अनुसंधान और खोज कार्यों से प्राप्त नई जानकारी को किसानों तक पहुंचाने के लिए विस्तृत कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकारियों तथा कर्मचारियों का सहयोग लिया जाता है। इस उद्देश्य से नये कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति और जिला समिति स्तर पर पाक्षिक से मासिक बैठक का प्रावधान किया गया है। ऐसी व्यवस्था है कि जिला स्तर की बैठक में विषय के विशेषज्ञ शामिल होंगे और वे विस्तार अधिकारियों, कर्मचारियों तथा कुछ किसानों को नई जानकारी से अवगत कराएंगे।

इसके अलावा, ऐसी योजना है कि प्रत्येक दो महीने के बाद विस्तार कार्यकर्ताओं तथा विस्तार अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर दो दिनों के लिए एक लम्बी अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस प्रशिक्षण में क्षेत्रीय प्रयोग शालाओं तथा अनुसंधान केन्द्रों के विशेषज्ञ क्षेत्र की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के उपाय बतलाएंगे।

कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी के साथ ही नई किस्म के उन्नत औजार तथा सिनेमा और दूरदर्शन जैसे आधुनिक माध्यमों का यथोचित सहयोग दिया जाएगा। इसका निहित उद्देश्य यह है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में कृषि की नवीनतम जानकारी को कार्य रूप में परिणत किया जा सके। विभिन्न स्तरों पर समन्वय के लिए जिले को उप-विभागों में तथा उप विभागों को अनुमंडल और पंचायत समितियों में बांटा गया है। इनमें प्रशिक्षण और समन्वय के स्तर को ठीक बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण अधिकारियों की व्यवस्था की गई है।

विषेश प्रशिक्षण

नियमित विस्तार प्रशिक्षण के अलावा विभिन्न स्तर के कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। ऐसे विशेष प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम एक से लेकर दो सप्ताह तक की अवधि के लिए होते हैं जिन्हें क्षेत्र के अनुसंधान केन्द्रों या कृषि विश्वविद्यालयों में सम्पन्न किया जाता है। अभी उत्तर-प्रदेश के पंत कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान के उदयपुर विश्वविद्यालय तथा पंजाब और हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालयों में इस प्रकार व्यवस्था बनाई गई है। ऐसा प्रबन्ध देश के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में शीघ्र ही किए जाने की सम्भावना है। इस उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के अलावा ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों में भी अल्प अवधि के विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जा रही है।

विस्तार कर्मचारियों और कृषकों को विशेष प्रकार के प्रशिक्षण देने के लिए श्रेष्ठ प्रशिक्षकों की भी व्यवस्था होगी, इसे ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के उचित पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कतिपय प्रशिक्षकों को देश तथा विदेश के विश्वविद्यालयों में भेजा जा रहा है। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि खेतिहर कृषकों तक कृषि विज्ञान की नई और व्यावहारिक जानकारी पहुंचाने के लिए पर्याप्त संख्या में उचित कर्मचारियों और तकनीकी अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी। इस संदर्भ में कृषि विभाग, सिंचाई विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों को उचित संख्या में जन सहयोग देना होगा। इसके अलावा, जिला स्तर पर सूचना और संपर्क विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारियों को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना होगा जिसके लिए उन्हें नये ढंग के तरीकों को अपनाने का प्रशिक्षण दिया जाना भी एक अनिवार्य आवश्यकता है।

कृषि सेवा केन्द्रों का सहयोग

कृषि विस्तार के इस नये कार्यक्रम में कृषि सेवा केन्द्रों के सक्रिय सहयोग का बहुत बड़ा महत्व होगा। अब तक देश के ग्रामीण अंचलों में अनेक केन्द्र खोले जा चुके हैं जो व्यापक रूप में किसानों का सहयोग कर रहे हैं। इस समय देश में 2,864 कृषि सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इनमें से महाराष्ट्र में 346, राजस्थान में 334, मध्य प्रदेश में 301, पश्चिम बंगाल में 289, पंजाब में 275, बिहार में 242, आंध्र प्रदेश में 235, उत्तर प्रदेश में 207, तमिलनाडु में 185, कर्नाटक में 163, हरियाणा में 125, गुजरात में 109, उड़ीसा में 34, केरल और असम में 10–10 और जम्मू-कश्मीर में दो कृषि सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। ये केन्द्र निम्न प्रकार की सेवाएं कृषकों के लिए करते हैं :—

1. खेती के लिए मशीन तैयार करने, फसल की कटाई, नलकूपों की खुदाई, आदि के लिए मशीनों को किराये पर लेना।
2. कृषि उपकरणों आदि को स्थापित करना, उनका रख-रखाव और उनकी मरम्मत आदि करना,
3. पौधों का संरक्षण,
4. उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, बीजों, कृषि मशीनरी के पुर्जों, ईंधन तेल, चिकनाई आदि की बिक्री।

1977 में एक सर्वेक्षण किया गया था, जिससे पता चला कि ये केन्द्र किसानों को लाभदायक सेवाएं देते हैं। खेती को महंगी मशीने आदि जिन्हें किसान प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें उपलब्ध करने में यह विशेष सहायता प्रदान करते हैं।

कृषि सेवा केन्द्रों के उद्यमियों को सलाह दी गई है कि वे अपने कार्यों में विविधता लाएं और अपने केन्द्रों का विकास करें ताकि वे वितरण केन्द्रों का कार्य भी कर सकें। किसानों को एक स्थान पर हर प्रकार की सुविधाएं देने का अनुरोध इन केन्द्रों के उद्यमियों से किया गया है।

राज्य सरकारों के कृषि उद्योग निगमों को सलाह दी गई है कि वे कृषि उपकरणों मशीनरी आदि का वितरण इन केन्द्रों के के माध्यम से करें।

कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण

अब तक भारत के कई राज्यों में कृषि विकास के अन्तर्गत अनेक योजनाएं आरम्भ की गई हैं। इनमें कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तविक रूप में उन राज्यों में जहां सिंचाई की समस्या के साथ ही जल वितरण की समयानुसार व्यवस्था पर कार्य हो रहा है प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य-प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में प्राधिकरण का कार्य अच्छे ढंग से चल पड़ा है। कहीं-कहीं विभागीय समन्वय की जरूरत अनुभव की जा रही है। फिर भी सम्पूर्ण रूप में कृषि के लिए उचित जल व्यवस्था हेतु इसका कार्य सराहना के योग्य है। राजस्थान नहर योजना प्राधिकरण, महाराष्ट्र का गायकवाड़ी प्राधिकरण तथा बिहार के तीन प्राधिकरण इस दिशा में काफी अच्छा कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं। ऐसी आशा की जाती है कि अपने संबंधित विभागों से पूरा समन्वय स्थापित करने के बाद ये प्राधिकरण कृषि विस्तार कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकने में सक्षम हो जाएंगे।

विकास के नये आयाम

कृषि विकास के नए कार्यक्रम और उनके कार्यान्वयन की व्यावहारिक दिशा को देख कर अब ऐसा कहा जा सकता है कि शीघ्र ही हमारे गांवों में कृषि विकास की वास्तविक उपलब्धि का मधुर फल प्राप्त होने लगेगा। जैसा कि साबित हो चुका है कि कृषि विज्ञान में हुए अनुसंधान तथा खोज कार्यों को किसान तक पहुंचाकर उनसे यथेष्ट लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीण किसानों के सुन्दर समन्वय से कृषि विकास को एक नई दिशा मिलेगी, इसमें अब कोई सन्देह नहीं है।●

सेक्टर–5/820
रामकृष्णपुरम्,

ग्राम विकास की नींव : परिवार नियोजन

डा० योगेन्द्र नाथ शर्मा 'अरुण'

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् विकास के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने जो प्रगति की, उसे यदि सापेक्ष दृष्टि से देखा जाए तो कोई कारण ऐसा नहीं कि उस प्रगति को 'बहुमूल्य' तथा 'स्वार्णिम' जैसे सार्थक विशेषण न दिए जा सकें। सदियों तक पराधीनता' की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत जब आजाद हुआ था, तो विश्व के इस विशालतम गणतंत्र को विरासत में मिली थी 'समस्याएं' जिन्हें चुनौती मान कर भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया और नये भारत के स्वप्न को साकार करने में जुट गये। पंचवर्षीय योजनाएं बनीं, बांध बने, विशाल कारखाने बने, रेलों का जाल बिछाया गया, सड़कें बनीं, नहरें, ट्यूबवेल बना कर प्यासे खेतों की प्यास बुझाई गई और समृद्धि भारत के खेतों और खलियानों में बरस पड़ी। बाधाएं बहुत आईं कभी सूखा पड़ी, तो कभी बाढ़ आई और पड़ोसी देश चीन एवं पाकिस्तान के आक्रमणों ने 'निर्माण के सपनों' को झकझोर डाला।

यह सब भारत ने सहा, लेकिन सबसे बड़ी बाधा बन गई 'भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या' जिसने उत्पादन में होने वाली उल्लेखनीय वृद्धि को 'नगण्य' बना दिया और भारत की 'गरीबी' घटने के स्थान पर बढ़ने लगी। जनसंख्या के बढ़ने की गति जब खतरे का रूप लेने लगी तो राष्ट्र के नेतृत्व को सोचना पड़ा और 'परिवार नियोजन' की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए इसे राष्ट्रीय विकास का मूलमंत्र कहा गया।

आज से चौथाई शताब्दी पूर्व भारतीय व्यक्ति की औसत आयु केवल 32 वर्ष थी, जो पच्चीस वर्षों में बढ़कर 50 पर आ गई है। इसका कारण है—बढ़ी हुई स्वास्थ्य सुविधाएं, उन्नत खान-पान, स्तरीय रहन-सहन आदि। मृत्यु-दर घटकर प्रति हजार केवल 15 रह गई है, किन्तु जन्म-दर पर वांछित अंकुश नहीं लग पाने के कारण स्वाभाविक रूप से रुक गई है। और आज परिवार नियोजन हमारी राष्ट्रीय अनिवार्यता बन गई है।

ग्रामो में प्रसार की आवश्यकता

भारत की 80 प्रतिशत से भी अधिक जनता ग्रामों में रहती है, जहां शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, यातायात आदि की सुविधाएं अभी तक भी कम हैं। यह एक सन्तोषजनक तथ्य है कि भारत के नियोजन कार्यक्रमों को

यह '[illegible]' छाया जा रहा है, किन्तु इस क्षेत्र में 'दिखावा' अधिक हो रहा है, 'ठोस' कार्य कुछ कम ही किया जा सका है।

ग्रामों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपयोगिता का प्रचार तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है और ऐसा किए बिना हमारा 'परिवार नियोजन कार्यक्रम' सफल नहीं हो सकेगा। वास्तविकता है कि गांवों में गर्भवती स्त्रियों की मृत्यु संख्या आज भी चौंका देने वाली है और अपंग या अर्धविक्षिप्त या अविकसित शिशुओं के जन्म की संख्या भी गांवों में ही अधिक है।

शहरों में मनोरंजन के साधन व्यक्ति को 'व्यस्त' रखते हैं और शिक्षा की वृद्धि के साथ चिन्तन का स्तर तथा क्षेत्र भी बढ़ता है, जिस से स्वतः शहर का व्यक्ति छोटे परिवार का महत्व जान, समझ लेता है, किन्तु ग्रामीण जीवन की एकरसता (कभी कभी नीरसता भी) से ऊबा और थका हुआ व्यक्ति स्वयं को और कहीं व्यस्त नहीं कर पाता और उसका परिवार 'बढ़ता' ही जाता है।

भ्रांतियों का निराकरण बहुत जरूरी

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव और अत्यधिक भावुकता परिवार नियोजन के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बन गई है। कुछ ऐसी भ्रांतियां ग्रामीण व्यक्तियों में फैली हुई हैं, जिन्हें दूर किए बिना हम सफल नहीं होंगे। ये भ्रांतियां प्रमुखतः निम्न हैं :—

1. नसबन्दी से प्राकृतिक रति-सुख नहीं मिलता।
2. नसबन्दी कराने से त्वचा सम्बन्धी और-यौन रोग हो जाते हैं।
3. नसबन्दी कराने से दिमाग पर घातक असर पड़ता है।
4. नसबन्दी कराने से लैंगिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं।
5. स्त्रियों के बंध्यकरण से वे मोटी और भद्दी हो जाती हैं।
6. लूप लगाने से रक्त-स्राव कभी, रुकता हीं नहीं, आदि-आदि।

ये सब वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर जाना जा सका है, अतः मेरा निश्चित मत है कि इन भ्रांतियों का निराकरण कराया जाना 'प्रथम अनिवार्यता' है।

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के शिविर ऐसे योग्य तथा व्यवहार कुशल डाक्टरों तथा कर्मचारियों को लेकर लगाए जाने चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का दिल जीत कर उन्हें परिवार नियोजन के लिए प्रेरित कर सकें।

शिथिलता दण्डनीय होनी चाहिए

ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने पर आश्चर्यजनक तथ्य यह ज्ञात हुआ है कि परिवार नियोजन से सम्बन्धित डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों का व्यवहार गांव वालों के प्रति घोर उपेक्षा का रहता है। भेड़-बकरियों की तरह इन भोले लोगों की नसबन्दी करा दी जाती है, जिसका परिणाम बेहद घातक होता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में ऐसे बाधक तत्वों को दण्ड दिया जाना बहुत जरूरी है।

कुशल तथा योग्य कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाना भी इस योजना की सफलता का प्रमुख माध्यम बन सकता है।

दोहरा मानदण्ड छोड़ना होगा

लोकतंत्र की पुनर्प्रतिष्ठा ने अभूतपूर्व 'एकता' और 'राष्ट्रीयता' की भावना देश में जगाई है। इसे सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। अल्प संख्यक तथा 'बहु संख्यक' जैसे शब्दों की गुंजाइश परिवार नियोजन में नहीं होनी चाहिए। माननीय प्रधान मन्त्री ने अनेक बार स्पष्ट कहा है—परिवार नियोजन किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए है। लोक नायक श्री जय प्रकाश नारायण ने भी ग्राम सहमति लेकर इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को अपनाने की बात कहकर दोहरे मान दण्ड अपनाने की प्रवृत्ति को बुरा बताया है।

वास्तव में परिवार नियोजन आज 'जीवन-मरण' का प्रश्न है। यह भारत की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है जिसमें प्रत्येक 'राष्ट्रीय हित चिन्तक' को योगदान देना चाहिए, ताकि विकास का लाभ जन-जन तक पहुंच सके। ●

रीडर और अध्यक्ष (हिन्दी विभाग)
बी० एस० एम० कालेज, रुड़की
(उ० प्र०)

रोशनी

श्रीमती इन्दिरा परमार

भीतर आनन्द है
फली चारों तरफ
ज्योति की सुगंध है।

जीवन की बगिया में
लाभ है न लोभ है।
फूल हर प्रसन्न-मुख
न रंच मात्र क्षोभ है।

सहज-सरल खुशियों का
अनूठा प्रबन्ध है।

कब तक रहती आखिर
मुट्ठी में फुल झड़ियां
बिखर गईं टूट कर
भेद-भाव की कड़ियां।

अंधियारा क्या बोले
उसका मुंह बंद है।

नहीं किसी से कुछ भी
लेती है रोशनी।
हर सवाल का उत्तर
देती है रोशनी

बाहर है जगर-मगर
भीतर आनंद है। ●

भारत के आर्थिक विकास में कृषि-आश्रित उद्योगों की भूमिका

ब्रज मोहन अग्रवाल

भारत में वर्तमान आय का स्तर बहुत नीचा है। एक अमरीकी की प्रति दिनकी औसत आय रु० 72, एक जापानी की रु० 27 तथा एक अंग्रेज की रु० 27 के मुकाबले एक भारतीय की प्रति दिन की आय मात्रा रु० 1.50 है। नेशनल सेम्पल सर्वे के एक अध्ययन के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का 60 प्र.श. भाग गरीबी की दयनीय हालत में रहता है। इस सांख्यिकीय स्थिति से स्पष्ट है कि एक भारतीय का जीवन स्तर नीचा है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि हम अमरीकी या जापानी स्तर के समकक्ष न पहुंच सकते हों। हम अपने औद्योगीकरण को बढ़ावा देकर ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें अपनी शक्ति व साधनों का उपयोग कृषि-आश्रित उद्योगों की स्थापना में करना होगा। कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की प्रमुख आवश्यकता अपने देश की सब प्रकार की बेरोजगारी को रोकना है। श्री एस० के० डे ने कहा है कि 'सभ्य समाज का प्रथम उद्देश्य लोगों को पूर्ण रोजगार प्रदान करना है।' सारे समाज के संगठित विकास के लिए यह प्रारम्भिक आवश्यकता है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है लेकिन कृषि एक मौसमी व्यवसाय है जिसके कारण किसान के पास पूरे वर्ष के लिए काम नहीं होता। नेशनल सैम्पल सर्वे ने 1952-53 में अनुमान लगाया था कि एक किसान एक वर्ष में 104.9 दिन बेरोजगार रहता है और 1960-61 में 103.8 दिन बेरोजगार था। इनकी बेरोजगारी की समस्या का निवारण कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना करके किया जा सकता है। इससे न केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा अपितु कृषक ग्रामीणों की आय में भी वृद्धि होगी। जापान जिसको कि द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्णतया नष्ट कर दिया गया था उसने छोटे उद्योगों को अपने विकास का आधार बनाया। जापान के छोटे उद्योगों द्वारा तीव्र गति से विकास भारत जैसे विकाशशील देश के लिए मील का पत्थर हो सकता है। अतः हमें अपने देश के विकास के लिए कृषि-आधारित लघु-उद्योगों को बड़ी मात्रा में प्रोत्साहन देना होगा।

सामाजिक-आर्थिक महत्व

किसी विकासशील देश की आर्थिक समृद्धि उसके कृषि व उद्योगों के सम्बन्ध पर निर्भर करती है। हमारे देश में जनसंख्या के साथ-साथ आर्थिक असन्तुलन भी बढ़ रहा है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ लाख व्यक्तियों को शहरी औद्योगिक संस्थानों में लगा दें तो इससे बेकारी का उन्मूलन सम्भव नहीं और न कृषि पर जनसंख्या का भार ही कम किया जा सकता है। हमारी आर्थिक विकास की नीति इस प्रकार की भी होनी चाहिए कि वह ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की क्षेत्रीय असमानता को हटाए। कहना न होगा कि गांवों में कृषि-आधारित उद्योगों का विकास करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना से अर्थव्यवस्था को एक लाभ और है। देश के सर्वांगीण व सन्तुलित विकास के लिए कृषि पर पूर्णतया निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता हमें बेरोजगारी व अल्प उत्पादन की ओर ले जाती है क्योंकि दीर्घ-काल में अन्ततः उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होना प्रारम्भ कर देते हैं। अतः हमें यह स्वीकार करना होगा कि जब तक उद्योगों का विकास न होगा कृषि की समृद्धि सम्भव नहीं हो सकती।

अतिरिक्त रोजगार

जहां पर कृषि-आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो अक्सर उन्हीं क्षेत्रों में इनका विकास किया जाना चाहिए। इस प्रकार के उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में एक क्रान्ति लाएं। कृषि-आधारित उद्योग उनकी समस्या के निवारण के नए अवसर प्रदान करेंगे। कृषि-आधारित उद्योग लोगों की अतिरिक्त आय बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को सुधारेंगे।

अधिकतर फल व सब्जियां नाशवान प्रकृति की होती हैं। गन्ना व दवाई के पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं तो समय के व्यतीत होने के साथ-साथ उनके गुण में गिरावट आ जाती है। अतः जहां इनका उत्पादन किया जाता है वहीं छोटे कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना करके समय के कारण होने वाली बरबादी से बचा जा सकता है।

निर्यात

कृषि-आधारित उद्योग भारत जैसे विकासशील देश के लिए विकास का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा भी उपलब्ध करवाते हैं।

तालिका (1)

भारत के निर्यात व्यापार में कृषि-आश्रित उद्योगों का अंश (करोड़ रूपयों में)

नाम उद्योग	1950-51	1960-61	1970-71	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
अखरोट	0.9	0.14	0.19	0.27	0.28	0.44	—
काजू	12.10	18.80	59.82	74.50	82.00	118.10	95
काफी	1.3	11.90	25.10	32.90	46.00	53.30	64
जटा	7.3	10.60	13.80	14.90	15.50	17.90	20
सूती कपड़ा	115.8	198.40	154.20	158.30	308.80	332.40	371
जूट	112.20	162.80	189.70	247.20	225.60	295.60	225
लाख	8.3	8.7	4.9	6.3	14.3	24.3	27
तिलहन	24.2	11.6	—	74.7	170.4	96.0	—
रेशम	—	—	7.4	13.5	8.7	18.10	20
मसाले	41.10	16.6	38.8	30.0	52.4	61.0	70
चाय	126.90	124.4	149.2	147.0	190.0	224.0	240
तम्बाकू	14.10	14.80	29.2	63.0	68.4	82.0	91
चीनी	0.17	15.50	30.2	13.3	42.6	339.0	425
योग	474.0	510.0	701.0	876.5	1326.1	1662.1	1722

हाल के कुछ वर्षों में भारत का लघु-उद्योगों में उत्पादन गिर रहा है जिसका कारण विदेशी निर्यात बाजार में गला-काट प्रतिस्पर्धा का होना है। प्रथम योजना से लेकर अब तक भारत के निर्यातों में कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादन का प्रतिशत इस प्रकार रहा है :

तालिका (2)

वर्ष	निर्यात में कृषि-आधारित उद्योगों का प्रतिशत
1950-51	79
1960-61	77
1965-66	61
1974-75	51

निर्यातों में कृषि-आश्रित उद्योगों की गिरती हुई दर का प्रमुख कारण देश में जूट व कपास के उत्पादन में गिरावट रही है। अगर निर्यात में से इनके अंश को निकाल दिया जाए तो भारत के कृषि-आधारित उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि दर दृष्टिगोचर होगी।

कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत में कृषि-आश्रित उद्योगों में विकास न केवल रोजगार प्रदान करने तथा क्षेत्रीय असमानता को दूर के लिए आवश्यक है, अपितु विदेशी विनिमय मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से भी उपयोगी है। अतः इस दिशा में पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

हालांकि पिछले तीन दशकों में इनका तेजी से विकास हुआ है लेकिन देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए यह नाकाफी है। देश के तीव्र गति से विकास के लिए ग्रामीण शहरों के विकास स्तर के बढ़ते हुए अन्तराल को रोकने के लिए बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए तथा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए इनके तीव्र विकास को प्रोत्साहन देना ही होगा। ●

शोध छात्र
महारानी श्री जया (राज०) कालिज,
भरतपुर।

कोई भी मनुष्य मानव जाति से अधिक महान नहीं है।

त्रिपुरा में मछुआरों की सहकारी समितियों का विकास

आर० के० कनौजिया, उपनिदेशक, नागरिक संभरण एवं सहकारिता विभाग

भारत में मछली पकड़ने के अधिकांश तरीकों में सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। एक साधारण जाल का प्रयोग करने में भी कई मछुआरे लगते हैं। भारत के अविकसित अन्तस्थलीय राज्यों में अभी भी मछली पकड़ने के कार्य में आपस में एक दसरे की सहायता करने की परम्परा कायम है। अधिकतर मछुआरे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है। अत. अपना व्यवसाय समुचित ढंग से चलाने के लिए उनके पास न तो पर्याप्त धन होता है और न संगठित कार्यक्षमता। त्रिपुरा के अधिकांश मछुआरे भूतपूर्व पूर्वी-पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित लोग हैं। उनकी आर्थिक अवस्था बहुत ही दयनीय है। उन्हें अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाजनों और व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। अत: इस क्षेत्र को मत्स्य पालन में सहकारिता और संस्थागत वित्तीय सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

2. स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व त्रिपुरा मछलियों एवं मत्स्य उत्पादों संबंधी अपनी आवश्यकता को मुख्यत: भूतपूर्व पूर्वी बंगाल, अब बंगला देश से होने वाले आयात से पूरा करता था। उस समय चूंकि पूर्वी बंगाल से आयात अत्यधिक सुगम था, अत: त्रिपुरा के तत्कालीन शासकों ने अपने यहां मत्स्यपालन के विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। त्रिपुरा की अबादी भी उस समय वर्तमान आबादी का मात्र पांचवां हिस्सा थी। वर्तमान शताब्दी के पांचवें दशक के आरम्भ में केवल एक ऐसी सहकारी समिति गठित की गई जिसका उद्देश्य मत्स्यपालन था। यह समिति पुनर्वास मंत्रालय की प्रेरणा से गठित की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि रुद्रपुर झील के आस-पास मछुआरों को बसाकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था में सुधार लाया जाए। पुनर्वास-मंत्रालय का एक अधिकारी ही इसका पदेन अध्यक्ष था। यह समिति भली प्रकार चल रही थी और इसे काफी लाभ भी हो रहा था। अत: त्रिपुरा के अन्य भागों में रहने वाले मछुआरों को भी इससे प्रेरणा मिली और उन्होंने 13 मत्स्य-पालन सहकारी समितियां गठित कीं। इन सभी के सदस्य विस्थापित लोग हैं।

3. त्रिपुरा की मत्स्य पालन सहकारी समितियों का केवल एक स्तरीय ढांचा है अर्थात् यहां पर मछुआरों की प्रारंभिक सहकारी समितियां ही हैं जबकि भारत के विकसित अन्य राज्यों मे तीन स्तरीय व्यवस्था प्रचलित है। ऐसे राज्यों में प्रारंभिक समितियां जिला या क्षेत्रीय संघों से सम्बद्ध हैं। इसके ऊपर केन्द्रीय समितियां हैं जिनसे जिला या क्षेत्रीय संघ सम्बन्धित होते हैं। त्रिपुरा की मछुआरों की सभी 13 समितियां प्रारंभिक समितियां ही हैं। इन प्रारंभिक सहकारी समितियों का कार्यकलाप केवल व्यक्तिगत सदस्यों या मछुआरों के दलों को मछलियां पकड़ने के टिकट देने या कभी-कभी उन्हें ऋण देने तक सीमित रहता है। विक्रय की व्यवस्था मछुआरे स्वयं करते हैं।

4. त्रिपुरा जैसे अविकसित पर्वतीय राज्यों के मछुआरों की सहकारी समितियों को अत्यन्त अनोखी और जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। त्रिपुरा के अधिकांश मछुआरे विस्थापित लोग हैं और अन्य राज्यों की तुलना में इन की सामाजिक एवं आर्थिक दशा अत्यन्त दयनीय है। उनके पास इतना धन भी नहीं होता अत: वे सहकारिता कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संस्था की शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए एक शेयर (अंश) भी नहीं खरीद पाते। त्रिपुरा एक पर्वतीय राज्य है जो तीन तरफ से बंगला देश से घिरा हुआ है, अत: यहां पर बड़ी नदियों की सुविधाएं उपलब्ध नही हैं। 350 हैक्टेयर की एक झील को छोड़ कर त्रिपुरा में सरोवरी मत्स्यपालन के साधन है ही नहीं। डुमपुर में जल-विद्युत् परियोजना के कारण हाल में 150 हैक्टेयर के अवरुद्ध क्षेत्र का एक जलाशय बन गया है। अत: त्रिपुरा में मत्स्यपालन मुख्यत: तालाबों में होता है। त्रिपुरा में मत्स्यपालन सहकारिताओं की असफलता के लिए विशाल नदियो का अभाव और झीलों की कमी के साथ-साथ जिला स्तर पर संघीय और केन्द्रीय संस्थाओं का न होना तथा वहां के मछुआरों की अत्यधिक दयनीय अवस्था को जिम्मेदार माना जा सकता है।

5. त्रिपुरा के तीस हजार से अधिक मछुआरों को नदियों तथा झीलों जैसी प्राकृतिक मत्स्यपालन सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। मत्स्यपालन के लिए उन्हें पूर्णत तालाबों और नालों पर निर्भर करना पड़ता है। अधिकांश तालाबों तथा अन्य अवरुद्ध जल स्रोतों पर या तो उन लोगों का अधिकार है, जो मत्स्यपालन नहीं करते या फिर उन पर सरकार का कब्जा है। त्रिपुरा के मछुआरों की केवल दो सहकारी समितियों के पास अपने जल के स्रोत उपलब्ध हैं। एक दो सहकारी समितियों ने कुछ पोखर और तालाब सरकार

से पट्टे पर ले रखे हैं। अन्य समितियां अपना मत्स्यपालन व्यवसाय इसलिए नहीं कर पातीं कि उनके पास इस कार्य के लिए जल स्रोत नहीं है।

6. यह आवश्यक है कि मत्स्यपालन सहकारिताओं के वर्तमान ढांचे को बदलने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं। इसके लिए तीन-स्तरीय व्यवस्था की जानी चाहिए। अर्थात् मूल स्तर पर प्रारंभिक संस्थाएं और जिला स्तर पर संघीय संस्थाएं हों और राज्य स्तर पर एक केन्द्रीय संस्था हो। मूल सहकारी संस्थाएं उत्पादन का कार्य करें और संघीय तथा केन्द्रीय संस्थाएं, छोटी मछलियों, खाद तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने, मछलियों को पकड़ने तथा उन्हें तैयार कर बिकवाने की व्यवस्था करें। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल आदि में प्रयुक्त उत्पादन, वितरण और विक्रय के तरीकों जैसी व्यवस्था यहां भी की जानी चाहिए। मूल संस्थाओं का पुनर्गठन करके उनकी आर्थिक अवस्था सुधारी जानी चाहिए ताकि वे अधिक सक्षम बन सकें। सरकार अपने अधिकार के जल स्रोतों को निश्चित दरों पर दस-साला पट्टे पर सहकारी संस्थाओं को दे दें। सरकार सहकारी संस्थाओं के शेयर (अंश) खरीद कर संस्थाओं के साथ सहयोग करें। त्रिपुरा सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं और केवल सहकारी संस्थाओं को अंश राशि प्रदान की। रिजर्व बैंक ने भी मत्स्यपालन सहकारी संस्थाओं को धन उपलब्ध कराने के लिए अपने अधिनियम में संशोधन कर दिया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं सावधिक वित्तीय संस्थाओं को भी मत्स्यपालन सहकारी संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए वित्तीय सहायता सम्बन्धी शर्तों को उदार बनाकर धन दिया जाना चाहिए ताकि ये संस्थाएं जल स्रोतों को खरीद कर उन्हें विकसित कर वैज्ञानिक ढंग से मत्स्यपालन के उपयुक्त बना सकें। ऐसी सहकारी संस्थाओं के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा यह है कि इन सहकारी संस्थाओं के संचालन के लिए समुचित प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं मिल पाते। अतः तकनीकी एवं प्रबन्ध कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए उन्हें सहायता प्रदान की जानी चाहिए। जब तक सहकारी संस्थाओं के पास अपने प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध न हो जाएं तब तक के लिए अनुभवी एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों को उनमें लगाया जाना चाहिए। विक्रय, कोल्ड स्टोरेज (शीत-भण्डारण) तथा शुष्क एवं गीले रख-रखाव के तरीकों से तैयारी, बर्फ के कारखाने और भंडार आदि का विकास करने के लिए भी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा संघीय एवं केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

7. त्रिपुरा के मछुआरे चूंकि आर्थिक/सामाजिक ढांचे के कमजोर वर्ग से संबद्ध हैं और बिचौलियों द्वारा उनका शोषण लम्बे अरसे से चला आ रहा है, अतः आवश्यक है कि मछुआरों की सहकारी संस्थाओं का तेजी से विकास किया जाए। इस समय मछुआरे, विशेष कर शिक्षित मछुआरे, अपने कल्याणकारी कार्यकलापों में विशेष रुचि ले रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि संगठनात्मक परिवर्तन, सरकारी सहयोग, अधिकाधिक जल स्रोतों को पट्टे पर दिया जाना, वित्तीय सहायता, समुचित प्रशिक्षण और नियमित मार्गदर्शन आदि की व्यवस्था हो जाए तो थोड़े ही समय में त्रिपुरा के अन्तःस्थलीय मत्स्यपालन उद्योग में क्रांतिकारी विकास संभव हो जाएगा।

8. तालाबों के विकास, जालों, नौकाओं सवारियों आदि के खरीदने, भंडारों के निर्माण आदि के लिए मत्स्यपालन सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने एक योजना तैयार कर रखी है। राज्य के लिए योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि के अतिरिक्त ब्याज की सस्ती दरों पर धन उपलब्ध है। उपयुक्त परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी जा रही सहायता का लाभ उठाया जाना चाहिए। ●

अनुवादक: सतीश चन्द्र शुक्ल

जनसंख्या परिसीमन

[पृष्ठ 7 का शेषांश]

इसके बारे में क्या महसूस करते हैं ? क्या आप नहीं सोचते कि जनसंख्या वृद्धि के भार में हिस्सा बंटाने की नैतिक जिम्मेदारी पुरुषों को लेनी चाहिए ?

उत्तर : उसे शिक्षित किया जाना चाहिए; उसे समझना चाहिए कि नसबंदी उसके सामान्य यौन जीवन में बाधक नहीं होगी और नसबंदी तो मात्र ऐसी बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए है जिसकी वह वास्तव में कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वह बच्चों का पेट नहीं भर सकता, उन्हें पढ़ा नहीं सकता, तो उसे कोई हक नहीं है कि वह इन बच्चों को पैदा करे। मैं समझता हूं कि मुख्य जिम्मेदारी पुरुषों की है, अतः उन्हें इसके बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। मैं क्या कह सकता हूं ? मैं नहीं समझता कि कानून द्वारा इसका क्रियान्वयन संभव है, लेकिन यदि विशेषज्ञ इसे संभव समझते हैं, तो यही किया जाना चाहिए। यह हमारे देश की पहले नम्बर की समस्या है, इस बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है।

प्रश्न : महोदय, आपके सोखदेवरा आश्रम में स्वयं-जाकर देखने से मुझे ज्ञात हुआ है कि परिवार नियोजन को स्वास्थ्य से जोड़कर एक बहुत बड़े कल्पनाशील कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है और सोखदेवरा आश्रम में उस क्षेत्र में उपलब्ध ऐसी प्राकृतिक जड़ी-बूटियों की खोज की जा रही है जिनमें गर्भ-निरोधक गुण हों। यह जानकारी काफी आश्वस्त करने वाली है कि क्या आप यह महसूस करते हैं कि आज सभी तरह के व्यावहारिक गर्भ-निरोधकों का इस्तेमाल होना चाहिए और खास तौर से पुरुषों के बंध्यकरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए।

उत्तर : अवश्य, अवश्य। मैं ऐसा ही सोचता हूं।

[अनुवाद : योगेंद्र दत्त शर्मा]

गत 31 वर्ष से अर्थात् स्वराज्य प्राप्त होने के दिन से ही जो भी सरकार हमारे देश में बनी, आज तक भी सभी ने गांधी जी के मार्ग पर चलने की निरन्तर घोषणा की परन्तु वर्तमान परिस्थिति यह है कि गांधीवाद केवल मात्र दिखावा ही रह गया है। इसका पूरा समर्थन हमारे असली गांधी-भक्त और वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोरारजी देसाई ने अनेकों बार और अभी गांधी जयन्ती पर बहुत स्पष्ट शब्दों में किया और कहा कि अब जनता-राज्य में राष्ट्रपिता गांधी जी के बतलाए मार्ग पर ही पूर्ण निष्ठा के साथ सरकार चलेगी। उन्होंने यह बात खुले शब्दों में प्रकट की कि आजादी के गत 30 वर्षों में प्रायः सब कार्यक्रम गांधीजी की नीति के विरुद्ध ही चलता रहा है। इसका परिणाम सबके सामने है। देश में नागरिक जीवन, बीमारी पाप, दिखावा और परेशानी से युक्त हो गया है तो मानसिक संतोष और चैन कैसे मिले? खाने-पीने में बीड़ी, सिग्रेट और शराब चाय-काफी, कैम्पा कोला मैदे की डबल रोटी, बिस्कुट, बाजारी मिलावटी मिठाइयां, बीमार करने वाले डालडा जैसे जमे तेल, स्वास्थ्य-नाशक मसाले, कोल्ड स्टोरेज के विकार और संडाद युक्त फल और तरकारियां, मिलावटी, मशीनी और स्निधता रहित दूध, मन बहलाने के लिए कामवासना उभारने वाली फिल्में और टेलीविजन, स्त्रियों के नंगे नाच, क्लबों के विविध विदेशी प्रोग्राम इत्यादि सब के सब स्वास्थ्य का नाश करने वाले हैं और इसी बिगड़े स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए अनेक प्रकार की खरचीली बोल-चाल का ढंग, सब ही विदेशी होने के कारण बहुत खर्चीला बन गया है। हर घर के अन्दर नागरिक जीवन में खाने-पीने के लिए मेज-कुर्सी, फ्रिज' टेलीविजन और रेडियो, दूरभाष अनेक प्रकार की सामग्री, बैठने के लिए सोफासेट, मनोरंजन के लिए कई प्रकार के फोटोज, टेप-रिकार्डर, मेगजीन इत्यादि साधारण सी बात बन गई है। बच्चों को शिशु अवस्था से ही विदेशी भाषा सम्बोधन और साधारण व्यवहार के शब्द सिखाए जाते हैं। अतएव ममी-डैडी, अंकल-आंटी की गूंज सब घरों में सुनाई देती है। शिशु विद्यालयों में विदेशी शिक्षा के लिए असीमित खर्च और परेशानी मातापिता को उठानी पड़ती है। इसीलिए यद्यपि देश में औद्योगिक उन्नति बहुत होने के कारण कुछ परिवारों में आमदनी बहुत ही बढ़ गई परन्तु समस्त देश में स्वास्थ्य स्तर नीचे चला गया है। चरित्र और मानवता, आध्यात्मिकता, नैतिकता, प्राचीन परम्परा, पूजाप्रेम, स्वाध्याय, तपस्या (कष्ट सहन) और धर्म परायणता सबका लोप है।

इस नुमाइशी जीवन से शारीरिक रोग और पाप वृत्तियों का जन्म हुआ है। समाज में कायरता, अकर्मण्यता पैदा होने से भ्रष्टाचार सीमा पार कर चुका है। उससे आचार-सदाचार, त्याग, परोपकार, सत्य-संयम, ब्रह्मचर्य, उपासना, मेहनत, तपस्या, सादगी स्वास्थ्य के नियमों का पालन दातुन, तेल की मालिश, नित्यप्रति स्नान, नियमित व्यायाम, सादा पौष्टिक-सात्विक भोजन, प्रभु भक्ति, स्वाध्याय, ध्यान इत्यादि दिनचर्या की योजना सब समाप्त हो कर क्रीम-पाऊडर,

ग्रामीण भारत ही राम-राज्य का स्वप्न साकार कर सकेगा

* वैद्य रामरत्न पोपली

जहरीली दवाइयों का अन्धाधुंध प्रयोग जिन से स्थायी और असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं, यह सब आज के नागरिक जीवन के नजारे हैं। जिस शुद्ध वायु और सूर्य के प्रकाश के बिना स्वास्थ्य असम्भव है, उनका भी नागरिक जीवन में मिलना एक गम्भीर समस्या बन गया है, क्योंकि कारखानों-मोटरों' बसों, कूड़ा-कर्कट आदि की दुर्गन्ध के कारण हवा अशुद्ध हो जाती है। बढ़ती हुई आबादी के कारण अधिक आदमियों को तंग मकानों में रहना पड़ता है। पानी भी प्राकृतिक रूप में मिलना असम्भव हो गया है। इसीलिए सभी अस्पतालों में मेला लगा रहता है, जिस से ठीक-ठीक इलाज की व्यवस्था असम्भव हो चुकी है। जन साधारण के लिए तो बीमार पड़ने के पश्चात् स्वास्थ्य लाभ, महा कठिन हो जाता है। इसीलिए गरीब लोगों या जन साधारण की मृत्यु संख्या विशेषतः बचपन की आयु में बहुत अधिक है। ग्रामीण जनता में बरोजगारी के कारण, नगरों की आबादी बढ़ रही है। उनके रहने के लिए मकान मिलना महा कठिन समस्या है और यदि मकान मिल भी जाए तो इतना अधिक किराया देना पड़ता है कि खान-पान के बजट में भारी कमी करनी पड़ती है। मानसिक गुलामी नागरिक जीवन की विशेषता बन चुकी है। इसीलिए भ्रष्टाचार, बहुत बढ़ चुका है। जेबकतरे, छुरेबाज, चोर, डाकू, ठग, व्यभिचारी, अनेक प्रकार के अपराधों के लिए दण्ड-व्यवस्था बहुत कमजोर है। मानसिक विदेशी गुलामी का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि हमारा परिधान, हमारा जीवन, खाने-पीने, रहने, व्यवहार, नेल पालिश, लिपिस्टक, रंगीन सुगंधित सफेद तेल, से बनाए इश्तिहारी तेल, अनेक प्रकार की स्वास्थ्य का नाश करने वाली शृंगार सामग्री तथा बालों को काला करने के खिजाफ का प्रयोग बढ़ रहा है। बढ़ती हुई पाप वृत्ति के कारण युवा सुपुत्रियों और हमारे नारीजगत का जीवन सुरक्षित नहीं रहा। अतएव गुण्डों की इनके साथ छेड़छाड़, आदि अपहरण, बलात्कार और जीवन समाप्त तक की घटनाएं सुनी जाती हैं। देश में दण्ड-व्यवस्था बहुत निकम्मी होने के कारण, जनता यह सब सूचना पुलिस तक नहीं पहुंचाती। परन्तु अब श्री मोरारजी भाई की सरकार, पूरी जागरूक और सतर्क है। अतएव नगरों की बढ़ती जन-संख्या, जिससे सड़क पार करना भी आज समस्या बन गई है, को कम करने के और गान्धी वाद को साकार बनाने के लिए, देहातों, ग्रामों को स्वावलम्बी बनाने का पूरा निश्चय कर चुकी है और उसके लिए अरबों रुपए की योजनाएं तैयार कर रही है। यदि देहातों में अनेक प्रकार की दस्तकारी, खादी निर्माण, सम्पूर्ण उद्योगीकरण, शुद्ध पानी, ताजा तरकारियों, व फलों की पैदावार, शिक्षा और बिजली तथा चिकित्सा प्रबन्ध, सड़कें, डाक-खाने, बैंकों तथा पशु-पालन, मकानों का निर्माण, प्राणी मात्र की रक्षा का प्रबन्ध वर्तमान सरकार अपनी घोषित नीति के अनुसार करने का पूरा प्रयास करे तो हमारे नगर और ग्राम दोनों ही स्वर्गीय सुख का अनुभव कर सकेंगे।

स्वतंत्रता प्राप्त होने पर सब से प्रथम जीवन स्तर ऊंचा उठाने का नारा लगाया गया और उस का परिणाम यह नुमा-

इसी और विदेशी गुलामी का नागरिक जीवन है जिसके स्वरूप का ऊपर वर्णन किया गया है। इसी के कारण असीमित भ्रष्टाचार खाद्य पदार्थों में मिलावट, आयुर्वेद जैसे अमृत-तुल्य विज्ञान के प्रति हीन भावना, विदेशी पदार्थों के प्रति प्रेम और चरम सीमा तक चरित्र एवं स्वास्थ्य का पूर्ण विनाश हुआ। नेता लोग सत्ता के प्रलोभन में देश का असली सांस्कृतिक खजाना लुटा बैठे। ग्रामों में भी खान-पान में दूध मलाई लस्सी का स्थान चाय-काफी तम्बाकू और शराब ने ले लिया। इस प्रकार नैतिकता, स्वास्थ्य, धर्म परायणता का सादा, पवित्र और सयंम मय जीवन समाप्त हुआ और राम कृष्ण की धर्म-कर्म भूमि नरक बन गई।

सुधार केवल ग्रामों से ही सत्य, अहिंसा मेंहनत, ब्रह्मचर्य-सेवा कुशल व्यवहार, परस्पर प्रेम इत्यादि मानवता के सिद्धान्तों के आधार पर शुरू करना होगा एवं विदेशी खान-पान, बोलचाल शिक्षा खेल-तमाशे सब को त्याग कर सच्चा सादा पवित्र जीवन लाना होगा जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। वह काम ग्रामीण जीवन में साकार करने के लिए सच्चे गांधी भक्तों और चरित्र वान लोगों की देख-रेख में करना होगा। यह काम बिगड़ी आदतों वाले कर्मचारियों द्वारा नहीं चल सकेगा। ग्रामीण जीवन व्यतीत करने वाले कर्मशील अनुभवी निष्ठावान लोग ही केवल मात्र सफल हो सकेंगे। रेडियो और दूर-दर्शन के कार्यक्रमों में क्रांतिकारी परिवर्तन करने होंगे अन्यथा इन सुधरे हूए ग्रामों को दूर-दर्शन से अछूता रखना होगा। नागरिक जीवन का सुधार भी गुरुकुलों की ब्रह्मचर्य प्रणाली पर चलाये जाने वाले ग्रामों के समीप और नगरों से दूर नए ढंग के विश्वविद्यालयों द्वारा ही किया जा सकेगा जिससे विद्यार्थी जीवन में ही दिव्य प्रकाश मिल सके और निर्मल नींव बन सकें।

इन सभी ग्रामीण योजनाओं में मुख्यत: आयुर्वेदाश्रित चिकित्सालयों की स्थापना जरुरी होगी क्योंकि चरित्र निर्माण और ब्रह्मचर्य का संदेश तो भारतीय विद्यावान ही देने की क्षमता रखता है। इसी विज्ञान के द्वारा ही नए विषाक्त खाने-पीने अर्थात् चाय-काफी तम्बाकू-शराबादि सब स्वत: बन्द होकर हमारे पूर्वजों का सादा और सात्विक खानपान, जिसे गीतामृत में युक्ताहार का नाम दिया गया है अर्थात् दूध-दही लस्सी मलाई मक्खन दाल तरकारियां साग सभी प्रकार के अनाज और स्थानीय फल जो अपने ग्राम की देसी खाद से पैदा किए जा सकेंगे, पुन: चालू हो जाऐंगे। पशुपालन द्वारा हमें देशी खाद मिलेगी, दूध का उत्पादन वैज्ञानिक उपायों से बहुत बढ़ सकेगा। आयुर्वेदीय स्वास्थवृत के पालन के रोग से मुक्ति प्राप्त होगी। बीमारी की अवस्था में स्थानीय जड़ी बूटियों अर्थात सुलभ गिलोय, मकोय, पित्तपापड़ा नीम तुलसी आक कीकर कनेर घी ग्वार गुलाव चम्बेली पीपल बकायन आमला चौलाई ब्रबी शंखपुष्पी वासां इत्यादि अनेक स्वत: पैदा होने वाली जड़ी बूटियां का ज्ञान हो जाने से इनका प्रयोग करने से स्वास्थ्य लाभ होगा और खर्च भी बहुत कम होगा। हमारे देश में यह विशेषता है कि जो बीमारी जहां पैदा होती है उसके विनाश के लिये उसी भूमि पर उन लोगों के रोगों को मिटाने के लिए जड़ी बूटियां, वृक्ष पौधे भी स्वत: पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार के सात्विक वायुमण्डल में, जो प्राकृतिक परिवार-कल्याण की योजना चलाई जाएगी उससे जो सुन्दर-स्वस्थ और अपनी इच्छानुसार सन्तान पैदा होगी उसको किसी विदेशी सहायता की प्राप्ति की जरूरत न होगी और यही आदर्श बलवान सन्तान सेना में जाकर हमारी सीमाओं की रक्षा करेगी। यही ब्रह्मचर्य का रास्ता है जिससे गाँधी जी देश में राम-राज्य लाना चाहते थे और महानगरों की आबादी को कम करके इस धरती पर स्वर्ग का सुख अर्थात् राम-राज्य, लाना चाहते थे और इसी को हमारे प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई साकार देखना चाहते हैं और ग्रामीण भाइयों के सहयोग से यह काम पूरा हो सकता है और अन्य रास्ता है नहीं।

–राम रतन पोपली
वैद्य इन्चार्ज.
स्वास्थ्य केन्द्र.
भगत सिंह चौक गोल मार्किट.
नई दिल्ली।

है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरीभरी

हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी।

'मैथिलीशरण गुप्त'

भारत सरकार द्वारा हिन्दी के विदेशी विद्वानों का सम्मान

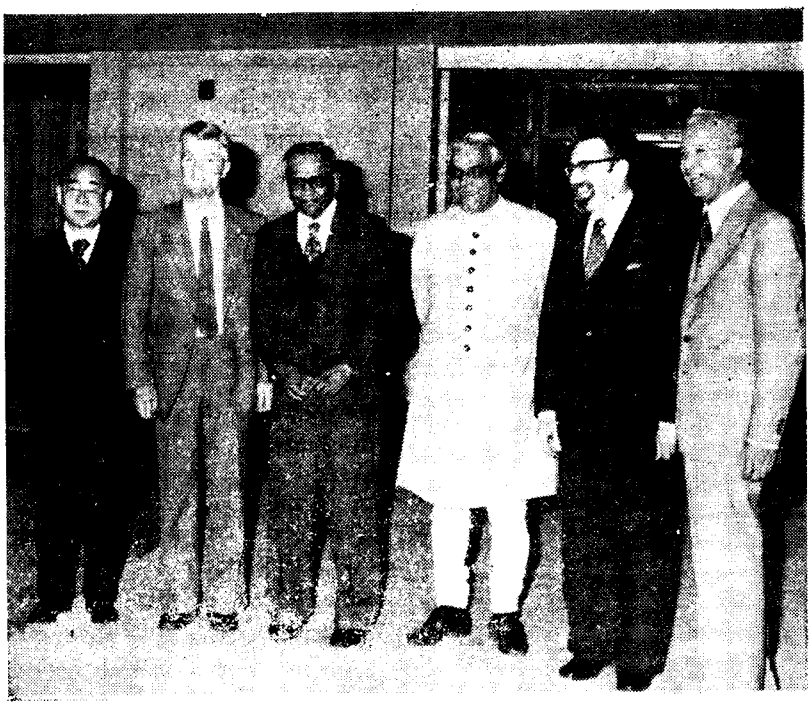

बांये से दांयी ओर—प्रो० दोई (जापान), डा० मैग्रेगर (यू० के०), पं० कमला-प्रसाद मिश्र (फीजी), विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डा० स्मैकल (चैकोस्लोवाकिया) एवं सोम दत्त बखौरी (मौरीशस)

ब्रहमदत्त स्नातक

स्वाधीनता से पूर्व भी संतों की भाषा के रूप में समूचे देश में सांस्कृतिक एकता लाने में हिन्दी का स्थान प्रमुख रहा है। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में भी राजनैतिक जागृति लाने में हिन्दी का विशिष्ट योगदान रहा है। राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को आग लाने का काम प्रशंसनीय रूप में अहिन्दी भाषियों ने ही किया। इनमें अग्रणी थे गुजरात के स्वामी दयानन्द सरस्वती, बंगाल के जस्टिस शारदा चरण मित्र एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इन तथा अन्य राष्ट्रप्रेमियों के प्रयत्नों से ही संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में सर्वसम्मति से एक मत को छोड़कर स्वीकृत किया गया था।

इन सराहनीय प्रयत्नों की परम्परा में इस नए वर्ष में एक नई स्वर्णिम कड़ी जुड़ी, जब कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने हिन्दी के पांच विदेशी विद्वानों को सम्मानित करके हिन्दी को एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया। इससे पूर्व स्वयं विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र के विशेष अधिवेशन में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी में अपना भाषण दे कर भारत की राजभाषा का सम्मान प्रदर्शित कर चुके हैं। गणराज्य दिवस की पूर्व संध्या में सम्मानित इन विदेशी विद्वानों के नाम हैं—चेकोस्लोवाकिया के प्राग विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर डा० ओदोनेल स्मैकल प्रशान्त महासागर स्थित फीजी के जयफीजी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र के सम्पादक एवं हिन्दी-संस्कृत तथा अंग्रेजी के कवि तथा साहित्यकार प० कमला प्रसाद मिश्र, जापान में टोकियो विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर क्युबा दोई, हिन्द-महासागर के टापू मौरिशस के बैरिस्टर साहित्यकार श्री सोमदत्त बखौरी एवं इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रख्यात विद्वान प्रो० मैग्रेगर के अतिरिक्त, इसी वर्ष मनाई गई सूरपंचशती के अवसर पर सोवियत रूस की श्रीमती साजानोवा, जर्मन गणराज्य के डा० लोथर लुत्से तथा इटली के डा० फिलिप्पी ने भी भारत में आकर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सम्पर्कों को सुदृढ़ बनाया।

भारत के प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी भाई देसाई ने सम्मान समारोह के अवसर पर कहा कि संविधान में 17 भाषाओं को मान्यता देने के बावजूद विश्व के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों के उच्चतम स्तर तक हिन्दी को प्रेमपूर्वक पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने आशा प्रकट की कि राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होने के बाद हिन्दी के विरोधी भी देश में हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में अपना लेंगे। इस अवसर पर इन विदेशी विद्वानों को एक-एक कलाकृति, एक एक प्रशस्ति पत्र, दुशाला तथा नारियल भेंट किए गए।

IX/144, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110022

गरीबी के दिन लद गए

पाली जिले की खारची तहसील में हेमलियावास खुर्द गांव का 39 वर्षीय भीका आजकल खुश है। उसे आशा बंधी है कि गरीबी और अभाव, जिसके वे लोग आदी से हो गए थे, अब जल्दी ही उनका पीछा छोड़ देंगे। अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत मिले डेढ़ हजार रुपए के ऋण ने भीका और उसके परिवार में सचमुच एक आशा का संचार कर दिया है।

पंचायत का बुलावा

पश्चिमी रेलवे की दिल्ली-अहमदाबाद लाइन के मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर कुली, भीका मुश्किल से डेढ़ सौ रुपए कमा पाता था। उसके पिता भी मेहनत मजदूरी करके लगभग सौ रुपए महीना ही कमा पाते थे। किन्तु मंहगाई के इस युग में 250 रुपए से सात आठ प्राणियों का काम कैसे चले?

एक दिन सहसा खारची पंचायत समिति की ओर से भीका को बुलावा आया। पंचायत समिति के कार्यालय में पहुंच कर भीका ने देखा कि वहां विकास अधिकारी के अलावा पाली से आए जिले के अन्य कई उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं और उनके सामने ग्रामीणों का एक समूह है, जिसमें अधिकांश उसके जैसे गरीब लोग ही हैं।

भीका यह सब देखकर कुछ सकुचा रहा था। विकास अधिकारी ने उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया। उसे बताया गया कि राज्य सरकार ने हर गांव में सबसे गरीब पांच परिवारों को आर्थिक सहायता देकर उनका जीवन स्तर सुधारने की अन्त्योदय योजना शुरू की है और इसी के अन्तर्गत हेमलियावास खुर्द गांव से उसे भी चुना गया है।

शंका समाधान

आर्थिक सहायता की बात सुनकर खुश हुए भीका को अब स्वभावतः सहायता की मांग तथा उसके स्वरूप के विषय में भी पूरी जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता हुई। अधिकारियों ने विस्तार से उसे सारी बातें समझायी तथा उसकी शंकाओं का निवारण भी किया।

सोच विचार के बाद भीका ने भैंस खरीदने के लिए ऋण लेने का फैसला किया। अधिकारियों ने आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति करके उसका ऋण प्रार्थना पत्र मौके पर ही तैयार करवाया। एक माह के अन्दर ही उसे ऋण की रकम 1 हजार 500 रुपए प्राप्त हो गयी। उसने गोडाणा ग्राम से एक भैंस खरीद ली जो अब प्रतिदिन आठ किलोग्राम दूध देती है तथा एक पाड़ी की मां है।

भैंस खरीदने से मानो भीका के परिवार का जीवनक्रम ही बदल गया है। अब बड़े सवेरे उठकर भीका के पुत्र एवं पुत्रियां भैंस की पाड़ी को दुलारने और उसे अपने हाथों से चारा चराने में बड़े सुख और कोतूहल का अनुभव करती हैं। भीका की पत्नी अंधेरे में ही उठकर भैंस को चारा डालती है। अब उसे इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि कहीं बच्चे पाड़ी को खोल न दें, नहीं तो पाड़ी भैंस का सारा दूध पी जाएगी। अब वह घर का काम शीघ्रता से निबटाकर भैंस के लिए हरा चारा खोदने जंगल भी रोज जाती हैं।

दूध को बेचकर भीका अब लगभग सौ रुपए महीना और कमाने लगा है जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी है। उसकी पत्नी और बच्चों का तो अधिकांश समय भैंस और पाड़ी की सार-सम्भाल में ही बीत जाता है। पास पड़ौस के लोग भी आर्थिक स्थिति सुधरने से अब उन्हें पहले से ज्यादा सम्मान देने लगे हैं।

भेड़ पालन

एक भीका ही क्यों जिले के आर्थिक-विपन्नता से ग्रस्त कई अन्य व्यक्ति भी अन्त्योदय योजना के तहत लाभान्वित हो चुके हैं। नीमली ग्राम के पचास वर्षीय सोना रेबारी को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 3 हजार रुपए का ऋण मिला है जिससे उसने 30 भेड़ें खरीदी हैं। इसके पहले उसके पास केवल सात भेड़ थी जिनसे सोना के पांच सदस्यों वाले परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। खरीदी गई नई भेड़ों की ऊन को बेचकर सोना ने 470 रुपए प्राप्त कर लिए हैं। सोना और उसका 12 वर्षीय पुत्र जंगल में अपनी भेड़ें चराते हैं जबकि सोना की पत्नी मजदूरी करती है। तीस नयी भेड़ों को पाकर सारा परिवार बड़ा खुश है और अपनी समस्याओं से नए उत्साह के साथ जूझ रहा है।

दूदोड़ ग्राम के चालीस वर्षीय रेबारी घगरां राम तथा हेमलियावास कला के रघुनाथ गूजर को भी तीन-तीन हजार रुपए के ऋण अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत भेड़े पालन के लिए स्वीकृत किए गए हैं। प्राप्त ऋणों से इन दोनों ने भी तीस-तीस भेड़ें खरीदी हैं जिससे इनके परिवारों को काफी राहत मिली है। लोलावास गांव के रघुनाथ नायक तथा पोकर गूजर को भी अन्तत्योदय योजना के अन्तर्गत पन्द्रह-पन्द्रह सौ रुपए के ऋण मिले हैं। इन दोनों ने प्राप्त ऋण राशि से दुधारु भैंस खरीदी हैं तथा उनका दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ाने में लगे हैं।

सर्वेक्षण और चयन

पाली जिले में अन्त्योदय योजना के तहत 810 गांवों से 4614 परिवारों का चयन पिछले मास तक किया गया था। इनमें से अधिकांश लोग खेतिहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर, श्रमिक तथा अपाहिज व्यक्ति थे। इन सभी को योजना के अन्तर्गत अपनी आमदनी बढ़ा कर आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अब वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

अन्त्योदय योजना के तहत लगाए जा रहे ऋण वितरण शिविरों में अब तक जिले के 61 व्यक्तियों को दुधारू पशु, भेड़, बैल व बैलगाड़ी खरीदने तथा चर्म उद्योग के लिए 1,28,600 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। पांच सौ से भी अधिक वृद्ध एवं अपाहिज व्यक्तियों की पेंशन भी स्वीकृत की गई है।

ऋण प्रार्थना

इनके अलावा, अब तक लगभग आठ सौ ऋण प्रार्थना पत्र तैयार किए जा चुके हैं

जिनके अन्तर्गत 23 लाख रुपए से भी अधिक के ऋण निर्धनतम व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें से दुधारु पशुओं की खरीद के लिए 185 व्यक्तियों को 3 लाख 80 हजार रुपए के ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे जबकि भेड़ खरीदने के लिए 174 व्यक्तियों को 6 लाख 72 हजार रुपए के ऋण प्रदान किए जाएंगे। बैल जोड़ी और बैलगाड़ियों की खरीद के लिए 160 व्यक्तियों को 5 लाख 38 हजार रुपये के ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। केवल बैलजोड़ी खरीदने के लिए व्यक्तियों को 2 लाख 82 हजार रुपए के ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी प्रकार, नए कुएं खुदवाने के लिए आठ व्यक्तियों को 43,000 रुपये के तथा 144 व्यक्तियों को 3 लाख 99 हजार रुपये के ऋण अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

सतर्कता

जिला प्रशासन ने योजना को प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए ऐसी व्यवस्था की है कि जिन लोगों को इस योजना के अन्तर्गत ऋण दिए जा रहे हैं उनसे निकट सम्पर्क बनाए रखा जाए। इससे यह सुनिश्चित करने में आसानी होगी कि ऋण प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति प्राप्त ऋण राशि का सही उपयोग कर रहा है या नहीं। इसके लिए पंचायत क्षेत्र स्तर पर ग्राम सेवकों एवं पटवारियों को तथा पंचायत समिति स्तर पर विभाग अधिकारियों एवं तहसीलदारों को विशेष दायित्व सौंपा गया है। ये कर्मचारी एवं अधिकारी अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों को उनकी आय बढ़ाने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को हल करने में हर सम्भव सहायता प्रदान करेंगे। योजना के क्रियान्वयन की देखरेख का काम स्वयं जिलाधीश एवं जिला विकास अधिकरण के प्रभारी, परियोजना निदेशक कर रहे हैं।

जिले में व्याप्त निर्धनता के विरुद्ध यह संघर्ष यद्यपि बड़ा लंबा और कठिन है किन्तु संबंध लोगों, जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा वित्तीय संस्थाओं के आपसी सहयोग से इसमें सफलता पाना असम्भव नहीं है। अब तक जिस तरह से इस दिशा में काम हुआ है और जिस प्रकार का अनुकूल वातावरण बना है उससे आशा बंधती है कि दरिद्रनारायण के उद्धार का बापू का सपना सार्थक हो सकेगा और युगयुग से अभाव और विपन्नता से जूझ रहे लोगों को आत्मसम्मान से जीने का सम्बल मिल सकेगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए और दो करोड़ रुपये

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने आठ राज्यों—आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लिए 10 और परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं के लिए लगभग दो करोड़ रुपए की कुल ऋण सहायता दी जाएगी। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत 400 से अधिक गांवों में लगभग 3000 सिंचाई नलकूपों और 100 से भी अधिक लघु उद्योग इकाइयों को बिजली देने की व्यवस्था है।

जिन क्षेत्रों में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है उसे पूरा करने के लिए निगम ने विशेष श्रेणी की एक योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत छह राज्यों में सात नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनके लिए 1.3 करोड़ रुपए से भी अधिक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन नई परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त भू-जल संसाधनों वाले क्षेत्रों में सिंचाई नलकूपों को बिजली देने की व्यवस्था करना है ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अब तक 1950 से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। निगम इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 800 करोड़ रुपए से भी अधिक की कुल सहायता देगा। मई, 1978 के अन्त तक 517 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है।

इन सभी परियोजनाओं के अंतर्गत देश के लगभग एक चौथाई गांव (1.4 लाख गांव से भी अधिक) आते हैं। इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में 9.3 लाख सिंचाई नलकूपों को बिजली मिल सकेगी और 1.4 लाख कृषि पर आधारित उद्योगों तथा अन्य लघु उद्योगों की स्थापना करने में भी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, 33 लाख से भी अधिक घरेलू और व्यावसायिक सेवाओं को कनेकशन देने और 6.2 लाख से भी अधिक स्ट्रीट लाइट लगाने की भी व्यवस्था है।

जण्डावाली के सांसिये

सुधार के पथ पर

शराबखोरी, वेश्यावृत्ति—भिक्षावृत्ति, मृत पशुओं का मांसाहार, बाल–विवाह, दहेज प्रथा और मृत्यु—भोज आदि सभी कुरीतियों से ग्रस्त हैं वे लोग, जिन्हें रामधारी समाज मण्डल समिति ने रोशनी की राह पर लाने का बीड़ा उठाया है।

गंगानगर जिले में हनुमानगढ़ से मात्र चार कि० मी० दूर लगभग 800 घरों की बस्ती का जण्डावाली नामक गांव है जहां 365 घर सांसियों के हैं। इन घरों के 60 प्रतिशत लोग भीख मांगते हैं और वक्त आने पर जी भर कर फिजूल खर्चों में पीछे नहीं रहते। मुश्किल यह है कि ये समझाए नहीं समझते और अपने हर हाल एवं रीति का दंभ भरते हैं। रामधारी समाज मण्डल समिति के अध्यक्ष ने इस दम्भ को तोड़ने की ठानी है। उत्साही युवक श्री फीरोज के प्रयासों से यह समिति, 1976 में पंजीकृत हुई। फीरोज ने दृढ़ शब्दों में कहा "कुरीतियों के इस गढ़ को बेध कर रहूंगा।" युवक की आंखों में आत्म विश्वास की झलक देखने को मिलती है।

भिक्षावृत्ति की ओर रुझान

विकसित एवं सभ्य लोगों के बीच रहने वाले इन लोगों को सभ्यता की कोई किरण जाने क्यों नहीं छू पाती। इनके गांव में पेयजल, सड़क और उच्च प्राथमिक विद्यालय भी हैं। सरपंच का कार्यभार उस सरपंच ने संभाल रखा है। कुछ समय पहले सरपंच का कत्ल हो गया था। ये सांसी लोग पाकिस्तान से आकर यहां बस गए।

सरकार ने 1949-50 में इन्हें खेती की भूमि भी आवंटित की पर स्वभाव से घुमन्तू इस समुदाय के लोगों को खेती रास न आई। उन्हें तो आनन्द ही फिजूल खर्ची में आता है, चाहे फिर भीख ही मांगनी पड़े। भीख को ये बुराई नहीं, कला मानते हैं। 'राहगीर को पसीजा देना आखिर कला है, ये तर्क देते हैं, मेहनत का पूरा पैसा इन्सान आसानी से नहीं देते और भीख सहृदयता से देते हैं।' गांव के और लोग खेती करते हैं और ये भीख मांगते हैं किन्तु फिजूल खर्चों में अन्य लोगों को मात देते हैं।

जण्डावाली गांव के सांसियों की फिजूल खर्ची की सनक का एक रोचक उदाहरण यहां देना अनुपयुक्त न होगा। दो साल पहले बल्लूराम सांसी के लड़के पीरिया की शादी इसी गांव के गणेशा की बेटी लक्खू से तय हुई। बल्लूराम को अपना सर ऊंचा रखना था, वह हेलीकोप्टर से बारात ले गया। दूल्हे का चाचा अवोहर गया वहां से हेलीकोप्टर में बैठकर बल्लूराम के घर के बाहर उतरा जहां से बल्लूराम का परिवार गांव के चारों ओर दो किलो मीटर की परिधि में आसमान में उड़ा और दुल्हन के घर उतरा।

इस सनक को पूरा करने में 5 हजार रु० खर्च हुए। गांव के लोगों के लिए यह घटना यद्यपि अविस्मरणीय बनी हुई है, किन्तु इसका परिणाम रामधारी समाज मण्डल समिति के सदस्यों को नश्तर की तरह चुभ रहा है। बल्लूराम का परिवार आज भीख मांगता है। उसके गांव में बने कच्चे ढून्डे ढह गए हैं। इस परिवार के नाम अभी भी जमीन जरूर है पर भिक्षावृत्ति में लिप्त इस परिवार का अता पता नहीं लगता।

सुधार समिति के 15 सदस्य हैं, सभी युवक भी हैं और राधा स्वामी पंथ के अनुयाई हो गए हैं। इन्होंने मदिरापान एवं मांस भक्षण त्याग दिया है। प्रति रविवार सत्संग करते हैं। धीरे-धीरे अपनी सदस्य-संख्या बढ़ाने में लगे हैं। सरकारी अधिकारियों का सहयोग भी चाहते हैं जो अपेक्षित मात्रा में नहीं मिल रहा है। आकांक्षाएं बहुत कुछ करने की हैं ताकि समाज सुधरे पर साधन और वातावरण बनाए नहीं बनते, फिर भी हिम्मत नहीं हारी है।

पौराणिक मान्यता यह है कि परशुराम ने जब क्षत्रियों का नाश करने की ठानी तो अर्जुन के ये वंशज जंगलों में भाग गए और तभी से घुमन्तू जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

सामाजिक नियंत्रण

इनकी अपनी पंचायत ही इन पर सामाजिक नियंत्रण का एक मात्र साधन है। परस्पर झगड़े एवं मन मुटाव पंचायत निपटाती है। पंचायती फैसला मानना आवश्यक है। हर मामले के लिए पंच-सरपंच नियुक्त किए जाते हैं। तहकीकात होती है और फैसले दिए जाते हैं। पंच-सरपंचों का खर्चा, जात-विरादरी बाहर, आर्थिक दंड, हुक्का-पानी बंद आदि के रूप में दंड दिया जाता है।

शादी-ब्याह मां और मामा की रजामंदी से होते हैं। प्रायः बाल-विवाह होते हैं। मां अपनी लड़की को चाहे जहां दे, उसे जाना ही पड़ता है। शादी दोनों पक्षों के मामा रचाते हैं। मां का वर्चस्व अधिक है। बच्चों का नामकरण भी वही करती है। सांसियों का कहना है—हम 'साहसी' हैं, लोगों ने 'सांसी' कहना शुरू कर दिया है। किन्तु दुर्भाग्य है कि ये कथित साहसी कुरीतियां छोड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। ✱

उत्पादकता जीवन जीने का एक व्यवस्थित तरीका है।

ये टूटती हुई मान्यताएं

मोहन लाल पुरोहित

मान्यताओं का सीधा-साधा अर्थ होता है, भाव या मान लिए गए विचार। वैसे हर देश, राष्ट्र और समाज की अपनी-अपनी मान्यताएं होती हैं। जब हम मान्यताओं की तह में जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है--ये मान्यताएं एक या दो दिनों के विचारों से ही सफलीभूत नहीं बन जाती। वर्षों का अनुभव रहता है किसी एक भावना को, विचाराधारा को, मान्यता की संज्ञा प्राप्त करने में। सच तो यह है--सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, आदि वातावरण की पृष्ठ भमि में ही किसी युग विशेष की मान्यताएं फलती-फूलती एवं पनपती हैं।

युग-बोध के परिवेश में ही मान्यताओं को देखा व परखा जा सकता है। जैसा युग-धर्म होगा वैसी ही मान्यताएं रहेंगी और जैसी मान्यताएं रहेंगी, वैसा ही उस समय का युग-धर्म रहेगा।

आज का युग शिक्षा और विज्ञान का युग है। शिक्षा और विज्ञान से मनुष्य का न केवल बौद्धिक विकास ही हुआ है, वरन इसने मनुष्य की चिन्तन-धाराओं को भी झकझोर कर नई दिशा में मोड़ दिया है।

एक ऐसा भी समय था--विदेश में जाना हमारे लिए निषिद्ध था। विदेश जाने पर उस व्यक्ति विशेष को समाज से बाहर कर दिया जाता था। ऐसा हमारे यहां माना जाता था, वहां जाकर मनुष्य अपना खान-पान बिगाड़ लता है, भ्रष्ट हो जाता है। इस बेबुनियादी संकुचित विचार-धारा ने हमें युगों तक विदेशी-ज्ञान और अनुभव से शून्य रखा। यह विचार-धारा, यह मान्यता, अपने-आप में इतनी सक्रिय रही कि महात्मा गांधी जैसे महापुरुष भी इससे अछूते नहीं रह सके। उन्हें भी जब विलायत पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो इस विचारधारा से घोर संघर्ष करना पड़ा।

प्रसन्नता का विषय है--आज हम स्वतन्त्र हो गए हैं। स्वाधीनता आधुनिक भारत की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह एक वह आधार है जिससे हमारी राष्ट्रीय इकाई को अन्तर्राष्ट्रीय-भूमि पर नई प्रतिष्ठा मिली है।

जन-तंत्रवाद के इस युग ने आज हम सबको समानाधिकार की नीति पर खड़ा कर दिया है। ऊंच-नीच, राजा-रंक और छोटे-बड़े का भेद आज कहानी बन कर रह गया है। आज एक हरिजन-भाई को भी वही अधिकार प्राप्त हैं, जो कभी एक राजा या जागीरदार कहलाने वाले उच्च वंश के प्रतिष्ठित व्यक्ति को प्राप्त था। शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक-क्षेत्र में आज हर व्यक्ति को अपना विकास करने का पूर्ण अधिकार है।

नारी, जिसे हमारा समाज वर्षों तक चार-दिवारी में बंद, उपेक्षित रखता आ रहा था उसे भी आज पुरुषों के समान हर क्षेत्र में अपना विकास करने का पूर्ण अधिकार है।

('लुगाई-लुकाई' औरतों को छिपा कर रखना चाहिए, औरत पैर के जूते के समान है) यह कहावत आज हास्यास्पद और दकीयानूसी के अतिरिक्त अब कुछ भी तो नहीं रह गई।

आज शिक्षण-संस्थाओं में और मैडिकल क्षेत्र में जो स्थान नारी को प्राप्त है, वह प्रशंसनीय ही नहीं, अपितु अनुकरणीय भी है। नारी ने इंजीनियरिंग, कानून और सैनिक क्षेत्र भी अछूते नहीं छोड़े।

भूत, प्रेत, टोना-टोटका और ओझा आदि में आज विश्वास नहीं रहा है। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह और अन-मेल-विवाह आज कानूनन रोके जा सकते हैं। यहां तक कि लड़के और लड़कियों को अपनी पसन्द से विवाह करने की कानूनन छूट मिल गई है। आज एक स्त्री अपने निकम्मे, शराबी, जुआरी और चरित्र-भ्रष्ट पति को तलाक देकर छोड़ सकती है।

शिक्षा ने जन-जन में जागृति पैदा कर दी है। व्यर्थ के खर्चे में लोगों का विश्वास एक-दम हट गया है।

यह तो हम पूर्व ही उल्लेख कर चुके हैं कि विज्ञान ने विश्व को बहुत छोटा कर दिया है। हम एक-दूसरे के इतने निकट आ गए हैं कि एक का दूसरे पर सद्यः प्रभाव पड़ता है। विदेशों के सम्पर्क से उनके आचार-विचार और ज्ञान-ध्यान की बाढ़ आ गई है। बाढ़ के दो-पक्ष होते हैं। जब बाढ़ आती है, तो ज़मीन को एक नई उर्वरा शक्ति दे जाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ वह हमारी पुरानी नींव को एक धक्का भी दे जाती है और अनेक उपयोगी और बहुमूल्य वस्तुओं का ध्वंस कर देती है। नई पौध को अपने प्रवाह के साथ बह बहा ले जाती है।

निःसंदेह, पश्चिमी-विचार दर्शन के प्रभाव से हमारे ज्ञान का विस्तार हुआ है, हमारे चिन्तन को नई दिशा अवश्य ही मिली है, किन्तु यह प्रभाव गहरा नहीं होना चाहिए

नए प्रकाश के संदर्भ में हमें अपनी टूटती-परम्परा और नए-मानव मूल्यों की सही परख रखनी होगी। अपनी परम्परा के प्रति अपेक्षित आग्रह रखते हुए, मानसिक संकीर्णता और व्यक्तिगत कुण्ठाओं से मुक्त होकर सत्य को सीधा देखना होगा। कृत्रिम पंख लगा कर फैशन के रंग में हमें नहीं उड़ना है। अपनी धरती पर खड़े होकर हमें अपनी मान्यताओं को देखना-परखना है। हमें ऐसी विचार-धाराओं और मान्यताओं को अपनाना है जो हमारी जातीय उपलब्धि पर प्रश्नचिन्ह न लगाएं, बल्कि उसे सम्पूर्णता की ओर अग्रसर करते हुए और अधिक समृद्धि प्रदान कर सकें। ●

मोहनलाल पुरोहित
द्वारा : भठड़ों का चौक,
बीकानेर, (राजस्थान)

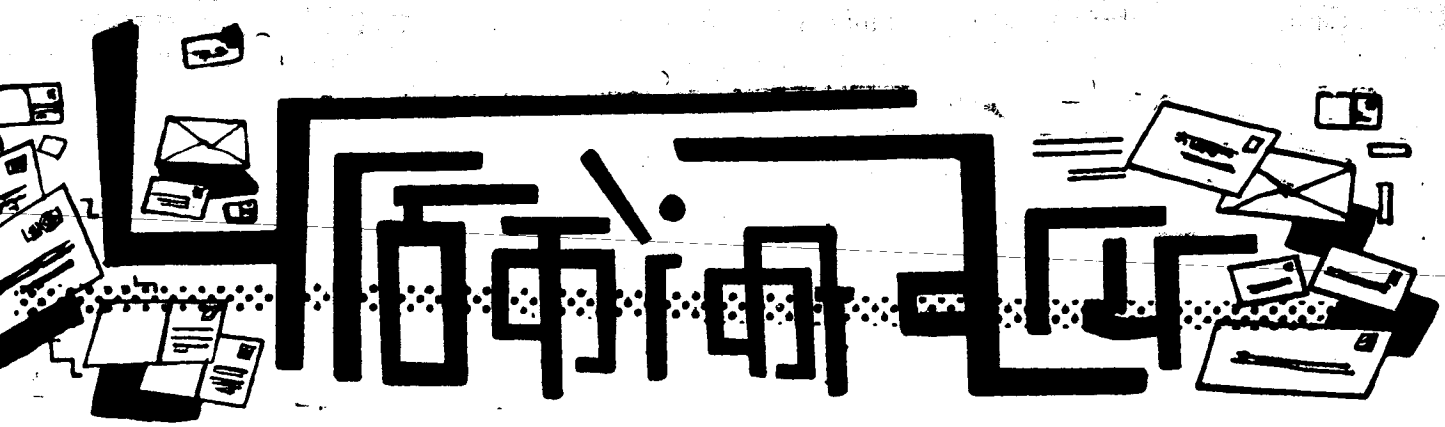

ग्राम पंचायतों का ढांचा बदला जाए

रवीन्द्र सिंह राठौर

लीक पर चलने का अर्थ अन्धविश्वास और रुढ़ियां हैं। ऐसा सामाजिक जीवन में ही नहीं, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भी होता है--जनता सरकार को देश का आर्थिक ढांचा बदलने में पहाड़ चीरना जैसा प्रयास महसूस हो रहा है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लाख सर पीटने पर अभी तक नहीं बदला जा सका, प्रयास जारी है। हमारा संविधान हमारे देश की नौकरशाही की मनोवृत्ति नहीं बदल सका। उसी तरह पंचायती राज का पहाड़ खोदकर चुहिया भी हाथ नहीं लगी। सरकार द्वारा पंचायतों के अधिकार और स्रोत बढ़ाए जाने का सिद्धान्त अब स्वीकार कर लिया गया है, परन्तु ढांचा बदला जाना भी आवश्यक है।

आजकल उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का बड़ा अफसर हाकिम परगना है और उस के सहायक तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल हैं। पंचायत लाख सर पटकें, पतरौल और लेखपाल ने जो लिख दिया, वही हाकिम को मंजूर है। पंचायतीराज नौकरशाही का खिलौना बनकर रह गया है। जो भी भव्य चित्र हैं, उनमें प्रचार अधिक है। गांव प्रधान का स्थान अंग्रेजी-काल के लम्बरदार का हो गया है। इस तस्वीर को पंचायत के चुनावों ने और बिगाड़ दिया। वोट की ताकत ने सामाजिक मर्यादाओं का ढांचा तोड़ दिया। थोक, कुटुम्ब, जाति, बिरादरी, लटठनीति से गांवों में लोकतंत्र की कड़ियां टूट गई। स्वयं पंचायतों में शुद्ध स्वार्थ, तथा पंचायती अदालतों में भ्रष्टाचार और पक्षपात का बोल-बाला हो गया है। अनुभव है कि बालिग मताधिकार में प्रत्यक्ष निर्वाचन से अप्रत्यक्ष निर्वाचन में भ्रष्टाचार अधिक होता है और स्थानीय निकायों के संकीर्ण निर्वाचन क्षेत्र में जाति-बिरादरीवाद का जोर रहता है। पञ्चायतों से जनतंत्र का शौक ही पूरा हुआ लेकिन गांव-संगठन छिन्न-भिन्न हो गया है। अतः पंचायती राज से आर्थिक विकास में तो मदद न मिली, सामाजिक जीवन का संगठन विच्छिन्न हो गया। अवश्य ही मेहता कमेटी के सामने यह विचार रहा होगा, तभी उसने गांव-पंचायतों का क्षेत्र बढ़ाने की सिफारिश की। त्रिस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय कर देने का सुझाव दिया।

गांव समाज में निहित आबादी और आबादी के बाहर की पंचायतों की भूमि का व्यक्ति और समाज के लिए सदुपयोग कैसे हो ? इस ओर से अधिकारी कर्तव्य विमुख रहे और पंचायतों के निर्णय पर ध्यान नहीं दिया गया। सार्वजनिक उपयोग की भूमि, ईंधन की लकड़ी और मरघट की जगहों को भी गरीब निवाज आन्दोलन बना दिया। साधारण प्रशासनिक कार्यवाही हाईकोर्ट तक मुकदमा लड़ने का विषय बन गई। सामाजिक विकास व्यवस्थित संगठन के प्रयास से होता है, कानून बुराइयों की रोक के लिए है। जितनी शारीरिक और पैसे की शक्ति अदालतों में व्यय होती है, यदि उसकी बचत कर ली जाए तो गांव के आर्थिक और सामाजिक जीवन में इतनी राहत पैदा हो जाएगी, जो सरकार के हर साल के अनुदान, छूट, माफी और अन्य रियायतों से भी सम्भव नहीं होगी। सीधे-साधे ग्रामीण जीवन को नए कानूनों ने पेचीदा बना दिया है, अतः उसके सरल करने की आवश्यकता है।

अब तक के अनुभव से जो पाठ पढ़ा है उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि पंचायतों का ढांचा बदला जाए। उसका संगठनात्मक क्षेत्र बढ़ाया जाए। कम से कम उतना जितना मेहता कमेटी ने सुझाया है। इसमें केवल इतना ही अन्तर होगा कि अब के पंचायती अदालत क्षेत्र पर केवल एक गांव पंचायत होगी, उसका सीमा निर्धारण गांवों के परम्परागत सम्बन्ध, लेखपाल क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति से होगा। इससे जोत की भूमि एक ही गांव पंचायत के अन्तर्गत रहेगी, जो अलग-अलग गांवों में बंटी रहती है, जिससे झगड़े भी बढ़ते हैं। यह बड़े गांव के नाम पर एक गांव-गुच्छ होगा। छोटे गांवों का विकास भी बड़े गांवों से हुआ है। इससे गांव इकाई का विकास रुकेगा, यह केवल कल्पना है। प्रधान का चुनाव सीधे मतदान द्वारा ही हो, जो सम्मिलित गांव इकाइयों का प्रतिनिधि होगा, पंचायत सदस्यों में प्रत्येक गांव का एक प्रतिनिधि होगा। इससे गांव की संकीर्णता दूर होगी, बिरादरी वाद के झंझट दूर होंगे तथा सामूहिक उत्तरदायित्व का विकास होगा। गांव-गांव की संकीर्ण पार्टीबन्दी दूर होकर पंचायत

इकाइयों का गठन राजनीतिक चेतना के आधार पर होगा। अब तक राजनीतिक दल गांव पंचायतों के चुनावों में इसलिए उदासीनता दिखलाते रहे कि पंचायत चुनावों में स्थानीय पार्टीबन्दी होती है। यदि राजनीतिक दल उसमें भाग लेते हैं तो उससे उनके सामूहिक असर का गांव स्तर पर बटवारा हो जाएगा। गांव स्तर तक अभी तक किसी भी राजनीतिक दल का इसलिए संगठन नहीं था कि पंचायतों के चुनावों में भाग लेने से वे स्थानीय पार्टीबन्दी के शिकार बन जाएंगे। गांवों की स्थानीय पार्टीबन्दी जाति, कुटुम्ब और वैयक्तिक स्वार्थों के आधार पर होती है जिसे अब तक के पंचायत चुनावों ने अधिक बढ़ाया है। इस संकीर्ण पार्टीबन्दी को राजनीतिक पार्टियों की चेतना के रूप में ही बदलकर दूर किया जा सकता है। अत लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में किस प्रकार देश और राज्य के व्यापक प्रश्न जनमत को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक चेतना के संदर्भ में ही स्थानीय आर्थिक और सामाजिक मामलों पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। स्थानीय आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों को अब अलग-अलग रूप में नहीं देखा जा सकता, यह बदली हुई राजनीतिक स्थिति का तकाजा है। इसीलिए पंचायती राज के विधान, ढांचे और कार्यप्रणाली का रूप बदला जाना चाहिए।

अभी तक यह पता नहीं लगा है कि मेहता कमेटी रिपोर्ट पर सरकार कहां तक अमल करने को तैयार है। प्रश्न अधिकारों से अधिक ढांचा बदलने का है क्योंकि अधिकारों का उपयोग कैसा होगा यह संगठन के स्वरूप पर निर्भर है। राज्य सरकारें ढांचा बदलने को तैयार नहीं होती है तो इसका कारण यह है कि उन्हें पंचायती राज के प्रति कोई दिलचस्पी ही नहीं है—जो चल रहा है, चलता रहे। वर्तमान पंचायती राज विभाग और पंचायती राज की जिला इकाइयां, नया परिवर्तन लाने को इसलिए तैयार नहीं कि विभागीय अधिकारियों का जिस सुविधा से काम चल रहा है वह उनके लिए वरदान है और बीच के कर्मचारी बेकारी फैलने का डर महसूस करते हैं। नौकरशाही को हर नए परिवर्तन का डर रहता है। यही हालत गांव सभा कोषों की है—वह गांव प्रधान, पंचायत सेक्रटरी और उपर के अधिकारी का कोष है। चुनाव हो जाने के बाद सदस्यों की कोई दिलचस्पी पंचायत की बैठकों में नहीं रहती, क्योंकि एक तो पंचायतों के पास पूंजी और काम करने के लिए है ही क्या? दूसरे जो कुछ सरकारी अनुदान और गांव की आमदनी से आता है, उसमें हिस्सा बांट हो जाता है। एक बार विकास खण्डों को खत्म करने की चर्चा थी क्योंकि उसके स्रोत सूख गए और उनकी कोई उपयोगिता भी सिद्ध नहीं हुई। अशोक मेहता कमेटी ने मध्यममार्ग अपनाया है। जिला परिषद् और पंचायती राज अधिनियमों को ही पंचायती राज अधिनियम बनाया जाए। जिला परिषद् की एक ही इकाई गांव पंचायत हो। विकास खण्ड खत्म हो, पंचायत का क्षेत्र बड़ा हो। सदस्यों, प्रधान और अध्यक्ष का जनमत से चुनाव हो। जब तक पंचायतों का स्वरूप नहीं बदला जाएगा, गांवों की उत्तरोत्तर प्रगति असम्भव ही है। ✻

52, आजाद नगर,
आगरा-282002 (उ०प्र०)

"कुरुक्षेत्र के बारे में पाठक की राय"

कुरुक्षेत्र का जनवरी 1979 अंक पढ़ने को मिला। आवरण पृष्ठ पर खेतों में काम करती हुई महिला के साथ छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चे को मां को सहायता करते हुए जो दिखाया गया है वह बड़ा ही आकर्षक एवं यथार्थवादी चित्र है। वास्तव में भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां जनसंख्या की एक बड़ी आबादी गांवों में निवास करती है। कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के ग्राम विकास विभाग द्वारा एकमात्र हिंदी मासिक 'कुरुक्षेत्र' वास्तव में सरकारी प्रकाशन होते हुए भी अपना स्वतंत्र विचार पाठकों के समक्ष रखता है जो इस अंक में विभिन्न लेखों द्वारा प्रमाणित होता है। विशेषकर संम्पादकीय में तो आपने भारत के उपेक्षित बच्चों की जो तस्वीर उतारी है वह उल्लेखनीय है। वास्तव में देश में बच्चे फूल की कली के समान पड़े हुए हैं जिनमें से कितने ही फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाया करते हैं। राष्ट्र की धरोहर ये बच्चे जो कि कल देश के निर्माता बनेंगे, अभावों में पलते और अभावों में ही मरते हैं। इस वर्ष हम अन्तर्राष्ट्रीय-बाल-वर्ष मना रहे हैं—इसकी सार्थकता इसमें होगी कि हम देश के सभी गरीब बच्चों के लिए समुचित पोषण की व्यवस्था करें। इसी अंक में कु० अमिता सिंह द्वारा 'जात-पात की दीवार टूटी' शीर्षक से लेख भी अच्छा एवं शिक्षाप्रद लगा। आज देश में जो जात-पांत का विष फैल रहा है उसे यदि रोका नहीं गया तो भयंकर परिणाम होगा। श्री तारादत्त निर्विरोध द्वारा 'सहकारी संदेश' कविता भी प्रेरणादायक लगी। आशा है कि आप भविष्य में इसी प्रकार की, पाठकों के लिए प्रेरणादायक और सही सामग्री देते रहेंगे। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की हृदय से कामना करता हूं। ✻

कमलेश कुमार
12 हुसैन शाह रोड
कलकत्ता-700023

पहला सुख निरोगी काया

बसन्त काल का ज्वर और उसकी चिकित्सा

वैद्य रघुनन्दन प्रसाद साहु

यदि किसी को शरीर में त्वचा के स्पर्श करने पर अधिक गर्मी या ताप का अनुभव हो तो उसे ताप या ज्वर कह सकते हैं। सामान्य ज्वर का यह प्रथम लक्षण है। ऐसा सभी तरह के ज्वरों में हुआ करता है।

वातज्वर के लक्षण एवं उसकी चिकित्सा शरीर में कंपकंपी, बुखार का कभी कम और कभी अधिक होना, कंठ और होठों का सूखना नींद नहीं आना, छींक न आना, शरीर में रूखापन तथा सिर, हृदय और अन्य भागों में पीड़ा, मुख का स्वाद खराब होना, मल का सख्त होना, पेट में दर्द तथा जंभाई, ये लक्षण होने पर समझना चाहिए कि इस व्यक्ति को बात ज्वर है। अतः ऐसे व्यक्ति का निम्न नुस्खें के द्वारा इलाज करना चाहिए।

(1) गडूची, सोंठ मोंथा और अजवाइन इन चार चीजों का काढ़ा बनाकर पीने से बात-ज्वर दूर हो जाता है।

(2) गडूची, सोंठ पीपरामूल, का काढ़ा भी बातज्वर दूर करने में रामबाण है।

पित्तज्वर के लक्षण एवं उसकी चिकित्सा पित्त ज्वर में ज्वर का वेग तीक्ष्ण होता है। अतीसार, निद्रा की कमी तथा वमन होता है। कंठ, मुख तथा नाक में पाक पड़ जाता है। पसीना भी आता है और रोगी प्रलाप करता है तथा उसका मुख कड़ुआ रहता है। रोगी को रूप आदि विषयों का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता, दाह का अनुभव करता है। प्यास अधिक लगती है तथा उसका मल मूत्र पीला हो जाता है और रोगी भ्रम से पीड़ित रहता है ऐसी अवस्था में निम्न चिकित्सा करें।

(1) पित्त पापड़ा का बना हुआ काढ़ा पित्त ज्वर को दूर करता है।

(2) चिरायता, कुटकी, मैथा, पित्त-पापड़ा और अजवाइन का काढ़ा भी पित्त-ज्वर नाशक है।

(3) गड़ची, आंवला, पित्तपापड़ा का काढ़ा भी पित्त ज्वर नाशक है।

(4) लालचन्दन पद्माख, धनिया, गुड़ और नीम का काढ़ा भी पित्त ज्वर के लिए रामबाण है।

कफज्वर के लक्षण एवं चिकित्सा : ज्वर में शरीर गीले चमड़े से ढका हुआ सा प्रतीत होता है। ज्वर का वेग रहता है। मुख का स्वाद मीठा रहता है। मल-मूत्र का रंग सफेद होता है। शरीर में जकड़ाहट रहती है। अन्न में अरुचि, शरीर में भारीपन तथा शीत का अनुभव होता है। कफ का वमन करने की इच्छा रहती है। रोंगटे खड़े रहते हैं और निद्रा बहुत आती है। सभी स्रोतों में अवरोध रहता है। शरीर में पीड़ा कम होती है, मुख से पानी निकलता है, शरीर अधिक गर्म नहीं रहता आंख का रंग सफेद होता है। इसे कफज्वर समझना चाहिए तथा इसकी निम्न काढ़ों से चिकित्सा करनी चाहिए।

(1) सोंठ, वांसा, मोथा तथा जबाखार का काढ़ा कफज्वर को दूर करता है।

(2) कायफल मोथा, धनिया, काकड़ा सींगी, बच, हरीतकी, भारंगी, पित्त-पापड़ा, सोंठ, और देवदारू का काढ़ा 4 चार माशे हींग 2 माशे शहद में मिलाकर पीने से कफ दूर हो जाता है। वैसे ऐसे ज्वरों में तीन दिन लंघन करना हितकारी है।

बसन्त की बीमारियों का होम्योपैथिक उपचार

—डा० बी० पी० मिश्र

बसन्त ऋतु में खसरे के अलावा, एक और बीमारी इसी प्रकार की होती है जिसे आयुर्वेद में मसूरिका और लोक भाषा में छोटी माता के नाम से जाना जाता है। इसमें पहले दिन ही सिर में दर्द के साथ बुखार हो जाता है, बेचैनी रहती है और बुखार होने के 24 घंटे के अन्दर ही शरीर पर छोटे-छोटे दाने उभर आते है। दूसरे ही दिन इन दानों में पानी भर आता है। ये दाने रोज कहीं न कहीं निकलते रहते हैं। इनमें खुजली होती है और फिर ये 2-3 दिन बाद सूखने लगते हैं। खुजली और बुखार के अलावा, इनमें और कोई अधिक कष्ट नहीं होता है। 8-10 दिन में सारे दाने सूख जाते हैं और पपड़ी अलग हो जाती है।

उपचार :—रस टाक्स 6-30 4-4 घन्टे के अन्तर से दें। प्रथमावस्था से ही देते रहने से इस रोग का पूर्ण शमन हो जाता है।

बेलाडोना :—6 ज्वर के साथ सर में तेज दर्द हो, बदन गीला रहे, मुंह लाल हो, गले में दर्द की तकलीफ हो।

एपिस मेल :—दानों में खारिस अधिक हो तो इसका व्यवहार 4-4 घंटे के अन्तर पर करने से खारिस कम हो जाती है।

मर्कसांल 30:—यदि कोई दाने खुजलाने के कारण पक जाय तो इसके व्यवहार से सूख जाते हैं।

फेरमफास 6—2 :— कालीम्यूर 6—2:—दोनों दवाइयों की चार-चार गोलियां मिलाकर 4 घंटे के अन्तर पर आरम्भ से ही देने से दाने अच्छी तरह निकल आते हैं और बुखार कम हो जाता है।

पेट की खराबी : नए अनाज के खाने से अथवा खान-पान की गड़बड़ी से इन दिनों पेट में दर्द, पेचिस आदि की शिकायत हो जाती है।

नक्सवोमिका :—6, दर्द अधिक हो, दस्त के बाद दर्द कम हो जाए तो दो घंटे के अन्तर से दवा लेनी चाहिए। कष्ट कुछ कम होने पर चार घंटे पर ले।

पल्साटिल्ला 30 :—अधिक तली हुई चीज अथवा मांस-मछली के खाने के बाद यदि दस्त लग जाए तथा प्यास की कमी हो तो दो तीन घंटे के अन्तर पर लेने से 24-36 घंटे में पेट ठीक हो जाता है। पेट की खराबी होने पर खाने में केवल तरल पदार्थ ही लें। दूध का सेवन बन्द कर दें।

फेरमफास 3 --केवल पानी की तरह पतले दस्त हों। पेट में दर्द नही हो। दस्त के साथ साथ उल्टी भी हो। 2 घंटे के अन्तर से 4 गोली लेते रहें।

रास लीला

जगवीर सिंह वर्मा

उस दिन रोज की तरह चौधरी भागमल की चौपाल लोगों से ठसाठस भरी थी। चिलम का दौर चल रहा था और चल रही थी तरह तरह की बातें। एकाएक खांसी के कारण कफ खंखार कर बाहर फेंकने की गरज से चौधरी साहब पिछली खिड़की तक आए और चौंक कर वहीं खड़े के खड़े ही रह गए।

"क्या देखने लगे, चौधरी साहब ?" किसी ने पूछा।

"यह कुछ दूरी पर इतनी तेज रोशनी कैसी है ?" चौधरी बोले।

"रोशनी !" लोग हड़बड़ा कर चौंकने से उठ कर चौधरी भागमल के निकट पहुंचे। वास्तव में तेज रोशनी का एक घेरा सा इधर उधर घूमता चमक रहा था।

"अरे होएगो कछु राकिट-फाकिट, आजु कल जामें का-का नयी चीजें चलि गई हैं।" रामजस वैद्य बोले।

जरजोधन के मन को शायद यह बात नहीं भायी, इस लिए रामजस वैद्य की बात को काट कर बोले—"बस, रहिन देओ, तुम्हें तो सोवत-जागत राकेट ही दिखाई देत है। भला ऐसे होंय राकेट, और गोऊ धरती पै। यों कहौ कै दई-देवतन को भ्रमण हो रह्यो है ग्यात !"

"सतू पंडित ने हां में हां मिलाई ! ऐसो ई लगत है चौधरी, भूतन को नाच है रह्यो होय।"

"ऐसो तो नाय के डकैतन को कोई संगी लाइन क्लीयर को इशारो करि रह्यो होय !" तिरखा ठाकुर बोले।

"अजी डकैती कहां परेगी, खाइबे कू ठीक ढंग ते नाज ऊ नांय।" चौधरी बोले।

"गि ऊ बात ठीक है, गि ऊ बात ठीक है !" कई आवाजों ने समर्थन किया।

तभी एक आकृति खेतों में से उभरी और गांव की ओर भाग कर आने लगी।

"यह कौन भाग कर इधर आ रहा है !" चौधरी भागमल बुद-बुदाए।

"हां, है तो कोई, पर कौन है ?" रामजस वैद्य बोले।

"है तो आदमी ही।" परम सिंह बोले।

"हां, है तो आदमी।" सभी एक साथ बोले।

और वह मानव आकृति पास आती जा रही थी। लोग आशंका, उत्सुकता, से चुप्पी साधे खड़े थे। रोशनी का वह घूमता हुआ चक्कर एकाएक लोप हो गया था।

थोड़ी ही देर में वह मनुष्य आकृति हवेली के नजदीक आ गई।

"कौन ? कौन है ?" चौधरी भागमल जोर से बोले।

"मैं, मैं हूं सरकार क्षिमना मिस्त्री, यादूपुर के जरनैल चौधरी के इंजिन पर रहत हूं।" उस आदमी ने हांफते हुए कहा। वह पसीने से तरबतर था और भय के मारे कांप रहा था।

"कहां से आ रहा है ?" चौधरी गरजे।

"का बात है ?"

"गि रोशनी कैसी है ?"

"तैंने तो जरूलई देखी होएगी ?" कई लोगों ने उससे कई सवाल किए।

"मैं तो आराम ते सोय रह्यो हो सरपंच साहिब, पर गजब है गयौ. . . . . ."

"क्या गजब हो गया ?" चौधरी ने उसी स्वर में कहा।

"हुजूर रामचन्द्र जी और कृष्ण जी में जुद्ध है गयो। कृष्ण जी रिसाय के चाले दिए।"

"क्या बकता है ?"

"झूठ नहीं कहूं हजूर, कृष्ण जी तो साक्षात मैंने अपनी आंखन से देखे। रोशनी आप लोगन ने भी देखी होयगी। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र घूमि रह्यो हो, मेरी तो जानि ही निकर गयी— जैसे-तैसे भागो हूं।"

सब एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे। रामचन्द्र जी और कृष्णा जी का युद्ध, दो देवताओं का युद्ध, यह बात किसी की समझ में नहीं आई।

"तैंने सांच-सांच दर्शन करे हैं उनके ?" सतू पंडित बोले।

"जी हां, मैंने सूनी ही कि झगड़ौ दोनों देवतन में पिछले दिनन में जो राम लीला भई ही जब ते ही हो। कृष्ण जी का मान नहीं भया उनकौ ताऊ ने मन्दिर नहीं बनवायो, न रामलीला करवाई, न चढ़ावा, चढ़ौ न सवारी निकारी, बस जाई ते खट-पट है गई। मेरी आंख खुली पेशाब करिबे तो मैंने रोशनी देखी और गि सोचि के डरिगयों कि कबहुं चार छह आदमी इंजिन उखारिबे तो नां चढ़ि आए, परि वहां दीखे साक्षात कृष्ण जी कह रहे थे—"अब यहां राम ही रहेंगे, मेरी गुजर नांय उनके संग" —और आपन के गांव की ओर चलि दिए। तब ही मैं भाग छूटौ कि सरपंच साहिब कू खबर दै आऊं।"

सब लोग हक्के-बक्के रह गए। भला रामचन्द्र जी और कृष्ण जी को कौन नहीं जानता। हर साल यहां राम लीला होती है और

आस-पास के गांवों के लोग भी आते हैं। इस बनमुढाव की बात रामलीला में दशरथ का पार्ट अदा करने वाले चुन्नीलाल बोहरे ने भी कही थी और फिर बाद में इसकी चर्चा भागमल की इस बैठक में भी हुई थी। मगर सचमुच एकदेवता जो बराबरी का हक रखता है, रिसा के चला जाए, यह कोई नहीं चाहता।

"सपनौ तो नांय देखो रे क्षिमना तैंने ?" रामजस वैद्य ने डांट कर पूछौ।

"अकीन करौ हजूर या ना, कृष्ण जी के पांवन में मोहर बंधी थी, जमीन पै जरूल निशान बनि गये होंगे, देख लेउ चलि के।"

चौधरी भागमल ने उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और सबने अचंभे में क्षिमना की ओर। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। रोशनी का चक्र उपस्थित सभी लोगों ने देखा था। पर इतने बड़े दो देवताओं का झगड़ा और एक की यह पुकार ऐसा कोई नहीं सोच और समझ पा रहा था।

क्षिमना फिर बोला—"हजूर भला देवतन के बारे में झूठ बोलिके का मोको अपनो परलोक बिगारनो है। फेर मेरे भी तो बालि बच्चे हैं।"

चौधरी भागमल ने रामजस वैद्य की ओर देखा—" क्यों वैद्यजी, क्या यह हो सकता है ? रोशनी तो जरूर चक्र जैसी ही थी।"

"हमारी तो अकल कछु काम करि रही नांय, यों या कलजुग में सब कछु है सकतु है।"

सतू पंडित बोले—" देखना चाहिए, देवता गांव छोड़ कर चला जाए तो परलै ही समझो।"

क्षिमना को डपटते हुए चौधरी भागमल बोले—"देख मिस्त्री, जो पांव के निशान या और कुछ सुराग नहीं मिला भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में तो फिर तुझे वो सजा दी जाएगी जो आइन्दा कभी कोई देवताओं के बारे में झूठ बोलने का साहस ही न कर सके।"

क्षिमना अभी तक सिकुड़ा सिमटा सा खड़ा था, कुछ खुलता हुआ सा बोला— "सरपंच साहिब, हमें का पूरी झूठ बोलिबे को, हमने जो देखो सो बता दई। देवतन की बात ठहरी, हमारौ का कसूर।"

रात में जाना फिर भी ठीक नहीं समझा गया। चौधरी भागमल तैयार थे, मगर लोगों ने सलाह दी कि किया पता ससुर का, सबको लिवा ले जाय गांव से दूर और यहां डकैती पड़ जाय। वकत खराब है, काई का क्या यकीन ?"

लेकिन गांव में भी तनिक देर में खबर उड़ गई कि रामचन्द्रजी और कृष्ण जी में लड़ाई हो गई है और कृष्ण रिसा के चले गए हैं।

सुबह तड़के ही सबसे पहले क्षिमना पर गंगाजली धर कर यह कसम ली गई कि उसने झूठ नहीं बोला है और कृष्ण जी को साक्षात् अपनी आंखों से देखा था। तब सारा गांव कृष्ण की खोज में चल पड़ा। आगे-आगे क्षिमना मिस्त्री था।

एक खेत की मेंड़ पर खड़ा हो कर क्षिमना बोला— "यहां तक देखो मैंने।"

लोग नीचे झुक गए। सचमुच पैरों के निशान थे। मोहर जैसा चकत्ता भी जिससे यह पता चलता था कि कृष्ण जी के पैर मोहरों से लदे थे। इसके आगे जहां तक निशान मिलते गए लोग आगे बढ़ते गए। निशान काफी दूर तक मिले लेकिन आगे चलकर एक स्थान पर पहुंच कर समाप्त हो गए थे।

"कृष्ण जी यहां से कहां गए ?"

सबकी राय हुई कि बस, यहीं से वे अन्तर्ध्यान हो गये हैं, मगर कहां ?"

"क्या पृथ्वी में समा गए ?" किसी ने पूछा।

चौधरी भागमल ने तुरन्त जमीन खोदने की सलाह दी। जिसके पास जो भी था उससे सब लोग जमीन खोदने में जुट गए। थोड़ी सी जमीन खुदने पर ही पत्थर बजने लगा। लोगों ने तुरन्त जल्दी-जल्दी मिट्टी साफ की और कृष्ण जी की पत्थर की मूर्ति खोद निकाली। चौधरी भागमल ने भक्ति भाव से हाथ जोड़ दिए। जहां कृष्ण जी की मूर्ति मिली थी, वह जमीन चौधरी भागमल की ही थी। सो मस्तक नवाकर बोले— "कृष्ण जी ने मुझ पर बड़ी दया की है जो मेरी जमीन पर उतरे, मेरे धन्यभाग।"

"धन्यभाग सब गांव वालों के, चौधरी साहब जी के यहां कृष्ण जी पधारे।" बहुत से लोगों ने एक साथ कहा।

तुरन्त आसपास के गांवों के लोग बुलाए गए और यह निश्चय किया गया कि इस स्थान पर कृष्ण जी का एक मंदिर बनवाना चाहिए और यहां हर साल रासलीला भी होनी चाहिए। इस साल समय निकल गया तो कोई बात नहीं। फिर भी रासलीला का प्रबन्ध तुरन्त होना चाहिए, क्योंकि देवताओं का मामला, फिर उनकी जमीन में अन्तर्ध्यान होते वकत की कृष्ण की पुकार, इसलिए अधिक कुछ न कह पाए चौधरी साहब।

और चन्दा इकट्ठा किया जाने लगा। आठ दिन में ही हजारों की रकम जमा हो गई। भट्ठे से मन्दिर के लिए ईंटें मुफत आ गईं। काम करने वालों ने मुफत मजदूरी की और देखते-देखते मन्दिर बन गया। फिर रास लीला की एक बहुत अच्छी और बड़ी मंडली मथुरा से बुलायी गई। खूब चहल पहल रही और सारे काम बड़े ही भक्ति भाव से विधिवत सम्पन्न हुए।

जिस दिन रास मंडली चली गई और सब काम खत्म हो गया, उस रात चौधरी के घर सिर्फ दो ही व्यक्ति थे—एक चौधरी भागमल स्वयं और दूसरा क्षिमना मिस्त्री। चौधरी साहब उसे दो सौ रुपये दे रहे थे। वह बोला— "बहुत कम हैं हजूर ! कितने घंटे तो उन निशानों को बनाने में लगे थे, फिर इतनी तेज रोशनी वाला और आवाज न करने वाला वह चक्र आतिशवाजी वाले आदमियों ने अड़तीस रुपए का दिया था। मेरे तो हाथ थक गए। दौड़ना भी पड़ा और नाटक जैसा काम भी किया ही। फिर गंगा जली उठाई झूठी— सिर्फ बाल-बच्चों की खातिर।"

"लै !" चौधरी ने सौ रुपये और उसके हाथ पर रखे— "अब खुश है न !"

"जो हजूर ठीक समझें।" गुस्ताखी माफ हो सरपंच साहिब को क्या पड़ गया ?"

"अरे, यही चारेक हजार आठ सौ की तो जमीन चली गई। पर हो, दो हजार रुपए साल में बंध गए समझो। जिसमें दो सौ तुम्हारे लेकिन याद रखना यह बात अपनी घर वाली को भी न बताना।" चौधरी भागमल ने चेतावनी दी।

"कैसी बात करते हैं सरपंच साहिब !" कहकर क्षिमना ने अपने कान पकड़ लिए।

ग्राम/पो० बिसारा
जिला अलीगढ़, (उ. प्र.)

सम्पूर्ण गांधी वाड़मय (खंड सड़सठ), प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। मूल्य साढ़े सात रु०, पृष्ठ संख्या 532।

प्रस्तुत खंड में गांधी जी से सम्बद्ध 1 अप्रैल, से 14 अप्रैल, अक्तूबर, तक की समाग्री संकलित की गई है जिसका अधिकांश भाग पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तत्कालीन भारतीय राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को लिखे गए पत्रों के साथ ही नितान्त व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने वाले पत्र संग्रहीत हैं। आश्चर्य इस बात का है कि देश के भविष्य का सूत्र संचालन करने वाला यह युग-पुरुष कैसे इतना समय निकाल पाता था कि सबको उनके विभिन्न धरातलों पर सन्तुष्ट कर देता था। अपने में इन अन्तर्विरोधों को समेटने के कारण ही गांधी जी इतने महान बन सके थे। एक ओर यदि परतंत्र भारत में कांग्रेसजनों के भ्रष्टाचार और स्वार्थपरता से वे दुखी थे और उसके लिए एक राष्ट्रव्यापी उपाय खोजने के लिए चिन्तित थे, तो दूसरी ओर व्यक्तिगत धरातल पर वे ब्रह्मचर्य को जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात समझते थे और अचानक इस दिशा में थोड़ा भी स्खलन उन्हें भारी चिन्ता में डाल देता था। अपने ब्रह्मचर्य में आंशिक दोष से पीड़ित वे मीरा बहन को पत्र में लिखते हैं—मुझे लगा है कि मेरे काल्पनिक स्वर्ग से जहां अपनी मलिन अवस्था में रहने का मुझे कोई अधिकार न था, भगवान ने मुझे नीचे फेंक दिया, कैसा रहा होगा वह अद्भुत व्यक्तित्व जिसकी कल्पना उपज सहज ही रोमांचित कर देती है।

इसी प्रकार मजदूर संगठनों को संदेश देते हुए वे कहते हैं कि जैसे पैसा पूंजी है उसी प्रकार श्रम भी पूंजी है क्योंकि ऐसा मानने से ही वे पूंजी को एक ऐसे हित के रूप में नहीं देखेंगे जो उनके अपने हित के विरुद्ध है। तब वे मिलों और मशीनों को शोषकों के हाथों का खिलौना, उन्हें पीसने वाली चक्की नहीं मानेंगे। इस प्रकार यह ग्रंथ भी गांधी जी के व्यक्तित्व को समझने में बहुत दूर तक सहायक और उपयोगी है। प्रकाशन विभाग समचमुच इसके लिए बधाई का पात्र है।

ब्रजनारायण सिंह

राजभाषा भारती : सम्पादक; राजमणि तिवारी, त्रैमासिक पत्रिका, अंक दो, जुलाई 1978, प्रकाशक-राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, मूल्य (निश्शुल्क वितरण के लिए)

राजभाषा भारती का प्रवेशांक गत अप्रैल, मास में प्रकाशित हुआ था। राजभाषा विभाग को इस सुन्दर प्रयास के लिए, भिन्न-भिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्यरत महानुभावों द्वारा, उत्साहवर्धक शब्द एवं साधुवाद प्राप्त हुआ है। पत्रिका का दूसरा अंक और भी अधिक उपयोगी सामग्री लिए प्रकाशित हो गया है। माननीय उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री एवं भारत सरकार के पर्यटन एवं नगरविमानन मंत्री की, पत्रिका की उपयोगिता के लिए शुभ कामनाएं इसी अंक में प्रकाशित हुई हैं।

प्रस्तुत अंक में संघ सरकार में राजभाषा विभाग की ओर से हिन्दी के प्रयोगों के संबंध में हो रहे प्रयत्नों का और सरकारी काम काज में हिन्दी में प्रयोग की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। राजभाषा, नीति सम्बन्धी लेख, जो मा० धनिकलाल मंडल, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा लिखित है, सरकार की हिन्दी के प्रति नीति का बड़ा सुन्दर स्पष्टीकरण है। इसी अंक में शिक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, लोक-निर्माण विभाग तथा योजना आयोग आदि में हिन्दी सम्बन्धी हो रहे योजना बद्ध कार्यों का विशद ब्यौरा विभागीय अधिकारियों द्वारा लिखित लेखों में बड़ी दक्षता से प्रस्तुत किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को इस सारी सामग्री का अवलोकन कर निश्चित ही प्रेरणा प्राप्त होगी। हिन्दी को राजभाषा और सम्पर्क भाषा के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में इस पत्रिका का प्रकाशन राजभाषा विभाग का एक सक्रिय सहयोग है जो वस्तुतः स्तुत्य है।

पत्रिका का वितरण अधिक से अधिक हो, यही यथेष्ट होगा। पत्रिका के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश से विदेशों से आए सभी सुझावों का स्वागत करना होगा और सृजनात्मक विचारों को अपनाना होगा।

पत्रिका में संयोजित सामग्री के लिए एवं सुन्दर गेटअप के लिए सम्पादक महोदय तथा उनके सहयोगी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं।

राममूर्ति कालिया,

"हमारी नदियों पर विकास तीर्थ"

लेखक श्री ब्रह्मप्रकाश, प्रकाशक; केन्द्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल, मूल्य 4-रुपये।

केन्द्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल द्वारा प्रकाशित तथा श्री ब्रह्मप्रकाश द्वारा सुरचित पुस्तिका "हमारी नदियों पर विकास तीर्थ" सुन्दर कागज पर सुरुचिपूर्ण मुद्रण और आकर्षक आवरण में इस प्रकार प्रस्तुत की गई है कि वह प्राचीन एवं नवीन का तथा ज्ञान एवं मनोरंजन का अनूठा संगम बन गई है। जल की महत्ता सभी युगों में निर्वचनीय रही है किन्तु वर्तमान संदर्भों में विज्ञान ने उसके महत्व को बहुमुखी कर दिया है, उसी वैज्ञानिक उपलब्धि को श्री ब्रह्मप्रकाश ने जिस रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है वह अनेक संदर्भों में श्लाघनीय है। नदियों को आधुनिक तीर्थ की संज्ञा देकर

उन्हें पौराणिक कक्ष तथा प्रसंगों के माध्यम से पुनः प्रस्तुत करते हुए नदियों पर बने बांध तथा महती जल-विद्युत् परियोजनाओं का सम्पूर्ण विवरण देकर पुस्तक को जन साधारण (विशेषतः बाल वर्ग) के लिए पठनीय एवं उपयोगी बना दिया है। एक ओर उपयुक्त स्थलों पर आंकड़ों में दी गई आवश्यक तकनीकी एवं सामान्य सामग्री प्रकाशन को पूर्णता प्रदान करती है तो दूसरी ओर कथा प्रसंगों में प्रस्तुत सुन्दर चित्र उसे रोचक बनाते हैं जिसमें उसमें एक अनिवार्य पाठय पुस्तक का सा स्वरूप झलकने लगता है।

हनुमानप्रसाद शर्मा

प्रौढ शिक्षा : कार्यशाला विशेषाँक भाग 1, जुलाई-अगस्त 1978' वर्ष, अंक 4-5, प्रकाशक : भारतीय प्रौढ शिक्षा संघ, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-1, वार्षिक मूल्य 1.50।

प्रौढ़ शिक्षा नामक मासिक पत्रिका में सभी लेखों का सार यह है कि ग्रामीण लोगों को शिक्षित बनाया जाए। इसका भार सरकार, प्रकाशक तथा लेखकों पर अधिक है। ग्रामीण लोगों का तरीका अभी भी 2000 वर्ष पहले की परम्परा से जुड़ा हुआ है। वे लोग किलोमीटर को कोस में नापते हैं और मीटर को गज में। उनकी मान्यताओं में परिवर्तन लाने का सुझाव देना आवश्यक है। साथ ही उनकी कामकाज की समस्याओं पर उनका ध्यान आकर्षित करना भी जरूरी है लेकिन उनको अपनी सदियों पुरानी मान्यताओं से अलग करने की कोशिश करना एकदम व्यर्थ होगा। श्रीमती भंडारी के सुझाव बहुत ही रोचक है व कमला रत्नम का लेख भी शिक्षाप्रद है। ग्रामीण सच्चे अर्थों में हमारी संस्कृति के पोषक हैं। पृष्ठ 74 पर गोष्ठी के निर्णय जो दिए गए हैं यदि उनको कार्यान्वित किया जाए तो सच्चे अर्थों में देश सेवा होगी।

वी० सिंह त्यागी

नागपाश, लेखक : राजकुमार अमर; प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज,कश्मीरी गेट, दिल्ली; पृष्ठ संख्या 126, मूल्य : 10 रुपये।

प्रस्तुत कृति रूढ़िग्रस्त समाज की ग्रामीण पृष्ठ भूमि पर आधारित एक सामाजकि उपन्यास है। मुख्य कथा उपन्यास की नायिका रेवती के इर्द-गिर्द है, जो विवाहोपरान्त कभी सुख न पा सकी, मात्र इस कारण कि उसे बागियों (डाकुओं) द्वारा उस समय पालकी से उठा लिया जाता है जब वह नव विवाहिता ससुराल जा रही थी, यह सब कुछ उसके पति, जेठ, ससुर तथा परिवार के अन्य सदस्यों के समक्ष होता है जो बागियों के समक्ष आत्म समर्पण कर रेवती को छोड़ गांव चले आते हैं। बागी मलखान सिंह व जुझार सिंह रेवती से कुछ कर सकें इससे पूर्व ही पुलिस आ जाती है दोनों की मुठभेड़ के मध्य रेवती जैसे-तैसे अपने आप को बचाती हुई अपनी ससुराल पहुंच जाती है परन्तु यहां पहुंच कर उसकी सब आशाएं निराशा में परिवर्तित हो जाती हैं, यहां परिवार के वही क्लीव पुरुष एवं अन्य सदस्य उसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं।

"लोक क्या कहेंगे"—इस बात का डर अधिक है इसीलिए रेवती को उसके घर वापस कर देना चाहते हैं। देवकी का कथन "संभालो अपनी धर्मशाला"—हम बेटा कहीं और ब्याह लेंगे। झूठी पतलें नहीं चाटते (पृष्ठ 21) कालान्तर में देवकी का पति किसुन भी उससे शारीरिक सम्बन्ध स्थापित कर लेता है किन्तु मानसिक नहीं। द्वन्द्व में फंसी रेवती के चरित्र की लेखक ने सफल अभिव्यक्ति की है। उपन्यास की दूसरी मुख्य पात्र रामी है, विवाहित होते हुए भी पति सुख से वंचित है यह बात उसके सास-ससुर तथा गांव की अन्य महिलाएं भी जानती हैं। उसे नारी समाज के मध्य किस प्रकार अपमानित होना पड़ता है इसकी अभिव्यक्ति भी सफल रूप में हुई है। उपन्यास का विकास मनोवैज्ञानिक स्तर पर हुआ है तथा ग्रामीण समाज में धर्म के आवरण में जो दुष्कर्म होते हैं उनको सफलता से चित्रित किया गया है।

पाठक वर्ग नारी पात्रों के प्रति सहानुभूति रखने को विवश हो जाता है। औत्सुक्य प्रारम्भ से अंत तक बना रहता है। उपन्यास अपने छोटे से कलेवर में भी पूर्ण है। इस प्रकार लेखक ने उन क्लीव पुरुषत्वहीन, रूढ़िवादी ढोंगी और घिनौने चित्रों को उकेड़ा है जो स्वयं तो सब प्रकार शक्ति हीन हैं किन्तु धर्म-समाज और आभिजात्य-मर्यादा के नाम पर परिस्थितियों में फंसी निरीह स्त्रियों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं।

भाषा बोलचाल की सरल एवं प्रवाह पूर्ण होते हुए भी कहीं-कहीं मर्यादा के बंधन तोड़ती हुई मालूम देती है किन्तु ऐसा लेखक ने सम्भवतः स्वाभाविकता के आकर्षण में बंध कर किया है।

अशोक कुमार गर्ग,

भगीरथ—त्रैमासिक, पत्रिका महाराष्ट्र विशेषांक, सम्पादक —राधा कान्त भारती, प्रकाशक—केन्द्रीय जल आयोग, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, मूल्य—1 रु० प्रति, 3 रु० वार्षिक।

भारत सरकार की पत्रिका 'भगीरथ' का जनवरी-मार्च, 1979 अंक महाराष्ट्र विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। यह पत्रिका देश में हो रही जल विद्युत् संबंधी प्रगति की जानकारी पाठकों तक पहुंचाती है। महाराष्ट्र विशेषांक में यह प्रयास किया गया है कि महाराष्ट्र में हो रही जल विद्युत् संबंधी प्रगति की जानकारी एकत्र करके सचित्र रूप में प्रस्तुत की जाए। इसकी अत्यधिक आवश्यकता है कि भारत के विभिन्न राज्यों की प्रगति की झांकी एक स्थान पर प्रकाशित कर अन्य राज्यों के निवासियों तक पहुंचाई जाए। राष्ट्रीय अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कार्य है।

इस समीक्षाधीन अंक में प्रकाशित सामग्री अत्यधिक सूचना-प्रद है। महाराष्ट्र के प्राकृतिक स्वरूप तथा वहां हो रही जल एवं विद्युत् संबंधी प्रगति की पूरी झलक इस अंक में देखने को मिल जाती है। महाराष्ट्र विद्युत् मंडल के अध्यक्ष श्री नारायण मिश्र, व्यं० धो० कुलकर्णी तथा श्री बी० एन० ओझा के लेख सारगर्भित हैं। गीतों का चयन सुन्दर है। श्री भारती कृत 'स्वीकारों मेरा प्रणाम;' गीत सारगर्भित है। गीत के साथ प्रकाशित रेखाचित्र अत्यधिक सटीक है। संयोग से महाराष्ट्र विद्युत्-मंडल रजत-जयंती वर्ष होने के कारण विद्युत विकास को अधिक प्राथमिकता मिल गई।

विभिन्न वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में अब तक की प्रगति की झलक तो मिल जाती है परन्तु लघु सिंचाई तथा परम्परागत सिंचाई संबंधी एक और लेख इस अंक को पूर्णता प्रदान करता है। चित्रों का चयन उत्तम है। और काक के कार्टून एवं रेखांकन पत्रिका की रोचकता में अभिवद्धि करते हैं।

भगीरथ के इस विशेषांक में दिया गया संपादकीय लेख तथा किसानों के साथ हुई चर्चा ध्यान देने योग्य है। यह कहना बिल्कुल सही है कि विशेषज्ञों तथा इंजीनियरों को ग्रामीण क्षेत्र में जाकर किसानों की समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए। इसी संदर्भ में महाराष्ट्र के प्रतिनिधि किसानों की बात प्रस्तुत कर संपादक ने सराहनीय कार्य किया है। देश में कृषि और ग्राम विकास के संदर्भ में यह बहुत जरूरी है कि किसानों तथा ग्रामीण अंचल में रहने वाले देशवासियों की समस्याओं को ठीक तरह से समझा जाए। आशा है कि यह पत्रिका राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में यथोचित योग दान दे सकने में समर्थ हो सकेगी।

—शिवरानी
सेक्टर-1, क्वार्टर-196
आर० के० पुरम, नई दिल्ली-22

27

तुम्हारे लिए—लेखक : हिमांशु जोशी; प्रकाशक : पराग प्रकाशन, 3/114, कर्ण गली, विश्वासनगर, शाहदरा दिल्ली–110032; पृष्ठ संख्या : 164; मूल्य : बारह रुपए। प्रथम संस्करण : 1968.

'तुम्हारे लिए' हिमांशु जोशी का नया उपन्यास है जिससे पहले पांच उपन्यास छप चुके हैं, और चर्चित हो चुके हैं। कथाकार ने इसकी भूमिका में लिखा है, 'अरण्य', महासागर' छाया मत छूना मन', 'कगार की आग, 'समय साक्षी है'– सभी में मेरी कोशिश ऐसी ही रही कि विषयवस्तु में ही नहीं, शैली में में भी एक दूसरे से बिलकुल अलग हों। कथाकार के वकतव्य में सच्चाई है, पर 'छाया मत छूना मन' की कथानायिका और 'तुम्हारे लिए' की कथानायिका अनुमेहा की स्थितियां अलग-अलग होते हुए भी मानसिक-संरचना एक जैसी हैं।

'तुम्हारे लिए' में एक प्रेम कथा ही नहीं है, प्रेम का त्रिकोण भी है जिसके तीन बिन्दु हैं—विराग, अनुमेहा और सुहास। वे तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और अलग-अलग हो जाते हैं। मिलते हैं तो जैसे कहीं कुछ दुखता है और अलग हो जाते हैं तो जैसे कहीं कुछ जलता है। अंत में सुहास की मृत्यु हो जाती है और अनुमेहा किसी अफ्रीकी देश चली जाती है। बस विराग रह जाता है अपने दर्द को बयान करने के लिए। यह प्रेम किशोर अवस्था में जन्मा यौवन में पनपा और फिर आगे भी दिल में बना रहा। हां, प्रेम का यह त्रिकोण हिमांशु के अन्य उपन्यासों में नहीं है।

इस में सिर्फ एक प्रेम कहानी ही नहीं है और बहुत कुछ है कहने के लिए। कलाकार प्रेम सम्बन्धों में ही चिपका नहीं रहा है और न ही सैक्स चित्रण में डूबा है, बल्कि उस ने गांव के परिवार की गरीबी और कस्बों के परिवारों की टूटन को भी भी दिखाया है। इसके तीनों पात्र अलग-अलग ढंग के हैं, पर उन में भी परिवर्तन आता है। वे पात्र टाइप नहीं है। एक जैसी मानसिक स्थितियों में, गुणों अवगुणों को नहीं लिए रहते, बल्कि बाहरी स्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। अनुमेहा पस्थितियों के चक्र में फंस कर अपना डाक्टरी व्यवसाय एक जगह टिक कर नहीं करती, बल्कि उस के मन की अस्थिरता उसे घुमाती रहती है और अपने मन से हार कर भी गरीबों की सेवा में जुटी रहती है। वह अफ्रीका भी इन दोनों ही कारणों से चली गई। श्रीमती दत्ता इस उपन्यास की विचित्र और जबर्दस्त पात्री है जो कुछ समय ही हमारे सामने रही और फिर गायब हो गई। वह पात्री अविकसित ही रह गई। मुझे लगता है, किसी सशक्त पात्र का निर्वाह कथाकार हिमांशु से अपने उपन्यासों में नहीं हो पाता। बस, 'कगार की आग' की कथानायिका इसका अपवाद है।

इस कथाकार की यह खूबी है कि इस के उपन्यासों में एक दिलचस्प कहानी होती है, पर जीवन की सच्चाई भी होती है। इस उपन्यास की मुख्य कथा-भूमि नैनीताल में जहां युवा दिल मिलते हैं और मचलते हैं, जहां कल्पना और रोमांटिक स्थितियों को खुल कर खेलने का अवसर मिलता है। इसका कथा-सूत्र ऐसे पात्र के हाथ में है जो पहाड़ी क्षेत्र के गरीब परिवार का युवक है।

यह उपन्यास हमें कहीं कुरेदता है और जीवन के दर्द को उभारता है। इस में भावुकता है, पर यह पाठक को बहकाता या बहलाता नहीं है, बल्कि हमें सोचने के लिए कुछ दे जाता है। आज के जीवन की तेज गति की तरह ही इस उपन्यास का प्रवाह भी तेज है जिस में कथाकार ने अनेक जीवन्त दृश्यों को बांध दिया है। यह उपन्यास पठनीय है, अच्छा है, पर कोई उपलब्धि नहीं है।

रतनलाल शर्मा,
3817, शक्तिनगर, दिल्ली-110007

जब तक आदमी अपने आप को सुखी नहीं समझता तब तक सुखी नहीं हो सकता।

पहला जल्दी नहीं

दूसरा अभी नहीं

माता पिता के लिए नेक सलाह

तीसरा कभी नहीं

**अपने पास के परिवार नियोजन केन्द्र,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या ग्राम स्वास्थ्य सहायक
से सलाह और सामान लीजिए
आज ही उनके पास जाइए**

davp

Regd. No. D (D)/98

'भगीरथ' का महाराष्ट्र विशेषांक

केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री सुरजीत सिंह बरनाला महाराष्ट्र विशेषांक का विमोचन करते हुए ।

दिनांक 22-2-79 को सिंचाई और विद्युत् त्रैमासिक 'भागीरथ' के महाराष्ट्र विशेषांक का विमोचन केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला द्वारा सम्पन्न हुआ । मंत्री महोदय ने पत्रिका के विमोचन के उपरान्त अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र विशेषांक की तरह ही अन्य राज्यों संबन्धी विशेषांक भी निकाले जाने चाहिए, जिससे वहां की जल और विद्युत् संबन्धी प्रगति और उनकी समस्याएं सामने आएं । उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि 'भगीरथ' पत्रिका यह कार्य सफलता पूर्वक कर रही है । मंत्री महोदय ने कहा कि भगीरथ एक लोकप्रिय पत्रिका है और इसके माध्यम से किसानों तथा जन सामान्य तक सिंचाई और विद्युत् संबन्धी प्रगति की जानकारी दी जा रही है । श्री बरनाला ने 'भगीरथ' जैसी तकनीकी पत्रिकाओं में सरल और सुबोध भाषा के प्रयोग पर बल दिया । यह इच्छा व्यक्त की गई कि 'भगीरथ' जैसी पत्रिका का प्रकाशन त्रैमासिक के स्थान पर मासिक होना चाहिए ।

समारोह की अध्यक्षता केन्द्रीय-जल-आयोग के अध्यक्ष डा० के सी० टामस ने की । केंद्रीय जल-आयोग के इंजीनियर सदस्य श्री नवल किशोर अग्रवाल ने पत्रिका की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस पत्रिका में न केवल सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं संबन्धी लेख प्रकाशित होते हैं वरन् ऐसे लेख भी प्रकाशित किए जाते हैं जो किसानों को सिंचाई और विद्युत् संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं । विभिन्न स्तंभों के माध्यम से किसानों की समस्याओं के निराकरण के उपाय भी इससे सुझाए जाते हैं । जल एवं बिजली संबन्धी कविता-कहानियों के प्रकाशन से पत्रिका की रोचकता में वृद्धि होती है और चित्रों, रेखा-चित्रों एवं व्यंग चित्रों की सहायता से जटिल विषयों को सुगम बनाकर प्रस्तुत किया जाता है । डा० के० सी० टामस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आशा व्यक्त की कि 'भगीरथ' पत्रिका अपने उद्देश्य की पूर्त्ति में निरन्तर प्रयत्नशील रहेगी । उन्होंने इसके बनाने में हर प्रकार का सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया । उन्होंने महाराष्ट्र शासन के बिजली बोर्ड तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं को धन्यवाद दिया जिनके सहयोग से यह विशेषांक प्रकाशित हुआ । पत्रिका के निदेशक श्री वी० डी० कुलकर्णी ने सभी आमंत्रित सज्जनों का अभिनन्दन किया और उनके प्रति आभार प्रकट किया ।

जल आयोग के अध्यक्ष के० सी० टामस, कृषिऔर सिंचाई मंत्री सुरजीत सिंह बरनाला का स्वागत करते हुए ।

समारोह में श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त, एम० जी० पाध्ये, चिरंजीव सिंह, प्रो० धर्मपाल आर्य, श्रीमती पुष्पा देशमुख आदि कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और केन्द्रीय-जल-आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं राजधानी के गण्यमान्य लेखक और पत्रकार भी उपस्थित थे । समारोह का संचालन पत्रिका के संपादक श्री राधा कान्त भारती ने किया । ✱

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित ।